जुलाई, 2020
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जुलाई, 2020 अंक - 7

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2020) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय 16 के अन्तर्गत मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में विस्तार से उपबंधों का उल्लेख किया गया है । यदि महत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो दंड संहिता का अध्याय 16 संपूर्ण दंड संहिता का हृदय प्रतीत होता है । यूं तो प्रत्येक अपराध समाज के लिए घातक है किंतु जिन अपराधों का संबंध मानव शरीर से है उन्हें रोकने के लिए राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसे किसी भी अपराध को घटित न होने दें और यदि उसे कोई कारित करता है तो अपराधी को समुचित दंड दे । राज्य का कर्तव्य राज्य में कल्याणकारी वातावरण बनाए रखना है और जिस समय से सत्ता और शासन अस्तित्व में आता है उसी समय से राज्य का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने नागरिकों के जीवन, शरीर, संपत्ति और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करे । शरीर, संपत्ति और प्रतिष्ठा में सबसे महत्वपूर्ण शरीर की सुरक्षा है क्योंकि जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है । कोई भी विचार मानव जीवन को ही सर्वोच्च मानता है और इस धरती पर मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण प्राणी माना गया है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी क्षति पहुंचाना दंडनीय अपराध माना गया है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता । दंड संहिता के अध्याय 16 के अन्तर्गत धारा 299 से लेकर धारा 377 तक प्रावधान किए गए हैं जो ऐसे अपराधों से संबंधित हैं जो किसी न किसी प्रकार मनुष्य के शरीर को क्षति पहुंचाते हैं और जीवन के लिए घातक हैं । इस अध्याय के अन्तर्गत सर्वाधिक दंड के प्रावधान किए गए हैं जिनमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित है । इन अपराधों में मुख्यत: आपराधिक मानववध और हत्या का उल्लेख अधिक किया जाता है । विधि के नवीन छात्रों के लिए इन दोनों अपराधों में अन्तर स्पष्ट करना अत्यंत कठिन कार्य होता है किंतु इतना कहा जा सकता है कि यदि किसी आपराधिक मानववध में

गंभीर उत्तेजना पाई जाती है तो इस प्रकार का मानववध हत्या की कोटि में नहीं आएगा ।

इस अंक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों मान्यता) अधिनियम, 2006 के अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं । इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्‌यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जुलाई, 2020

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अशोक कुमार **उर्फ** अशोकी **बनाम** राजस्थान राज्य	136
एम. त्रिमूर्ति **बनाम** राज्य द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक कोयंबटूर	95
कुंदन कुमार **बनाम** बिहार राज्य	87
मजीदुल इस्लाम **बनाम** असम राज्य	34
राजेश त्रेहन और अन्य **बनाम** उत्तराखंड राज्य	1
राम स्वरूप महतो **बनाम** बिहार राज्य	66
संतोष कुमार राठौर और अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	115

संसद् के अधिनियम

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों मान्यता) अधिनियम, 2006	1 – 17

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 41(1)(ख)(ii) [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 364 और 506] – हत्या के लिए व्यपहरण या अपहरण करना – अभियुक्त रिट याची के अनावश्यक काल के लिए निरुद्ध किए जाने को चुनौती – निरोध के विस्तार के लिए न्यायिक अधिकारी द्‌वारा युक्तियुक्त रूप से विचार न किया जाना – न्यायिक अधिकारी मात्र एक डाक अधिकारी नहीं है, उसके लिए अभिलेख का परिशीलन करना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है जिसके पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त को निरुद्ध किया जाना या अभिरक्षा में रखना आवश्यक नहीं है तो उसे तत्काल जमानत पर छोड़ना न्यायोचित होगा ।

कुंदन कुमार बनाम **बिहार राज्य** 87

– धारा 386(ग)(iii) – दंड में कमी करने संबंधी अपील न्यायालय की शक्ति – अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास न होना – अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि अभियुक्त पुराने अपराधी हैं, अत: विचारण न्यायालय द्‌वारा अधिनिर्णीत 5 वर्ष के कारावास को कम करके 3 वर्ष करना न्यायोचित है ।

संतोष कुमार राठौर और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 115

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8, 32, 45 और 106] – हत्या –

पृष्ठ संख्या

पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से अपने पिता और दादी की हत्या – अभियुक्त द्वारा मृतकों से मकान में हिस्सा पाने की प्राय: मांग किया जाना – अभियुक्त की घटना के दिन ही गिरफ्तारी – अभियुक्त के वस्त्रों पर मृतकों का रक्त पाया जाना – अभियुक्त-अपीलार्थी मृतकों से झगड़ा किया करता था कि वे अपना मकान बेचकर उसका हिस्सा उसे दे दें और पड़ोसियों ने उसे यह कहते हुए भी सुना था कि उसने मृतकों की हत्या करके झगड़े का अंत कर दिया है और साथ ही अभियुक्त को रक्तरंजित कपड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया जिन पर मृतकों का रक्त पाया गया और इस संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अत: अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

अशोक कुमार उर्फ **अशोकी** बनाम **राजस्थान राज्य** 136

– धारा 302 और 300 का 'तीसरा' [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा हमला किए जाने की पुष्टि – मृत्यु का कारण आघात और रक्तस्राव पाया जाना – मृतक द्वारा प्रकोपन किए जाने की पुष्टि न होना – दुर्घटनात्मक या अनाशयित हमले का साबित न होना – अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर पीछे से आकर लकड़ी के डंडे से अचानक वार किया गया है जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य से होती है और साथ ही अभियुक्त के प्रकोपित किए जाने तथा

पृष्ठ संख्या

अनाशयित हमला किए जाने का साक्ष्य भी नहीं पाया गया है, अत: ऐसी स्थिति में हत्या के अपराध के लिए की गई अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

मजीदुल इस्लाम बनाम **असम राज्य** 34

– धारा 304ख और धारा 498क [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4] – क्रूरता और दहेज की मांग – पीड़ित महिला द्‌वारा स्वयं पर डीजल छिड़ककर आग लगाना – मृत्युकालिक कथन – अपीलार्थियों द्‌वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना और दाह करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाना – अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह साबित होना कि दहेज की मांग को लेकर मृतक को प्रताड़ित किया गया था – किंतु साथ ही यह बात भी साबित होना कि दो अभियुक्त अर्थात् मृतक का जेठ और जेठानी पृथक् घर में निवास कर रहे थे और उनका व्यवसाय भी पृथक् था और उन्होंने कभी भी दहेज की मांग नहीं की थी – अत: इन दो अभियुक्तों की दोषसिद्धि का सर्वथा उचित होना उक्त दो अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं – जबकि अन्य अभियुक्तों अर्थात् मृतक के पति और सास की दहेज की मांग से संबंधित दोषसिद्धि सर्वथा उचित है – क्योंकि अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह तथ्य साबित हो जाता है कि उन्होंने दहेज की मांग को लेकर मृतक को प्रताड़ित किया था – यहां तक कि मृत्युकालिक घोषणा में भी मृतक ने दहेज की मांग का उल्लेख किया है – यद्‌यपि मृतक की सास के अत्यंत

पृष्ठ संख्या

वृद्ध होने के कारण कारावास की अवधि को घटाना उपयुक्त है ।

राजेश त्रेहन और अन्य बनाम **उत्तराखंड राज्य** 1

– धारा 304ख – दहेज मृत्यु या आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करना – मृतक के पति और सास पर यह आरोप लगाया जाना कि उनके द्वारा दहेज की मांग के चलते प्रताड़ित किए जाने पर मृतक ने आत्महत्या की – साक्ष्य के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने पर यह साबित होना कि आत्महत्या किए जाने से तुरंत पूर्व दहेज के लिए क्रूरता या तंग किया जाना समुचित रूप से साबित नहीं हो सका था – स्वयं मृत्युकालिक घोषणा में यह उल्लेख है कि मैंने अपने पति से छुट-पुट विवाद होने पर स्वयं का अग्नि दाह किया है – अत: धारा 304ख का वर्तमान मामले में लागू न होना – इसकी बजाय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

राजेश त्रेहन और अन्य बनाम **उत्तराखंड राज्य** 1

– धारा 379 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 24] – चोरी – साक्ष्य का मूल्यांकन – यात्रा के दौरान अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता का हैंडबैग चोरी किया जाना – चोरी किए गए सामान की बरामदगी – शिकायतकर्ता द्वारा सामान की शनाख्त – अन्य साक्षियों के साक्ष्य द्वारा शिकायतकर्ता के साक्ष्य की संपुष्टि – अभियुक्त द्वारा अपना दोष संस्वीकृत किया जाना – साक्षियों के साक्ष्य में तुच्छ विरोधाभास – चोरी किया गया सामान अभियुक्त

पृष्ठ संख्या

के कब्जे से बरामद किया गया है जिसकी शनाख्त शिकायतकर्ता द्वारा की गई है और साक्षियों के साक्ष्य में तुच्छ विरोधाभास हैं जिन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता और साथ ही उनके साक्ष्य से शिकायतकर्ता के साक्ष्य की अन्य बिंदुओं पर संपुष्टि होती है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

एम. त्रिमूर्ति बनाम **राज्य द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक कोयंबटूर** 95

– धारा 489ग [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 27, 106 और 114(ज)] – कूटकृत करेंसी को कब्जे में रखना – सबूत – कई नोटों पर एक जैसा क्रमांक मुद्रित पाया जाना – प्रकटीकरण के आधार पर जाली नोटों की बरामदगी – साक्षियों और अभियुक्तों के बीच शत्रुता का न पाया जाना – अभियुक्तों के प्रकटीकरण कथन के आधार पर नोटों की बरामदगी उनके अपने स्थान से हुई है और नोटों की जांच बैंक नोट प्रेस द्वारा कराए जाने पर उन्हें कूटकृत पाया गया है और अभियुक्त-अपीलार्थियों के एकमात्र भानपूर्ण कब्जे में इन नोटों के पाए जाने के संबंध में उनकी ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अतः अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

संतोष कुमार राठौर और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 115

– धारा 498क और 304ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – क्रूरता और दहेज

पृष्ठ संख्या

मृत्यु – साक्ष्य का मूल्यांकन – दहेज की मांग को लेकर अभियुक्त पति द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता और उसकी हत्या किए जाने का अभिकथन – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का न होना – शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक और अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न कराना – घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक तथा अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा नहीं कराई गई है और साथ ही कुछ ऐसे साक्षियों की परीक्षा कराई गई है जिनका कोई भी बयान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं किया गया था और कुछ ऐसे साक्षियों की परीक्षा नहीं कराई गई है जिनके बयान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए थे तथा इसके साथ-साथ पड़ोसियों द्वारा भी दहेज हत्या के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त-प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति न्यायोचित है ।

राम स्वरूप महतो बनाम **बिहार राज्य** 66

राजेश त्रेहन और अन्य

बनाम

उत्तराखंड राज्य

(2006 की दांडिक अपील सं. 283)

तारीख 12 मई, 2020

न्यायमूर्ति आर. सी. खुलबे

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख और धारा 498क [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4] – क्रूरता और दहेज की मांग – पीड़ित महिला द्वारा स्वयं पर डीजल छिड़ककर आग लगाना – मृत्युकालिक कथन – अपीलार्थियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना और दाह करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाना – अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह साबित होना कि दहेज की मांग को लेकर मृतक को प्रताड़ित किया गया था – किंतु साथ ही यह बात भी साबित होना कि दो अभियुक्त अर्थात् मृतक का जेठ और जेठानी पृथक् घर में निवास कर रहे थे और उनका व्यवसाय भी पृथक् था और उन्होंने कभी भी दहेज की मांग नहीं की थी – अत: इन दो अभियुक्तों की दोषसिद्धि का सर्वथा उचित होना उक्त दो अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं – जबकि अन्य अभियुक्तों अर्थात् मृतक के पति और सास की दहेज की मांग से संबंधित दोषसिद्धि सर्वथा उचित है – क्योंकि अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह तथ्य साबित हो जाता है कि उन्होंने दहेज की मांग को लेकर मृतक को प्रताड़ित किया था – यहां तक कि मृत्युकालिक घोषणा में भी मृतक ने दहेज की मांग का उल्लेख किया है – यद्यपि मृतक की सास के अत्यंत वृद्ध होने के कारण कारावास की अवधि को घटाना उपयुक्त है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 304ख – दहेज मृत्यु या आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करना – मृतक के पति और सास पर यह आरोप लगाया जाना कि उनके द्वारा दहेज की मांग के चलते प्रताड़ित किए जाने पर मृतक ने आत्महत्या की – साक्ष्य के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने पर यह साबित होना कि आत्महत्या किए जाने से तुरंत पूर्व दहेज के लिए क्रूरता या तंग किया जाना समुचित रूप से साबित नहीं हो सका था – स्वयं मृत्युकालिक घोषणा में यह उल्लेख है कि मैंने अपने पति से छुट-पुट विवाद होने पर स्वयं का अग्नि दाह किया है – अतः धारा 304ख का वर्तमान मामले में लागू न होना – इसकी बजाय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं, अरुण कुमार ने थाना अधिकारी, विकास नगर, जिला देहरादून के समक्ष एक आवेदन (अभि. सा. 1) प्रस्तुत किया था जिसमें यह कथन किया गया था कि उसकी बहिन ऋतु का विवाह तारीख 4 दिसंबर, 1998 को राजेश त्रेहन के साथ नई दिल्ली में अनुष्ठापित किया गया था । विवाह के कुछ दिनों के पश्चात् नरेश त्रेहन का बहनोई प्रवेश कुमार और बहिन सुनीता **उर्फ** बबली उनके घर आए और उन्होंने यह कथन किया कि अभियुक्त की माता, भाई सुनील **उर्फ** टीटू और बहिन अंजु विवाह में दहेज के रूप में अत्यंत कम वस्तुएं और नकदी दिए जाने के संबंध में शिकायत कर रहे थे । यह सुनकर उसने यह कथन किया कि उसने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज के रूप में वस्तुओं और नकदी का संदाय किया था । इसके पश्चात् राजेश और उसके कुटुंब के सदस्यों ने परिवादी की बहिन ऋतु का मानसिक उत्पीड़न आरंभ कर दिया और उससे दहेज की मांग की तथा यह मांग पूरी न किए जाने पर उन्होंने ऋतु को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देना आरंभ कर दिया । इस प्रकार उसकी बहिन के साथ मारपीट और गाली-गलौज किया जाना उसकी दिनचर्या बन गई । एक दिन ऋतु ने फोन करके उन्हें अपनी इस यातना के संबंध में सूचित किया । उसकी व्यथा सुनकर वे विकास नगर स्थित ऋतु के घर गए और वहां उन्होंने उसके ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत की और उसके पश्चात् वे ऋतु को अपने साथ दिल्ली ले आए ।

कुछ दिनों के पश्चात् राजेश की माता, बहिन, भाई, भाभी और उसके मामा इंद्रजीत नंदा, जिसने इस विवाह को अनुष्ठापित करवाया था, उनके घर आए और उनके बीच बातचीत के पश्चात् इस मामले में परस्पर समझौता हो गया जिसके कारण ऋतु को पुन: उसके ससुराल भेज दिया गया । किंतु कुछ दिनों के पश्चात् उन लोगों ने पुन: ऋतु को यातनाएं देना आरंभ कर दिया और इस बार वे एक मारुति कार की मांग कर रहे थे । ऋतु ने अपने भाई को फोन के द्वारा यह सूचित किया कि इस मांग को पूरा न किए जाने पर उसके ससुराल पक्ष के लोग उसकी पिटाई करते हैं और उसे भूखा रखते हैं तथा उसके पति, सास, भाई और भाभी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी । प्रदर्श क-1 में यह भी कथन किया गया है कि तारीख 15 अप्रैल, 1999 को प्रात: लगभग 5.30 बजे राजेश के मामा इंद्रजीत और भाभी ने उन्हें ऋतु के जल जाने के तथ्य के संबंध में सूचित किया और उन्हें यह भी सूचना दी कि उसे उपचार हेतु पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया था । वहां पहुंचने पर ऋतु ने परिवादी को यह सूचित किया कि पिछले चार दिनों से उसकी ससुराल के लोग उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और उसने उनकी यातनाओं से व्यथित होकर स्वयं को आग लगा ली थी । इन प्रकथनों के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । इसके पश्चात् इस मामले का अन्वेषण किया गया और अन्वेषण के पूरा हो जाने पर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए । उक्त आरोप पत्रों के अनुसार विद्वान् सेशन न्यायाधीश देहरादून ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख, 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन आरोप विरचित किए । अपीलार्थियों को ये आरोप पढ़कर सुनाए गए तथा उनके संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण भी प्रदान किया गया । सभी अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए सभी अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराया तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उक्त निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वर्ष 2006

की दांडिक अपील सं. 283 फाइल की । उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में जब मृतक को पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार हेतु दाखिल किया गया था उस समय उसकी मृत्युकालिक घोषणा को श्रीमती जितेन्द्र वालिया (अभि. सा. 11), न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया गया था जो प्रदर्श क-11 पर है । प्रदर्श क-11 पर स्थित मृत्युकालिक घोषणा के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक ने मजिस्ट्रेट के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि "कल रात मेरा किसी छुट-पुट मामले को लेकर मेरे पति के साथ विवाद हो गया था इसलिए मैंने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर स्वयं को आग लगा ली" अपने कथन के अंत में उसने यह भी कहा कि "मैंने स्वयं को इसलिए आग लगाई क्योंकि मैं मेरे कुटुंब द्वारा बार-बार दहेज की मांग किए जाने से तंग आ चुकी थी" । उपरोक्त मृत्युकालिक घोषणा के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक ऋतु अभियुक्त राजेश द्वारा किए जा रहे उसके प्रपीड़न से तंग आ चुकी थी और जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर स्वयं को आग लगा ली । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि पिछली रात किसी छुट-पुट मामले के संबंध में उसका अपने पति से कोई विवाद हुआ था जिसके कारण उसने यह कड़ा कदम उठाया था । दंड संहिता की धारा 304ख के उपबंधों को आकर्षित करने के लिए अपराध के उन मुख्य घटकों में से एक घटक, जिसे स्थापित किया जाना अपेक्षित है, यह है कि 'मृत्यु से तुरंत पूर्व' मृतक के साथ 'दहेज की मांग के संबंध में' क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था । किंतु वर्तमान मामले में इस बात का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृतक को 'उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व' उसके पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रपीड़ित या तंग किया गया था क्योंकि मृत्युकालिक घोषणा के अनुसार उसका अपने पति के साथ किसी छुट-पुट बात पर पूर्ववर्ती रात को कोई विवाद हुआ था । अपने कथन में उसने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि उसके पति ने 'उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व' उससे दहेज की मांग की थी । यद्यपि मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवाह के पश्चात् उसके पति और सास ने उसे तंग

किया था और दहेज के रूप में एक कार की मांग की थी । किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अभियुक्त राजेश ने 'उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व' कार की मांग की थी अथवा नहीं । यह साबित करने के लिए कोई अकाट्य साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त राजेश त्रेहन ने 'उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व' उससे दहेज की मांग की थी या उसे तंग किया था । अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस संबंध में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जो यह उपदर्शित करे कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन कोई अपराध कारित हुआ है । अत: अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय कोई अपराध साबित नहीं हो सका है । साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक ने इसलिए आत्म-हत्या की क्योंकि पूर्ववर्ती रात अर्थात् तारीख 14 अप्रैल, 1999 को उसका अपने पति राजेश त्रेहन से विवाद हुआ था और मृतक को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और यहां तक कि उसे भोजन भी नहीं दिया गया था और इस प्रपीड़न के कारण उसने स्वयं पर डीजल छिड़ककर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया था । दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए उसके घटक आत्म-हत्या के कारण हुई मृत्यु और उसका दुष्प्रेरण हैं । यद्यपि संहिता में आत्म-हत्या की परिभाषा उपबंधित नहीं की गई है किंतु 'सुई' से 'स्व:' अभिप्रेत है और 'साइड' से 'जान से मारना' अभिप्रेत है । इस प्रकार इस पूर्ण शब्द से 'स्वयं की जान लेना' अभिप्रेत है । संक्षिप्त रूप से आत्महत्या करने वाले किसी व्यक्ति को यह कृत्य, उसके द्वारा स्वयं की जान लेने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनाए गए माध्यम पर ध्यान न देते हुए, स्वयं करना होगा । साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि ऋतु ने उसके पति राजेश द्वारा किए जा रहे प्रपीड़न के कारण आत्म-हत्या की है । यह सत्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 किसी न्यायालय को किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने का हकदार बनाती है जो उस अपराध, जिसके लिए उसका विचारण किया जा रहा है, से छोटा अपराध है । वर्तमान मामले में यद्यपि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा कोई आरोप

विरचित नहीं किया गया है किंतु यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र आरोप को विरचित किए जाने में होने वाले किसी लोप या त्रुटि के कारण कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने में असमर्थ नहीं होगा जो अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य के आधार पर उसके विरुद्ध साबित हो गया है । ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी राजेश को दंड संहिता की धारा 304ख की बजाय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाना न्याय के हित में होगा । इन परिस्थितियों में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त राजेश त्रेहन दंड संहिता की धारा 304ख की बजाय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन सिद्धदोष ठहराए जाने के लिए दायी है । जहां तक अपीलार्थी राजेश त्रेहन के विरुद्ध दंडादेश का संबंध है, यह घटना वर्ष 1999 में घटित हुई थी और उसे हुए 20 से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । बहस के दौरान अपीलार्थी और साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाले दोनों विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी राजेश त्रेहन ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया और घटना के पश्चात् से वह अपनी पुत्री के साथ रह रहा है । इन परिस्थितियों में दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास न्यायोचित है । अपीलार्थी श्रीमती कांता रानी **उर्फ** शकुंतला एक वृद्ध और दुर्बल महिला है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसके कथन को 29 अक्तूबर, 2005 को लेखबद्ध किया गया था और उस समय वह 60 वर्ष की थी । तद्नुसार यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में वह 75 वर्ष से अधिक आयु की है । उसकी आयु और उसकी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके लिए दंड संहिता की धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए छह मास का कारावास पर्याप्त है । उपरोक्त संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है । अपीलार्थी राजेश त्रेहन को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है जबकि उसे दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और उसके विरुद्ध एक वर्ष के

कठोर कारावास तथा 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए मात्र) के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश पारित किया जाता है । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर वह तीन मास के अतिरिक्त कारावास को भुगतेगा । दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कायम रहेंगे और दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । अपीलार्थी श्रीमती कांता रानी **उर्फ** शकुंतला दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए छह मास का कारावास भुगतेगी । विचारण न्यायालय द्वारा उस पर अधिरोपित जुर्माना कायम रहेगा । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर वह एक मास के अतिरिक्त कारावास को भुगतेगी । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । अपीलार्थी श्रीमती अंजु और सुनील **उर्फ** टीटू को, यहां ऊपर निर्णय में किए गए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त किया जाता है । उनके जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है । (पैरा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 और 63)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	(2006) 13 एस. सी. सी. 165 : **शाम शंकर कंकरिया** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	34
[2003]	(2003) 8 एस. सी. सी. 80 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2865 : **हीरा लाल** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र), दिल्ली** ;	30
[2001]	(2001) 8 एस. सी. सी. 633 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2828 = 2001 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3793 : **सतवीर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ।	29

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 283.

अपर सेशन न्यायाधीश, देहरादून द्वारा 2000 के सेशन मामला सं. 6 में तारीख 18 दिसंबर, 2006 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री रामजी श्रीवास्तव और शंकर अग्रवाल

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री ममता जोशी और श्री आदित्य सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. सी. खुलबे ने दिया ।

न्या. खुलबे – वर्ष 2000 के सेशन मामला सं. 06 में अपर सेशन न्यायाधीश, देहरादून द्वारा तारीख 18 दिसंबर, 2006 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(1)(3) के अधीन अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई है । जिसके द्वारा निचले न्यायालय ने अपीलार्थी राजेश त्रेहन को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ""दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 498क और 304ख के अधीन सिद्धदोष ठहराया था और उसके विरुद्ध 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने का दंडादेश पारित किया गया था और जुर्माने में व्यतिक्रम की दशा में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निदेश दिया था और इसके अतिरिक्त उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (1961 का 28) की धारा 4 के अधीन भी सिद्धदोष ठहराया गया था और उसके विरुद्ध 5,000/- रुपए के जुर्माने सहित एक वर्ष के कारावास को भोगने का दंडादेश पारित किया था और जुर्माने में व्यतिक्रम की दशा में उसे तीन मास का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निदेश दिया गया था ।

2. अपीलार्थी कांता रानी **उर्फ** शकुंतला, सुनील **उर्फ** टीटू और श्रीमती अंजु को भी दंड संहिता की धारा 498क के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने का दंडादेश पारित किया गया है और जुर्माने में

व्यतिक्रम की दशा में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निदेश दिया गया है । इसके अतिरिक्त उक्त तीनों व्यक्तियों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन भी सिद्धदोष ठहराया गया और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध 5,000/- के जुर्माने सहित एक वर्ष के कारावास का दंडादेश पारित किया गया है और जुर्माने में व्यतिक्रम की दशा में उन्हें तीन मास का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निदेश दिया गया ।

3. इस मामले के तथ्य संक्षिप्त रूप में ये हैं कि अरुण कुमार ने थाना अधिकारी, विकास नगर, जिला देहरादून के समक्ष एक आवेदन (अभि. सा. 1) प्रस्तुत किया था जिसमें यह कथन किया गया था कि उसकी बहिन ऋतु का विवाह तारीख 4 दिसंबर, 1998 को राजेश त्रेहन के साथ नई दिल्ली में अनुष्ठापित किया गया था । विवाह के कुछ दिनों के पश्चात् नरेश त्रेहन का बहनोई प्रवेश कुमार और बहिन सुनीता **उर्फ** बबली उनके घर आए और उन्होंने यह कथन किया कि अभियुक्त की माता, भाई सुनील **उर्फ** टीटू और बहिन अंजु विवाह में दहेज के रूप में अत्यंत कम वस्तुएं और नकदी दिए जाने के संबंध में शिकायत कर रहे थे । यह सुनकर उसने यह कथन किया कि उसने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज के रूप में वस्तुओं और नकदी का संदाय किया था । इसके पश्चात् राजेश और उसके कुटुंब के सदस्यों ने परिवादी की बहिन ऋतु का मानसिक उत्पीड़न आरंभ कर दिया और उससे दहेज की मांग की तथा यह मांग पूरी न किए जाने पर उन्होंने ऋतु को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देना आरंभ कर दिया । इस प्रकार उसकी बहिन के साथ मारपीट और गाली-गलौज किया जाना उसकी दिनचर्या बन गई । एक दिन ऋतु ने फोन करके उन्हें अपनी इस यातना के संबंध में सूचित किया । उसकी व्यथा सुनकर वे विकास नगर स्थित ऋतु के घर गए और वहां उन्होंने उसके ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत की और उसके पश्चात् वे ऋतु को अपने साथ दिल्ली ले आए । कुछ दिनों के पश्चात् राजेश की माता, बहिन, भाई, भाभी और उसके मामा इंद्रजीत नंदा, जिन्होंने विवाह करवाया था, उनके घर आए और उनके बीच बातचीत के पश्चात् इस मामले में परस्पर समझौता हो गया जिसके कारण ऋतु को

पुनः उसके ससुराल भेज दिया गया । किंतु कुछ दिनों के पश्चात् उन लोगों ने पुनः ऋतु को यातनाएं देना आरंभ कर दिया और इस बार वे एक मारुति कार की मांग कर रहे थे । ऋतु ने अपने भाई को फोन के द्वारा यह सूचित किया कि इस मांग को पूरा न किए जाने पर उसके ससुराल पक्ष के लोग उसकी पिटाई करते हैं और उसे भूखा रखते हैं तथा उसके पति, सास, भाई और भाभी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी । प्रदर्श क-1 में यह भी कथन किया गया है कि तारीख 15 अप्रैल, 1999 को प्रातः लगभग 5.30 बजे राजेश के मामा इंद्रजीत और भाभी ने उन्हें ऋतु के जल जाने के तथ्य के संबंध में सूचित किया और उन्हें यह भी सूचना दी कि उसे उपचार हेतु पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया था । वहां पहुंचने पर ऋतु ने परिवादी को यह सूचित किया कि पिछले चार दिनों से उसकी ससुराल के लोग उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और उसने उनकी यातनाओं से व्यथित होकर स्वयं को आग लगा ली थी । इन प्रकथनों के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई ।

4. इसके पश्चात् इस मामले का अन्वेषण किया गया और अन्वेषण के पूरा हो जाने पर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए ।

5. उक्त आरोप पत्रों के अनुसार विद्वान् सेशन न्यायाधीश, देहरादून ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख, 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन आरोप विरचित किए । अपीलार्थियों को ये आरोप पढ़कर सुनाए गए तथा उनके संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण भी प्रदान किया गया । सभी अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अरुण कुमार (अभि. सा. 1), दीपक कपूर (अभि. सा. 2), डाक्टर ए. के. चौबे (अभि. सा. 3), पूर्ण सिंह रावत (अभि. सा. 4), ठाकुर दास, (अभि. सा. 5), चंद्र प्रकाश (अभि. सा. 6), सोमनाथ (अभि. सा. 7), परवेज

खान (अभि. सा. 8), देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9), श्रीमती आशा, (अभि. सा. 10), श्रीमती जितेन्द्र वालिया, (अभि. सा. 11), पूजा कपूर (अभि. सा. 12) उप अधीक्षक कल्पना सक्सेना (अभि. सा. 13) और डाक्टर एस. एस. रावत (अभि. सा. 14) की परीक्षा की ।

7. अभियोजन साक्ष्य के समाप्त होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता 313 के अधीन अभियुक्तों-अपीलार्थियों के कथनों को लेखबद्ध किया गया जिसमें उन्होंने अभियोजन द्वारा लगाए गए अभिकथनों से इनकार किया ।

8. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से (प्र. सा. 1) अब्दुल वासित को पेश किया गया जिसने मृतक ऋतु द्वारा दी गई मृत्युकालिक घोषणा को साबित किया, जो प्रदर्श ख-1 पर है (पत्र सं. 142क) ।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को ध्यानपूर्वक सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

10. अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के अनुसार अरुण कुमार (अभि. सा. 1), जो मृतक का भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसकी बहिन का विवाह अभियुक्त राजेश त्रेहन के साथ तारीख 4 दिसंबर, 1997 को दिल्ली में अनुष्ठापित किया गया था और वह विवाह के पश्चात् निवास हेतु विकास नगर स्थित अपने ससुराल के गृह चली गई थी । उन दिनों उसके ससुराल वाले घर में उसकी सास श्रीमती कांता, उसका जेठ सुनील **उर्फ** टीटू और उसकी भाभी श्रीमती अंजु उसके साथ रहते थे । विवाह से केवल 20-25 दिनों के पश्चात् ही अभियुक्त सुनीता और प्रवेश दिल्ली स्थित उसके घर में आए और उन्होंने यह कथन किया कि विवाह के दौरान दहेज में दी गई वस्तुएं काफी कम थीं । उन्होंने राजेश को यह भी कहा कि उसकी माता कांता रानी, भाई सुनील **उर्फ** टीटू और अंजु प्राप्त हुए दहेज से प्रसन्न नहीं थे और उन्हें उनकी आशा के अनुरूप दहेज प्राप्त नहीं हुआ था । उसने हाथ जोड़कर यह उत्तर दिया कि उसने अपनी हैसियत से बहुत

अधिक दहेज दिया था । इसके उपरांत अभियुक्त व्यक्ति वापस चले गए और उसके पश्चात् उसकी बहिन ऋतु ने टेलीफोन करके उसे यह सूचित किया कि वह अत्यधिक दुखी थी क्योंकि उसका पति राजेश त्रेहन, उसकी माता, भाई और भाभी कम दहेज लाने के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे थे । उन्होंने उसे यह कहा था कि उन्होंने दहेज में एक मारुति कार की आशा की थी जो उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी । इस साक्षी ने उस समय अपनी बहिन को इस बात के लिए मनाया कि वह उसके पास दिल्ली आ जाए और फिर सभी बातों के संबंध में समझौता किया जा सकेगा । अगस्त, 1998 में जब वह अपनी बहिन ऋतु के ससुराल गया तो उसने उसकी आंख पर क्षति का एक चिह्न देखा । उसके द्वारा पूछे जाने पर उसकी बहिन ने उसे यह बताया कि उसके ससुराल के लोग एक मारुति कार की मांग कर रहे थे और इस कारण से उसके पति राजेश ने उसकी बुरी तरह पिटाई की है । इसके पश्चात् वह अपनी बहिन को लेकर दिल्ली आ गया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके पश्चात् अभियुक्त राजेश, उसकी माता कांता रानी, उसका बहनोई प्रवेश, उसकी बहिन सुनीता **उर्फ** बबली और मामा इंद्रजीत नंदा उनके घर आए और उन्होंने यह अनुरोध किया कि वे ऋतु को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और उन्होंने इस प्रभाव का एक लिखित आश्वासन (प्रदर्श क-2) लिखित में तैयार किया जिस पर राजेश त्रेहन के हस्ताक्षर भी हैं । उसके पश्चात् उसने अपनी बहिन ऋतु (मृतक) को उनके साथ देहरादून भेज दिया । किंतु कुछ समय पश्चात् अभियुक्त सुनीता **उर्फ** बबली तथा प्रवेश कुमार पुन: उसके घर आए और उन्होंने उससे यह कहा कि जब तक उनकी मारुति कार की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ऋतु अपने घर प्रसन्नता से नहीं रह सकेगी । उसने अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ इस मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई किंतु फिर भी उसने उन्हें सोने की एक चेन के साथ 10,000/- रुपए की नकद रकम का भी संदाय किया । उसके पश्चात् ऋतु ने पुन: फोन द्वारा यह सूचित किया कि उसके ससुराल के लोग अभी भी उसकी पिटाई करते हैं और मारुति कार से संबंधित उनकी मांग

ज्यों की त्यों बनी हुई है । 10,000/- रुपए की नकद रकम और सोने की एक चेन दिए जाने के तथ्य के संबंध में ऋतु ने उन्हें यह सूचित किया कि इससे उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था । तत्पश्चात् तारीख 15 अप्रैल,1999 को प्रातः 5.30 बजे अभियुक्त इंद्रजीत नंदा और प्रवेश उसके घर आए और उसे यह सूचित किया कि ऋतु जल गई है और उसे उपचार हेतु पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया है । उसके पश्चात् वे लोग तुरंत चंडीगढ़ पहुंचे और वहां उन्होंने पीजीआई में डाक्टर से ऋतु की हालत के बारे में पूछताछ की तो डाक्टर ने उन्हें बताया कि ऋतु का शरीर 80-90 प्रतिशत तक जल गया था । इस साक्षी ने चंडीगढ़ में मजिस्ट्रेट द्वारा ऋतु के कथन को लेखबद्ध किए जाने के बारे में भी बताया है । यह भी सूचित किया गया है कि जब ऋतु से उसके जलने का कारण पूछा गया था तो उसने यह कथन किया था कि उसे चार दिन तक भूखा-प्यासा रखा गया था और साथ ही उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई थीं और इस प्रकार उत्प्रेरित किए जाने पर उसने स्वयं को आग लगा ली थी । इस साक्षी ने पुलिस थाना विकास नगर, देहरादून में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई जो प्रदर्श क-1 के रूप में है । इस साक्षी ने प्रदर्श 1-13 पर स्थित उसकी बहिन और अभियुक्त के विवाह से संबंधित फोटोग्राफों को भी साबित किया है ।

11. दीपक कपूर (अभि. सा. 2) भी मृतक का एक अन्य भाई है जिसने अरुण कुमार (अभि. सा. 1) के साक्ष्य को दोहराया है ।

12. डाक्टर ए. के. चौबे (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 15 अप्रैल, 1999 को वह कृष्णा नर्सिंग होम, विकास नगर में उपस्थित था । उस दिन अभियुक्त राजेश और उसके नातेदार ऋतु को उसके अस्पताल में उपचार हेतु लाए थे और उस समय ऋतु का शरीर लगभग 85 प्रतिशत जला हुआ था । उसकी हालत गंभीर थी । आरंभिक उपचार के पश्चात् उसे किसी बड़े अस्पताल, अर्थात् दून अस्पताल या पीजीआई चंडीगढ़ को निर्दिष्ट किया गया था । उसके द्वारा इस प्रभाव का एक प्रमाण-पत्र तारीख 24 अप्रैल, 1999 को अन्वेषण अधिकारी को उपलब्ध कराया गया था, जो प्रदर्श क-3 पर है ।

13. पूर्ण सिंह रावत (अभि. सा. 4) और परवेज खान (अभि. सा. 8) दोनों ही जेरी केन और माचिस की डिब्बी की बरामदगी के ज्ञापन के साक्षी हैं किंतु उन दोनों ने ही अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था ।

14. ठाकुर दास (अभि. सा. 5) प्रदर्श क-9 पर स्थित मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट का साक्षी है ।

15. चंद्र प्रकाश (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका कार्यालय दीपक कपूर के कार्यालय के निकट स्थित है और उसका दीपक कपूर के यहां आना-जाना है इसलिए वह उसकी बहिन ऋतु से परिचित था । ऋतु ने उसे भी उसके ससुराल पक्ष के साथ हुए विवाद के संबंध में बताया था । उसके पश्चात् दोनों पक्षों के बीच एक परस्पर समझौता हो गया था ।

16. सोमनाथ (अभि. सा. 7) ने यह कथन किया है कि अरुण कपूर और दीपक कपूर का पड़ौसी होने के नाते उसका उनके घर आना-जाना था । ऋतु का विवाह राजेश के साथ अंबेडकर भवन में एक वैभवपूर्ण रीति में अनुष्ठापित हुआ था । विवाह के कुछ समय पश्चात् ऋतु ने उसे बताया था कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसका उत्पीड़न कर रहे थे और वे दहेज के रूप में उससे एक कार की मांग कर रहे थे । इस संबंध में अभियुक्त ने एक समझौता-पत्र भी अभिलिखित किया था ।

17. देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) बलौनिया ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 22 अप्रैल, 1999 को श्रीमती ऋतु की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट उसके पर्यवेक्षणाधीन तैयार की गई जो प्रदर्श क-9 पर है । पंच की राय के आधार पर मृतक के शव को शव-परीक्षा हेतु भेजा गया ।

18. अभियोजन ने अभियुक्त के घर में नौकरानी का कार्य करने वाली आशा को अभि. सा. 10 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया किंतु उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि ऋतु की मृत्यु किस प्रकार हुई ।

19. अभि. सा. 11 श्रीमती जितेन्द्र वालिया हैं, जो एक न्यायिक

मजिस्ट्रेट हैं और जिन्होंने यह कथन किया है कि तारीख 15 अप्रैल, 1999 को वह एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में चंडीगढ़ में तैनात थी । उस दिन उपनिरीक्षक चरणजीत सिंह ने उसके समक्ष एक अनुरोध-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें श्रीमती ऋतु की मृत्युकालिक घोषणा को लेखबद्ध करने का अनुरोध किया गया था । उस समय श्रीमती ऋतु पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार हेतु दाखिल थी । उन्होंने आगे यह और कथन किया कि वह पीजीआई चंडीगढ़ गईं और उन्होंने डाक्टर से मृतक द्वारा अभिसाक्ष्य दिए जाने के सामर्थ्य के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसने श्रीमती ऋतु के कथन को लेखबद्ध किया, जो प्रदर्श क-11 पर है ।

20. पूजा कपूर (अभि. सा. 12) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ऋतु उसकी ननद थी और उसका विवाह 1997 में विकास नगर, देहरादून के निवासी राजेश त्रेहन के साथ अनुष्ठापित हुआ था । ऋतु इस विवाह से प्रसन्न नहीं थी । उसकी सास, जेठ और भाभी दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया करते थे । इस संबंध में अभियुक्त ने एक माफी-नामा भी अभिलिखित किया था ।

21. कल्पना सक्सेना (अभि. सा. 13) पुलिस उप अधीक्षक हैं जो वर्ष 1999 में सर्कल अधिकारी, विकास नगर के रूप में तैनात थीं और उसने यह कथन किया है कि उसे उप-निरीक्षक हरदीप सिंह, जो उसके साथ तैनात था, से अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई । उसने उप निरीक्षक हरदीप सिंह द्वारा तैयार किए गए स्थल-नक्शे को साबित किया जो प्रदर्श क-12 पर है । उसने इस तथ्य को भी साबित किया कि साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया गया और अन्वेषण के पूरा हो जाने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए जो प्रदर्श क-13 से क-15 पर हैं ।

22. डाक्टर सुरेन्द्र सिंह रावत (अभि. सा. 14) ने शव-परीक्षा रिपोर्ट को साबित किया जो प्रदर्श क-17 पर है ।

23. मैंने प्रत्येक पक्षकार के विद्वान् काउंसेल को ध्यानपूर्वक सुना

है जिन्होंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के माध्यम से अपना-अपना पक्ष मेरे सामने प्रस्तुत किया है ।

24. अपील के समर्थन में श्री रामजी श्रीवास्तव, जो अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल हैं, ने यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है और वह यह साबित नहीं कर सका है कि अपीलार्थियों ने किसी भी समय दहेज की मांग की थी या उन्होंने मृतक के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया था या उसका उत्पीड़न किया था और अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया है कि ऋतु की मृत्यु से तुरंत पूर्व दहेज या उससे संबंधित कोई अन्य मांग की गई थी और इसलिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी विश्वसनीय साक्ष्य की अनुपस्थिति में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पूर्णतया अनुचित है ।

25. इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क सामने रखा कि दंड संहिता की धारा 304ख को साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के संदर्भ में पढ़ा जाना अपेक्षित है । न्यायालय मृतक की मृत्यु के संबंध में यह उपधारणा बना सकता है कि वह दहेज संबंधी मृत्यु है और न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह यह उपधारणा बना सके कि अपीलार्थी राजेश मृतक का पति होने के कारण मृतक की दहेज संबंधी मृत्यु के लिए उत्तरदायी है ।

26. दंड संहिता की धारा 304ख 'दहेज मृत्यु' से संबंधित है जिसे सुविधा हेतु नीचे उद्धृत किया गया है :-

> "304ख. दहेज मृत्यु – (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है ।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।"

27. विधानमंडल ने दंड संहित में धारा 304ख अंत:स्थापित करने के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम में धारा 113ख भी अंत:स्थापित की है, जो निम्नानुसार है :–

"113ख. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'दहेज मृत्यु' का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304ख में है ।"

28. दंड संहिता की धारा 304ख के उपबंधों को लागू करने के लिए आधारिक घटक निम्नानुसार हैं :–

(1) स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गई थी या वह ऐसी परिस्थितियों में हुई थी जो सामान्य नहीं थी ;

(2) ऐसी मृत्यु विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर होती है ;

(3) पीड़ित स्त्री के साथ उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता की गई थी या तंग किया गया था ;

(4) इस प्रकार की क्रूरता या तंग किया जाना दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित होना चाहिए ; और

(5) यह सुस्थापित है कि ऐसी क्रूरता या इस प्रकार तंग किया जाना मृत्यु से पूर्व कारित किया गया था ।

29. किसी विवाहित स्त्री की अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में जैसा कि वर्तमान मामले में है, पति को दंड संहिता की धारा 302, 304ख और 306 के अधीन अभियोजित किया जा सकता है । यहां पूर्व में उल्लिखित एक या अन्य उपबंधों के अधीन अपराध को कारित किए जाने के संबंध में भिन्नता का प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष विचारार्थ आया था और उक्त न्यायालय ने **सतवीर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में इस प्रश्न पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि (एस. सी. सी. पृ. 643 पैरा 21-22) :-

"21. इस प्रकार दहेज से संबंधित तीन प्रकार के मामले हो सकते हैं । पहला मामला विवाह से पूर्व, दूसरा विवाह के समय और तीसरा विवाह के पश्चात् किसी भी समय सामने आ सकता है । तीसरे प्रकार में मामले की अवधि को सीमित नहीं किया जा सकता किंतु इस संबंध में महत्वपूर्ण शब्द ये हैं कि 'उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में' । इससे यह तात्पर्यित है कि ऊपर वर्णित तीनों प्रक्रमों में से किसी भी प्रक्रम पर पक्षकारों के विवाह के संबंध में कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दिया जाना या देने के लिए सहमति प्रदान करना । पति-पत्नी के बीच धन के संदाय या संपत्ति दिए जाने की अन्य घटनाएं भी संभव हैं । उदाहरण के लिए किसी बालक के जन्म के समय पारंपरिक रूप से किए जाने वाले संदाय या भिन्न-भिन्न समाजों या वर्गों में प्रचलित अन्य रीति-रिवाजों से संबंधित समारोहों के दौरान किए जाने वाले संदाय । इस प्रकार के संदायों को 'दहेज' के परिधि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है । इसलिए दंड संहिता की धारा 304ख में

[1] (2001) 8 एस. सी. सी. 633 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2828 = 2001 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3793.

उल्लिखित दहेज आवश्यक रूप से विवाह के संबंध में कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति प्रदान करना या प्रदान करने के लिए सहमति देना होना चाहिए ।

22. इस संबंध में धारा 304ख को आकर्षित करने के लिए केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि स्त्री को दहेज की मांग के साथ किसी समय तंग किया गया था या उसके साथ क्रूरता की गई थी । किंतु इस प्रकार की क्रूरता या तंग किया जाना उसकी मृत्यु से पूर्व होना चाहिए । उक्त पद नि:संदेह रूप से एक नमनीय पद है और वह किसी स्त्री की मृत्यु से तुरंत पूर्व की अवधि या उससे कुछ दिन या कुछ सप्ताह पूर्व की अवधि को निर्दिष्ट कर सकता है । किंतु उसकी मृत्यु से इन घटनाओं की निकटता को इस पद में महत्वपूर्ण रूप से उपदर्शित किया गया है । 'उसकी मृत्यु से पूर्व' शब्दों का प्रयोग करके समय की इस प्रकार की परिधि को उपबंधित करने के पीछे विधायी उद्देश्य इस विचार पर बल देना है कि उसकी मृत्यु सभी संभावनाओं के साथ ऐसी क्रूरता या तंग किए जाने के परिणामस्वरूप होनी चाहिए । अन्य शब्दों में उसकी मृत्यु और दहेज से संबंधित उसके साथ किए गए क्रूर व्यवहार या तंग किए जाने के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए । यदि इस प्रकार तंग किए जाने या क्रूर व्यवहार किए जाने और उसकी मृत्यु के बीच का अंतराल काफी बड़ा है तो न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होगा कि सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए इस प्रकार तंग किया जाना या क्रूरता दिखाना शायद उसकी मृत्यु का सटीक कारण नहीं था । इस प्रकार न्यायालय इस संबंध में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चित कर सकता है कि क्या किसी विशिष्ट मामले में उक्त अंतराल 'उसकी मृत्यु से पूर्व' शब्दों में उपबंधित अवधारणा को नकारने के लिए पर्याप्त था ।"

30. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हीरा लाल** बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र), दिल्ली[1] वाले मामले में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया है :–

> "......दंड संहिता की सारवान् धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम धारा 113ख में प्रयुक्त 'उसकी मृत्यु से पूर्व' पद का प्रयोग मृत्यु और क्रूरता के बीच निकटता के विचार को उपबंधित करने के लिए किया गया है । उक्त उपबंधों में किसी निश्चित अवधि को उपदर्शित नहीं किया गया है और 'तुरंत पूर्व' पद को भी परिभाषित नहीं किया गया है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत क में प्रयुक्त 'तुरंत पूर्व' पद के संबंध में किया गया प्रतिनिर्देश सुसंगत है । इसके द्वारा यह अधिकथित किया गया है कि कोई न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में 'चोरी के तुरंत पश्चात्' चोरी का माल है तो या तो वह स्वयं चोर है या उसने उस माल को यह जानते हुए प्राप्त किया है कि उन्हें चोरी किया गया है, जब तक कि वह अन्यथा रूप से उन्हें कब्जे में रखने का कोई अन्य उचित कारण प्रस्तुत न करे । 'तुरंत पूर्व' पद के संबंध में उसमें की जानी वाली अवधि को अवधारित नहीं किया गया है और यह कार्य प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अवधारित करने हेतु न्यायालयों को सौंपा गया है । तथापि, यह इंगित करना पर्याप्त है कि 'तुरंत पूर्व' पद से सामान्य रूप से ऐसा कोई अंतराल अभिप्रेत होना चाहिए जो संबंधित क्रूरता या तंग किए जाने और प्रश्नगत मृत्यु के बीच काफी अधिक अवधि के रूप में न हो । दहेज की मांग के आधार पर की गई क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच निकटता और प्रत्यक्ष संबंध विद्यमान होना चाहिए । यदि अभिकथित क्रूरता की घटना काफी समय पूर्व घटित हुई थी और वह इतनी पुरानी हो गई है कि वह संबद्ध स्त्री की मन:स्थिति को बाधित करने में समर्थ नहीं है तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा ।"

---

[1] (2003) 8 एस. सी. सी. 80 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2865.

31. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई है कि मृतक ऋतु द्वारा दो मृत्यु-कालिक घोषणाएं की गई हैं इनमें पहली को नायब तहसीलदार अब्दुल वासित (प्र. सा. 1) द्वारा तारीख 15 अप्रैल, 1999 को लेखबद्ध किया गया था और दूसरी मृत्यु-कालिक घोषणा को श्रीमती जितेन्द्र वालिया (अभि. सा. 11) न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ द्वारा 15 अप्रैल, 1999 को लेखबद्ध किया गया था । इन दो मृत्युकालिक घोषणाओं में अनेक विरोधाभास हैं जो यह दर्शित करते हैं कि मृतक ने स्वयं अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर स्वयं को आग के हवाले किया ।

32. तारीख 15 अप्रैल, 1999 की मृत्युकालिक घोषणा एक कथन के रूप में है, जो निम्नानुसार है :–

"मृत्युकालिक घोषणा

श्रीमती ऋतु पत्नी श्री राजेश, निवासी पहाड़ी गली, विकास नगर, देहरादून, आयु लगभग 22 वर्ष ने तारीख 15 अप्रैल, 1999 को प्रात: 3.30 बजे यह कथन किया है । प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह कथन किया कि रात्रि लगभग 12.15 बजे जब मैं अपने बालक के लिए दूध गरम कर रही थी तो अचानक स्टोव फट गया और मेरे कपड़ों में आग लग गई । कपड़ों में आग लगने पर मैं जोर से चिल्लाई तब मेरे पति, सास और अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे और उन्होंने उस आग को बुझाया ।

उसके पश्चात् उन्होंने पहले मुझे दून अस्पताल में दाखिल किया और उसके पश्चात् वे मुझे आशीर्वाद नर्सिंग होम ले गए । मुझे किसी ने आग नहीं लगाई । इस कथन को सुना तथा सत्यापित किया । कथन को समाप्त करने का समय प्रात: 3.40 बजे, तारीख 15 अप्रैल, 1999 ।

ह./-

अंगूठे का निशान

प्रात: 3.40 बजे

रीटा

एन. टी.

आशीर्वाद नर्सिंग होम, बल्लुपुर में उपस्थित डाक्टर कालरा ने यह कथन करते हुए मरीज के होशोहवाश के संबंध में प्रमाणित करने से इनकार कर दिया कि मरीज को उनके नर्सिंग होम में दाखिल नहीं किया गया है और उसे केवल उपचार हेतु वहां लाया गया और उसे कहीं अन्यत्र उपचार हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।

ह./- तारीख 15 अप्रैल, 1999."

33. दूसरी ओर उसी तारीख, अर्थात् 15 अप्रैल, 1999 को ही दूसरी मृत्युकालिक घोषणा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्ररूप में लेखबद्ध की गई है जो निम्नानुसार है :–

"डीडीआर सं. 22, 15 अप्रैल, 1999, पुलिस थाना चंडीगढ़ पश्चिम, श्रीमती ऋतु पत्नी श्री राजेश कुमार, निवासी पहाड़ी नगर, विकास नगर, देहरादून, आयु लगभग 22 वर्ष का कथन

प्रश्न : आपको ये क्षतियां किस प्रकार हुईं ?

उत्तर : कल रात्रि मेरा किसी छिट-पुट मामले में मेरे पति के साथ विवाद हुआ था और इसलिए मैंने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर स्वयं को आग लगा ली

प्रश्न : आपका विवाह कब हुआ था ?

उत्तर : लगभग एक वर्ष और चार मास पूर्व

प्रश्न : आपके साथ कौन-कौन निवास कर रहा है ?

उत्तर : मेरी सास, मेरी बड़ी जेठानी और जेठ और मेरे पति मेरे साथ निवास कर रहे हैं ।

प्रश्न : आपके जल जाने के पीछे क्या कोई दुष्कृत्य है ?

उत्तर : मैंने स्वयं अपने को आग के हवाले किया था क्योंकि मैं अपने कुटुंब की मांगों से तंग आ चुकी थी जो बार-बार मुझसे दहेज की मांग कर रहे थे ।

ह./- (पढ़े जाने योग्य नहीं)

जितेन्द्र वालिया

तारीख : 15 अप्रैल, 1999

पी.जी.आई., चंडीगढ़ में लेखबद्ध ।"

34. नि:संदेह रूप से मृत्युकालिक घोषणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य है और जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मृत्युकालिक घोषणा सत्य है, स्वैच्छिक रूप से दी गई है और उसे किसी बाह्य दबाव के परिणामस्वरूप नहीं दिया गया है, वहां न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को केवल मृत्युकालिक घोषणा के आधार पर सिद्धदोष ठहरा सकता है । इस निर्णय को और बड़ा करने के लिए इस संबंध में मेरे द्वारा संपूर्ण मामला विधियों को निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक नहीं है अपितु इस प्रक्रम पर **शाम शंकर कंकरिया** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया जाना पर्याप्त होगा, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "11. यद्यपि किसी मृत्युकालिक घोषणा में साक्ष्य संबंधी काफी बल होता है फिर भी यह उल्लेखनीय है कि उक्त घोषणा के संबंध में अभियुक्त के पास प्रतिपरीक्षा की शक्ति नहीं होती है । इस प्रकार की शक्ति सत्य को बाहर लाने के लिए अनिवार्य है जैसे कि शपथ लेने की बाध्यता । इस कारणवश न्यायालय इस बात पर बल देता है कि मृत्युकालिक घोषणा की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वह अपनी सत्यता के संबंध में न्यायालय का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर सके । न्यायालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मृतक का कथन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सिखाया-पढ़ाया न गया हो या उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्प्रेरित न किया गया हो या वह मृतक की कल्पना मात्र न हो । इसके अतिरिक्त न्यायालय का यह भी समाधान होना चाहिए कि मृतक के पास

---

[1] (2006) 13 एस. सी. सी. 165.

हमलावर व्यक्ति को देखने और उसकी पहचान करने के स्पष्ट अवसर के पश्चात् उसकी मन:स्थिति भी उचित होनी चाहिए । एक बार यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है तो वह नि:संदेह रूप से बिना किसी आगे और पुष्टिकरण के उसके आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित कर सकता है । इसे विधि के एक अनन्य नियम के रूप में अधिकथित नहीं किया जा सकता कि मृत्युकालिक घोषणा तब तक दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकती जब तक कि उसकी किसी अन्य रूप में पुष्टि न की जाए । ऐसी किसी घोषणा की पुष्टि की अपेक्षा करने वाला नियम मात्र एक विवेकपूर्ण नियम है......"

35. वर्तमान मामले में डा. ए. के. चौबे (अभि. सा. 3) एक औपचारिक साक्षी हैं जिन्होंने मृतक ऋतु को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई थी । पूर्ण सिंह रावत (अभि. सा. 4) और परवेज खान (अभि. सा. 8) ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है । ठाकुर दास (अभि. सा. 5) पंचनामे का साक्षी है । चंद्र प्रकाश (अभि. सा. 6) और सोमनाथ (अभि. सा. 7) दोनों ही अरुण कुमार (अभि. सा. 1) और दीपक कपूर (अभि. सा. 2) के पड़ोसी हैं । देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) भी एक औपचारिक साक्षी है जिसकी उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया । आशा (अभि. सा. 10) घर की नौकरानी है जो मृतक ऋतु के घर में घटना के समय कार्य कर रही थी किंतु उसने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है ।

36. पूजा कपूर (अभि. सा. 12) इस मामले की एक महत्वपूर्ण और मुख्य साक्षी है । वह साक्षी दीपक कपूर, जो मृतक का भाई है, की पत्नी है । उसने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतक ऋतु का पति और उसकी सास ऋतु से दहेज की मांग करते थे । ऋतु के ससुराल वाले घर में उसके कुटुंब में उसके साथ उसका पति और उसकी सास निवास कर रहे थे किंतु उनकी अपनी अलग-अलग रसोई थी । उसने यह और कथन किया है कि ऋतु का जेठ और जेठानी पृथक् रूप से निवास कर रहे थे । राजेश और सुनील, दोनों भाइयों का

अपना-अपना पृथक् कारबार था । प्रतिपरीक्षा के दौरान पूजा कपूर ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि ऋतु के जेठ और जेठानी ने कभी भी ऋतु को कोई क्षति नहीं पहुंचाई । ऋतु ने अपने जेठ और जेठानी के व्यवहार के संबंध में कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं की ।

37. उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि आशा (अभि. सा. 10) के साक्ष्य से भी होती है जो मृतक ऋतु के घर में नौकरानी का कार्य कर रही थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह उस घर में राजेश के विवाह के पूर्व से कार्य कर रही थी । उसने यह भी कथन किया कि राजेश के विवाह के पश्चात् उसका भाई सुनील पृथक् रूप से निवास करने लगा था ।

38. पूजा (अभि. सा. 12) मृतक ऋतु की भाभी है और ऋतु के विवाह के पश्चात् उक्त साक्षी पूजा ऋतु के ससुराल वाले घर गई थी और वह उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से भली-भांति परिचित थी । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि ऋतु के ससुराल वाले घर में ऋतु उसका पति और उसकी सास निवास कर रहे थे, जबकि उसका जेठ सुनील अपनी पत्नी के साथ पृथक् रूप से निवास कर रहा था और वे अपना खाना भी पृथक् रूप से पकाते थे । उन्होंने ऋतु के साथ कभी भी कोई मारपीट नहीं की थी ।

39. पूजा कपूर (अभि. सा. 12) के कथन के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी अंजु और सुनील **उर्फ** टीटू के विरुद्ध किसी प्रकार की दहेज की मांग रखने या ऋतु को तंग किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त अपीलार्थियों, अंजु और सुनील **उर्फ** टीटू के विरुद्ध ऋतु को तंग किए जाने के संबंध में भी कोई अकाट्य साक्ष्य विद्यमान नहीं है । विचारण न्यायालय ने उपरोक्त मुख्य साक्षी के साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया । अभियोजन पक्ष द्वारा सामने रखे गए साक्ष्य के अनुसार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी-श्रीमती अंजु और सुनील **उर्फ** टीटू, ऋतु और राजेश के विवाह की तारीख से ही पृथक् रूप से निवास कर रहे थे और उनका कारबार भी पृथक् था । ऋतु ने उनके व्यवहार के संबंध में कभी भी

कोई शिकायत नहीं की थी । इन परिस्थितियों में अपीलार्थी अंजु और सुनील **उर्फ** टीटू दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दोषमुक्त किए जाने के दायी हैं और तद्नुसार इन अभियुक्तों, अर्थात् अंजु और सुनील **उर्फ** टीटू को इन धाराओं के अधीन दोषमुक्त किया जाता है ।

40. जहां तक अपीलार्थी कांता रानी **उर्फ** शकुंतला के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध किए जाने का संबंध है अरुण कुमार (अभि. सा. 1) और दीपक कपूर (अभि. सा. 2) और पूजा कपूर (अभि. सा. 12) ने अपने कथनों में अत्यंत स्पष्ट रूप से यह कहा है कि ऋतु के विवाह के पश्चात् उसका पति राजेश और उसकी सास कांता रानी **उर्फ** शकुंतला ऋतु से दहेज की मांग कर रहे थे और इस मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे । अभि. सा. 2 दीपक कपूर ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि विवाह के 20-25 दिन के पश्चात् सुनीता और प्रवेश उनके घर आए थे और उन्हें यह सूचित किया कि राजेश त्रेहन और उसके कुटुंब के सदस्य ऋतु के विवाह में दिए गए अपर्याप्त दहेज के कारण प्रसन्न नहीं थे । उसने आगे यह और कथन किया है कि कुछ दिनों के पश्चात् अभियुक्त उनके घर आया और उनके बीच इस संबंध में एक समझौता भी हुआ था । अपीलार्थी राजेश त्रेहन द्वारा तारीख 22 अगस्त, 1998 को अभिलिखित माफीनामा अभिलेख पर उपलब्ध है जिसमें उसने माफी मांगी है और यह आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में अपनी पत्नी ऋतु को तंग नहीं करेगा और वह उसे सदैव प्रसन्न रखेगा ।

41. उपरोक्त माफी-नामे की अंतर्वस्तु अभि. सा. 1 अरुण कुमार और दीपक कपूर (अभि. सा. 2) के मौखिक परिसाक्ष्य की सम्यक् रूप से पुष्टि करती है । उपरोक्त मौखिक परिसाक्ष्य की पुष्टि पूजा कपूर (अभि. सा. 12) द्वारा भी की गई है ।

42. क्रूरता के संबंध में दंड संहिता की धारा 498क के स्पष्टीकरण में वर्णन किया गया है जो निम्नानुसार है :-

"स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'क्रूरता' से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(क) जान-बूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्म-हत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है ; या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।"

43. आगे बढ़ने से पूर्व यहां दंड संहिता की धारा 498क को उद्धृत करना उपयोगी होगा, जो निम्नानुसार है :-

"498क. **किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना** – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

44. दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दोषसिद्धि किसी स्त्री के प्रति क्रूरता करने के लिए की जाती है । क्रूरता को ऐसे किसी जान-बूझकर किए गए आचरण के रूप में स्पष्ट किया गया है जो उस स्त्री को आत्म-हत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है । दहेज की विधिविरुद्ध मांग के कारण किसी स्त्री को प्रपीड़ित करना भी क्रूरता की श्रेणी में आता है । दंड संहिता की धारा 498क के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध हेतु

दोषसिद्धि ऐसे किसी जान-बूझकर किए गए आचरण के लिए की जा सकती है, जो किसी स्त्री को आत्म-हत्या करने के लिए प्रेरित करे या दहेज की मांग के लिए भी की जा सकती है ।

45. तारीख 22 अगस्त, 1998 के माफी-नामे और अभि. सा. 11 श्रीमती जितेन्द्र वालिया द्वारा लेखबद्ध तारीख 15 अप्रैल, 1999 की मृत्युकालिक घोषणा (प्रदर्श क-11) के परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मृतक ऋतु को अपीलार्थी राजेश त्रेहन और श्रीमती कांता रानी द्वारा उसके विवाह के पश्चात् प्रपीड़ित और तंग किया गया था । इस संबंध में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी श्रीमती कांता रानी के विरुद्ध साक्ष्य का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन किया है और उसके आधार पर उसे उसके द्वारा जान-बूझकर किए गए आचरण के लिए दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दोषी पाया है ।

46. जहां तक अपीलार्थी राजेश त्रेहन का संबंध है उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है । दंड संहिता की धारा 304ख के उपबंधों को लागू करने के लिए आधारिक पांच घटक निम्नानुसार हैं :–

(1) स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गई थी या वह ऐसी परिस्थितियों में हुई थी जो सामान्य नहीं थी ;

(2) ऐसी मृत्यु विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर होती है ;

(3) पीड़ित स्त्री के साथ उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता की गई थी या तंग किया गया था ;

(4) इस प्रकार की क्रूरता या तंग किया जाना दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित होना चाहिए ; और

(5) यह सुस्थापित है कि ऐसी क्रूरता या इस प्रकार तंग किया जाना मृत्यु से पूर्व कारित किया गया था ।

47. अरुण कुमार (अभि. सा. 1) और दीपक कपूर (अभि. सा. 2) के मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक ऋतु का विवाह तारीख 4 दिसंबर, 1997 को अपीलार्थी राजेश त्रेहन के साथ अनुष्ठापित किया गया था और तारीख 21 अप्रैल, 1999 को उसने अंतिम श्वास लिया था । इससे यह उपदर्शित होता है कि ऋतु की मृत्यु उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर हुई है । तारीख 15 अप्रैल, 1999 की मृत्युकालिक घोषणा (प्रदर्श क-11) और शवपरीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श क-16) के परिशीलन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मृतक ऋतु की मृत्यु दाह क्षतियों के कारण हुई थी ।

48. अरुण कुमार अभि. सा. 1 और दीपक कपूर (अभि. सा. 2) और पूजा कपूर (अभि. सा. 12) के मौखिक साक्ष्य और तारीख 22 अगस्त, 1998 के माफी-नामे के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि ऋतु के साथ उसके पति राजेश त्रेहन द्वारा क्रूरता की गई थी या उसे प्रपीड़ित किया गया था ।

49. उपरोक्त घटकों के अलावा किसी व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन सिद्धदोष ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह किसी युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करे कि अभियुक्त द्वारा 'दहेज की मांग के संबंध में' क्रूरता की गई थी या प्रपीड़न किया गया था और इस प्रकार की क्रूरता या प्रपीड़न 'उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व' किया गया था ।

50. सूचना देने वाले व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि मृतक ऋतु को उसके पति और सास द्वारा विवाह के तुरंत पश्चात् प्रपीड़ित किया गया था और इस संबंध में अपीलार्थी राजेश त्रेहन ने पहले ही वर्ष 1998 में एक माफी-नामा लिखा था । उन्होंने यह भी दलील दी कि ऋतु ने स्वयं अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर आत्म-हत्या की है ।

51. वर्तमान मामले में जब मृतक को पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार हेतु दाखिल किया गया था उस समय उसकी मृत्युकालिक घोषणा को श्रीमती जितेन्द्र वालिया (अभि. सा. 11), न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

लेखबद्ध किया गया था जो प्रदर्श क-11 पर है । प्रदर्श क-11 पर स्थित मृत्युकालिक घोषणा के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक ने मजिस्ट्रेट के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि "कल रात मेरा किसी छुट-पुट मामले को लेकर मेरे पति के साथ विवाद हो गया था इसलिए मैंने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर स्वयं को आग लगा ली" अपने कथन के अंत में उसने यह भी कहा कि "मैंने स्वयं को इसलिए आग लगाई क्योंकि मैं मेरे कुटुंब द्वारा बार-बार दहेज की मांग किए जाने से तंग आ चुकी थी" ।

52. उपरोक्त मृत्युकालिक घोषणा के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक ऋतु अभियुक्त राजेश द्वारा किए जा रहे उसके प्रपीड़न से तंग आ चुकी थी और जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर स्वयं को आग लगा ली । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि पिछली रात किसी छुट-पुट मामले के संबंध में उसका अपने पति से कोई विवाद हुआ था जिसके कारण उसने यह कड़ा कदम उठाया था ।

53. दंड संहिता की धारा 304ख के उपबंधों को आकर्षित करने के लिए अपराध के उन मुख्य घटकों में से एक घटक, जिसे स्थापित किया जाना अपेक्षित है, यह है कि 'मृत्यु से तुरंत पूर्व' मृतक के साथ 'दहेज की मांग के संबंध में' क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था । किंतु वर्तमान मामले में इस बात का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृतक को 'उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व' उसके पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रपीड़ित या तंग किया गया था क्योंकि मृत्युकालिक घोषणा के अनुसार उसका अपने पति के साथ किसी छुट-पुट बात पर पूर्ववर्ती रात को कोई विवाद हुआ था । अपने कथन में उसने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि उसके पति ने 'उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व' उससे दहेज की मांग की थी । यद्यपि मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवाह के पश्चात् उसके पति और सास ने उसे तंग किया था और दहेज के रूप में एक कार की मांग की थी । किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अभियुक्त राजेश ने 'उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व' कार की मांग की थी अथवा नहीं । यह साबित करने के लिए कोई अकाट्य साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त

राजेश त्रेहन ने 'उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व' उससे दहेज की मांग की थी या उसे तंग किया था ।

54. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस संबंध में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जो यह उपदर्शित करे कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन कोई अपराध कारित हुआ है । अत: अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय कोई अपराध साबित नहीं हो सका है ।

55. साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक ने इसलिए आत्म-हत्या की क्योंकि पूर्ववर्ती रात अर्थात् तारीख 14 अप्रैल, 1999 को उसका अपने पति राजेश त्रेहन से विवाद हुआ था और मृतक को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और यहां तक कि उसे भोजन भी नहीं दिया गया था और इस प्रपीड़न के कारण उसने स्वयं पर डीजल छिड़ककर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया था ।

56. दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए उसके घटक आत्म-हत्या के कारण हुई मृत्यु और उसका दुष्प्रेरण हैं । यद्यपि संहिता में आत्म-हत्या की परिभाषा उपबंधित नहीं की गई है किंतु 'सुई' से 'स्व:' अभिप्रेत है और 'साइड' से 'जान से मारना' अभिप्रेत है । इस प्रकार इस पूर्ण शब्द से 'स्वयं की जान लेना' अभिप्रेत है । संक्षिप्त रूप से आत्म-हत्या करने वाले किसी व्यक्ति को यह कृत्य, उसके द्वारा स्वयं की जान लेने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनाए गए माध्यम पर ध्यान न देते हुए, स्वयं करना होगा ।

56क. साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि ऋतु ने उसके पति राजेश द्वारा किए जा रहे प्रपीड़न के कारण आत्म-हत्या की है ।

57. यह सत्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 किसी न्यायालय को किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने का हकदार बनाती है जो उस अपराध, जिसके लिए उसका विचारण किया जा रहा है, से छोटा अपराध है । वर्तमान मामले में यद्यपि दंड

संहिता की धारा 306 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा कोई आरोप विरचित नहीं किया गया है किंतु यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र आरोप को विरचित किए जाने में होने वाले किसी लोप या त्रुटि के कारण कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने में असमर्थ नहीं होगा जो अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य के आधार पर उसके विरुद्ध साबित हो गया है । ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी राजेश को दंड संहिता की धारा 304ख की बजाय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाना न्याय के हित में होगा ।

58. इन परिस्थितियों में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त राजेश त्रेहन दंड संहिता की धारा 304ख की बजाय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन सिद्धदोष ठहराए जाने के लिए दायी है ।

59. जहां तक अपीलार्थी राजेश त्रेहन के विरुद्ध दंडादेश का संबंध है, यह घटना वर्ष 1999 में घटित हुई थी और उसे हुए 20 से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । बहस के दौरान अपीलार्थी और साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाले दोनों विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी राजेश त्रेहन ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया और घटना के पश्चात् से वह अपनी पुत्री के साथ रह रहा है । इन परिस्थितियों में दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास न्यायोचित है ।

60. अपीलार्थी श्रीमती कांता रानी **उर्फ** शकुंतला एक वृद्ध और दुर्बल महिला है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसके कथन को 29 अक्तूबर, 2005 को लेखबद्ध किया गया था और उस समय वह 60 वर्ष की थी । तद्नुसार यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में वह 75 वर्ष से अधिक आयु की है । उसकी आयु और उसकी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके लिए दंड संहिता की धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए छह मास का कारावास पर्याप्त है ।

61. उपरोक्त संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है । अपीलार्थी राजेश त्रेहन को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है जबकि उसे दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और उसके विरुद्ध एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए मात्र) के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश पारित किया जाता है । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर वह तीन मास के अतिरिक्त कारावास को भुगतेगा । दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कायम रहेंगे और दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

62. अपीलार्थी श्रीमती कांता रानी **उर्फ** शकुंतला दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए छह मास का कारावास भुगतेगी । विचारण न्यायालय द्वारा उस पर अधिरोपित जुर्माना कायम रहेगा । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर वह एक मास के अतिरिक्त कारावास को भुगतेगी । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

63. अपीलार्थी श्रीमती अंजु और सुनील **उर्फ** टीटू को, यहां ऊपर निर्णय में किए गए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त किया जाता है । उनके जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है ।

64. निचले न्यायालय के अभिलेखों को इस आदेश के अनुपालन हेतु वापस भेजा जाए ।

अपील आंशिक रूप से मंजूर की गई ।

पु.

मजीदुल इस्लाम

बनाम

असम राज्य

(2015 की दांडिक अपील सं. 35)

तारीख 15 मई, 2020

न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक और न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 300 का 'तीसरा' [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा हमला किए जाने की पुष्टि – मृत्यु का कारण आघात और रक्तस्राव पाया जाना – मृतक द्वारा प्रकोपन किए जाने की पुष्टि न होना – दुर्घटनात्मक या अनाशयित हमले का साबित न होना – अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर पीछे से आकर लकड़ी के डंडे से अचानक वार किया गया है जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य से होती है और साथ ही अभियुक्त के प्रकोपित किए जाने तथा अनाशयित हमला किए जाने का साक्ष्य भी नहीं पाया गया है, अतः ऐसी स्थिति में हत्या के अपराध के लिए की गई अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

अभियोजन पक्षकथन जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-5) से उद्भूत है, इस प्रकार है कि रबिन दास (अभि. सा. 5) ने तारीख 11 जनवरी, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुलिस थाना सारभोग के भारसाधक अधिकारी के समक्ष एक इजहार प्रस्तुत की जिसमें यह कथन किया कि एक दिन पूर्व अर्थात् तारीख 10 जनवरी, 2013 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न में उसका भतीजा मृदुल रॉय ग्राम खरीचला में स्थित एक मोटर गैराज में काम कर रहा था, उसी समय अभियुक्त-मजीदुल इस्लाम वहां आया और कोई भी शब्द बोले बिना लकड़ी के एक टुकड़े से

उसके सिर पर वार किया जिससे वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया । मृदुल रॉय को क्षतिग्रस्त अवस्था में तत्काल एफआरयू, बारपेटा रोड उपचार के लिए ले जाया गया और वहां से उसे फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कालेज और अस्पताल, बारपेटा (जिसे संक्षेप में "बारपेटा मेडिकल" कहा गया है) भेज दिया गया जहां उपचार के दौरान आहत मृदुल रॉय की मृत्यु हो गई । उक्त इजहार में यह सूचना दी गई कि अभियुक्त को साक्षियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसे पुलिस को सौंप दिया गया और उक्त इजहार के आधार पर इत्तिलाकर्ता ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस से निवेदन किया । पुलिस थाना सारभोग में रबिन दास (अभि. सा. 5) द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 09/2013 दर्ज कराई गई जो जी. आर. मामला सं. 102/2013 के समवर्ती है । इस मामले में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने के पूर्व बारपेटा मेडिकल के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी, डा. एम. अहमद ने तारीख 10 जनवरी, 2013 को अपराह्न लगभग 10.25 बजे लिखित आवेदन द्वारा पुलिस थाना बारपेटा के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना दी कि उक्त अस्पताल के आपातकालीन विभाग में रोगी मृदुल रॉय जिस पर अभिकथित हमला किया गया था, की मृत्यु हो गई है और उक्त आवेदन में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई किए जाने हेतु प्रार्थना की गई । तारीख 10 जनवरी, 2013 को उक्त सूचना पुलिस थाना बारपेटा में रोजनामचे में प्रविष्टि सं. 385 के रूप में दर्ज की गई । तारीख 11 जनवरी, 2013 को पुलिस थाना बारपेटा से पुलिसकर्मी उक्त मेडिकल अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मृतक मृदुल रॉय के भाई और भाभी सहित अन्य साक्षियों की मौजूदगी में उसके शव की मृत्युसमीक्षा की और इस संबंध में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-6) तैयार की और शव को बारपेटा सिविल अस्पताल कलगचिया आवश्यक चालान द्वारा शवपरीक्षण के लिए भेजा गया और शवपरीक्षण पूरा होने के पश्चात् उक्त मृतक के नातेदारों को शव सौंप दिया गया । उक्त सारभोग मामला सं. 09/2013 दर्ज किए जाने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया, घटनास्थल का मुआयना किया, लकड़ी का एक भारी लट्ठा (लम्बाई 36 इंच) जिसमें 2

छिद्र थे जिन्हें अभियुक्त और अन्य साक्षियों द्‌वारा दिखाया गया, अभिगृहीत किया गया और इस संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-3) तैयार किया गया, स्थल नक्शा (प्रदर्श-8) बनाया गया, इस घटना से अवगत साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए, दो साक्षियों को उनके कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन बारपेटा के मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किए जाने के लिए भेजा गया । मामले का अन्वेषण पूरा होने और भास्कर दास (अभि. सा. 2) और बाबुल अली (अभि. सा. 3) के कथन (प्रदर्श-2 और प्रदर्श-4) जो उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन बारपेटा के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए थे तथा मृतक मृदुल रॉय की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-1) बारपेटा सिविल अस्पताल से प्राप्त करने के पश्चात् संपूर्ण सामग्री के साथ अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 6 अप्रैल, 2013 को उक्त सारभोग मामला सं. 09/2013 से संबंधित इस मामले में के अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र (प्रदर्श-7) लेकर प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय द्‌वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी पाया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि तारीख 10 जनवरी, 2013 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे जब आहत अपने वाहन में मिस्त्री द्‌वारा किए जा रहे कार्य को देख रहा था, तब अभियुक्त अचानक वहां आया और उसने आहत के सिर पर लकड़ी के मोटे डंडे से वार किया और इसके पश्चात् घटनास्थल से भाग गया और उक्त आहत की उसी रात्रि में अपराह्न लगभग 10.00/10.25 बजे अस्पताल में मृत्यु हो गई । मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट तथा शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य से यह साबित होता है कि मृतक मृदुल रॉय के सिर पर लकड़ी के मोटे डंडे से बलपूर्वक वार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसके दाएं पार्श्विक भाग में 10 सें. मी. × 7 सें. मी. माप की क्षति कारित हुई है जिसके चारों ओर सूजन आई हुई थी और करोटि में घाव के निकट रक्त पाया गया है और मृतक की मृत्यु उसके

सिर में पहुंची क्षति से होने वाले आघात तथा रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुई है और मृतक के शरीर के अन्य भाग अक्षत पाए गए हैं । मृतक को यह क्षति उसके सिर में कारित हुई है जो शरीर का नाजुक अंग है और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृदुल रॉय को कारित की गई यह क्षति घातक साबित हुई है । मामले की परिस्थितियों से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर जानबूझकर वार किया गया है जो कि दुर्घटनात्मक या अनाशयित नहीं है और न ही अभियुक्त द्वारा अन्य किसी प्रकार की क्षति कारित करने का आशय किया गया था । सिर में कारित की गई उक्त क्षति, जो कि साबित की गई है, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । चूंकि अभियुक्त ने मृतक के नाजुक अंग अर्थात् सिर में क्षति कारित की है वह भी लकड़ी के मोटे डंडे से, मृतक की हत्या करने का आशय अभियुक्त के इस कृत्य से निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है । वर्तमान मामले में यह देखा गया है कि मृतक और अपीलार्थी के बीच कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है और न ही कहा-सुनी अथवा हाथापाई नहीं हुई है और मृतक की ओर से कोई भी प्रकोपन भी नहीं किया गया है । इस मामले में अभियुक्त ही ने आक्रामक होकर मृतक के सिर पर हमला किया है जिसके दौरान मृतक अपना बचाव भी नहीं कर सका । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर लकड़ी के मोटे डंडे से वार किए जाने के संबंध में प्रतिरक्षा पक्ष इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्यों को अभिखंडित नहीं कर सका है, इसलिए इन साक्षियों का साक्ष्य विचलित नहीं हुआ है । यह सुस्थापित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सिर पर लकड़ी या लोहे के मोटे डंडे से या लाठी से ऐसा वार करता है जिससे गंभीर क्षति कारित हो तब हमलावर के प्रति यही उपधारणा की जाएगी कि उसका आशय आहत की मृत्यु कारित करने का ही था या ऐसी क्षति कारित करने का था जो उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो और ऐसा मामला दंड संहिता की धारा 300 के खंड 'तीसरा' के अधीन आएगा । यह तथ्य कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर केवल एक वार किया था, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में उसका अपराध कम नहीं हो सकता और अभियुक्त हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अपराध का दोषी हो जाता है । (पैरा 30, 31, 32 और 33)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 2 जी. एल. टी. 385 : **आपू दत्ता** बनाम **असम राज्य** ;	36
[2015]	(2015) 3 एस. सी. सी. 409 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 949 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 980 : **बालू पुत्र ओंकार पुंड और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	10,36
[2015]	(2015) 3 एस. सी. सी. 433 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 1321 (एस. सी.) = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 37 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 616 : **दिलीप कुमार मंडल और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	10,36
[2007]	(2007) 14 एस. सी. सी. 588 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3215 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5826 = 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 4690 : **फुलिया तुडू** बनाम **बिहार राज्य** ;	27
[2005]	(2005) 9 एस. सी. सी. 71 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1966 = 2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1511 = 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 1778 (एस. सी.) : **शंकर नारायण भडोलकर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	27
[2005]	(2005) 9 एस. सी. सी. 650 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1142 = 2005 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 76 = 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 684 (एस. सी.) : **तंगय्या** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	27

[2005]	(2005) 9 एस. सी. सी. 616 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 249 = 2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6916 : **इसरार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	27
[2002]	(2002) 7 एस. सी. सी. 175 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2961 = 2002 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3463 : **अब्दुल वहीद खां** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	27
[1976]	(1976) 4 एस. सी. सी. 382 = ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 45 = 1977 क्रिमिनल ला जर्नल 1 : **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **रायवरपू पुनैया** ;	27
[1972]	[1972] 2 उम. नि. प. 591 = (1972) 3 एस. सी. सी. 118 : **गुदर दुसाध** बनाम **बिहार राज्य** ।	29
[1964]	ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1263 : **अफराहीम शेख** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	26
[1958]	ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465 : **विरसा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ।	28

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 35.

2013 के मामला सं. 09 (पुलिस थाना सारभोग, जिला बारपेटा) से उद्भूत जी. आर. मामला सं. 102/2013 के समवर्ती सेशन मामला सं. 187/2013 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बारपेटा द्वारा तारीख 10 मार्च, 2015 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री एस. के. नरगिस और सुश्री सैयदा खालिदा नरगिस (न्यायमित्र)
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री बोरनाली भुयन (अपर लोक अभियोजक) और कर्दम रंजन पटगिरि

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक ने दिया ।

न्या. पाठक – यह अपील अभियुक्त-अपीलार्थी मजीदुल इस्लाम **उर्फ** मजीदुल द्वारा 2013 के मामला सं. 09 (पुलिस थाना सारभोग, जिला बारपेटा) से उद्भूत जी. आर. मामला सं. 102/2013 के समवर्ती सेशन मामला सं. 187/2013 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बारपेटा द्वारा तारीख 10 मार्च, 2015 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन मृदुल रॉय की हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने के संदाय से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था ।

2. अभियोजन पक्षकथन जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-5) से उद्भूत है, इस प्रकार है कि रबिन दास (अभि. सा. 5) ने तारीख 11 जनवरी, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुलिस थाना सारभोग के भारसाधक अधिकारी के समक्ष एक इजहार प्रस्तुत की जिसमें यह कथन किया कि एक दिन पूर्व अर्थात् तारीख 10 जनवरी, 2013 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न में उसका भतीजा मृदुल रॉय ग्राम खरीचला में स्थित एक मोटर गैराज में काम कर रहा था, उसी समय अभियुक्त-मजीदुल इस्लाम वहां आया और कोई भी शब्द बोले बिना लकड़ी के एक टुकड़े से उसके सिर पर वार किया जिससे वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया । मृदुल रॉय को क्षतिग्रस्त अवस्था में तत्काल एफआरयू, बारपेटा रोड उपचार के लिए ले जाया गया और वहां से उसे फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कालेज और अस्पताल, बारपेटा (जिसे संक्षेप में "बारपेटा मेडिकल" कहा गया है) भेज दिया गया जहां उपचार के दौरान आहत मृदुल रॉय की मृत्यु हो गई । उक्त इजहार में यह सूचना दी गई कि अभियुक्त को साक्षियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसे पुलिस को सौंप दिया गया और उक्त इजहार के आधार पर इत्तिलाकर्ता ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस से निवेदन किया । पुलिस थाना सारभोग में रबिन दास (अभि. सा. 5) द्वारा दंड संहिता की

धारा 302 के अधीन उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 09/2013 दर्ज कराई गई जो जी. आर. मामला सं. 102/2013 के समवर्ती है ।

3. इस मामले में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने के पूर्व बारपेटा मेडिकल के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी, डा. एम. अहमद ने तारीख 10 जनवरी, 2013 को अपराह्न लगभग 10.25 बजे लिखित आवेदन द्वारा पुलिस थाना बारपेटा के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना दी कि उक्त अस्पताल के आपातकालीन विभाग में रोगी मृदुल रॉय जिस पर अभिकथित हमला किया गया था, की मृत्यु हो गई है और उक्त आवेदन में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई किए जाने हेतु प्रार्थना की गई । तारीख 10 जनवरी, 2013 को उक्त सूचना पुलिस थाना बारपेटा में रोजनामचे में प्रविष्टि सं. 385 के रूप में दर्ज की गई । तारीख 11 जनवरी, 2013 को पुलिस थाना बारपेटा से पुलिसकर्मी उक्त मेडिकल अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मृतक मृदुल रॉय के भाई और भाभी सहित अन्य साक्षियों की मौजूदगी में उसके शव की मृत्युसमीक्षा की और इस संबंध में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-6) तैयार की और शव को बारपेटा सिविल अस्पताल कलगचिया आवश्यक चालान द्वारा शवपरीक्षण के लिए भेजा गया और शवपरीक्षण पूरा होने के पश्चात् उक्त मृतक के नातेदारों को शव सौंप दिया गया ।

4. उक्त सारभोग मामला सं. 09/2013 दर्ज किए जाने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया, घटनास्थल का मुआयना किया, लकड़ी का एक भारी लट्ठा (लम्बाई 36 इंच) जिसमें 2 छिद्र थे जिन्हें अभियुक्त और अन्य साक्षियों द्वारा दिखाया गया, अभिगृहीत किया गया और इस संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-3) तैयार किया गया, स्थल नक्शा (प्रदर्श-8) बनाया गया, इस घटना से अवगत साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए, दो साक्षियों को उनके कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन बारपेटा के मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किए जाने के लिए भेजा गया । मामले का अन्वेषण पूरा होने और भास्कर दास (अभि. सा. 2) और बाबुल अली (अभि. सा. 3)

के कथन (प्रदर्श-2 और प्रदर्श-4) जो उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन बारपेटा के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए थे तथा मृतक मृदुल रॉय की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-1) बारपेटा सिविल अस्पताल से प्राप्त करने के पश्चात् संपूर्ण सामग्री के साथ अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 6 अप्रैल, 2013 को उक्त सारभोग मामला सं. 09/2013 से संबंधित इस मामले में के अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र (प्रदर्श-7) लेकर प्रस्तुत किया ।

5. चूंकि दंड संहिता की धारा 302 एकमात्र रूप से सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है, इसलिए विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारपेटा द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2013 को उक्त जी. आर. मामला सं. 102/2013 विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बारपेटा को सुपुर्द कर दिया गया जहां इसे सेशन मामला सं. 187/2013 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । तारीख 6 सितंबर, 2013 को विद्वान् सेशन न्यायाधीश बारपेटा ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध मृदुल राय की अभिकथित हत्या के लिए दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया जो उसे पढ़कर सुनाया गया और स्पष्ट किया गया जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । तद्नुसार, उक्त सेशन मामला सं. 187/2013 का विचारण आरंभ किया गया ।

6. अभियुक्त का दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने मृतक की शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक, इस मामले के अन्वेषण अधिकारी और अन्य साक्षियों सहित 6 साक्षियों की परीक्षा कराई । प्रतिरक्षा पक्ष ने कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया किंतु अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् विचारण न्यायाधीश ने तारीख 23 दिसंबर, 2014 को अभियुक्त-अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया जिसमें उसने अभियोजन पक्ष द्वारा अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया ।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बारपेटा ने तारीख 10 मार्च, 2015 को दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंडादेश पूर्वोक्त रूप में अभिलिखित किए और इस प्रकार वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

8. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र सुश्री सैयदा खालिदा नर्गिस, प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् असम राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री बोरनाली भुयन और प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् इत्तिलाकर्ता की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री कर्दम रंजन पटगिरि की सुनवाई की है ।

9. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् न्यायमित्र सुश्री एस. के. नर्गिस ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षियों का परिसाक्ष्य तर्कसम्मत नहीं है । सुश्री नर्गिस ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष आहत पर हमला करने से संबंधित अभियुक्त का आशय, आपराधिक अभित्रास और पूर्वचिंतन को साबित करने में असफल रहा है और यह कि अपराध में प्रयोग किया गया आयुध भी साबित नहीं किया गया है । विद्वान् न्यायमित्र सुश्री नर्गिस ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी का दोष युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है और चूंकि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय गंभीर त्रुटियों से ग्रसित है, अतः उन्होंने विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को अपास्त किए जाने तथा अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया है ।

10. विद्वान् न्यायमित्र सुश्री नर्गिस द्वारा दी गई दूसरी दलील यह है कि मृतक के सिर पर केवल एक वार किया गया है और अभियुक्त ने अपने इस वार का कोई भी असम्यक् लाभ नहीं लिया है, इसलिए अधिक से अधिक वह हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अपराध का दोषी हो सकता है । अतः सुश्री नर्गिस ने यह दलील दी है कि अभियुक्त-अपीलार्थी की आक्षेपित दोषसिद्धि और दंडादेश को दंड संहिता

की धारा 302 के अपवाद 4 में परिवर्तित किया जाना चाहिए । सुश्री नर्गिस ने अपनी दलील के समर्थन में **बालू पुत्र ओंकार पुंड और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] और **दिलीप कुमार मंडल और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[2] वाले मामलों का अवलंब लिया ।

11. इसके प्रतिकूल प्रत्यर्थी राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री बोरनाली भुयन ने यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सुस्थापित तथ्यों, आंकड़ों, साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है और यह निर्णय विधि के अनुसरण में पारित किया गया है, अतः आक्षेपित निर्णय में, जहां तक दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किए जाने का संबंध है, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् इत्तिलाकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री के. आर. पटगिरि ने भी लोक अभियोजक द्वारा दी गई दलील का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश में कोई भी हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

12. विद्वान् न्यायमित्र द्वारा उद्धृत किए गए निर्णयों पर विचार किया गया है । पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के पश्चात्, हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन संक्षिप्त रूप से करें ताकि आक्षेपित निर्णय की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके ।

13. शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक डा. भास्कर बेज (अभि. सा. 1) ने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक मृदुल रॉय के दाएं पार्श्व कपालीय भाग में 10 सें. मी. × 7 सें. मी. माप का घाव है जिसके चारों ओर सूजन पाई गई है और करोटि के क्षतिग्रस्त भाग में

---

[1] (2015) 3 एस. सी. सी. 409 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 949 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 980.

[2] (2015) 3 एस. सी. सी. 433 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 37 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 616.

रक्त पाया गया है । उक्त चिकित्सक ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक के अन्य अंग स्वस्थ पाए गए हैं जिनमें जठर काठिन्य देखा गया है । अभि. सा. 1 ने यह राय व्यक्त की है कि मृतक के सिर पर क्षति कारित होने से उसे आघात पहुंचा है और उसके सिर में रक्तस्राव हुआ है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है । इस साक्षी ने मृतक के शवपरीक्षण की रिपोर्ट (प्रदर्श-1) साबित की है और उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है ।

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किए जाने के दौरान उक्त अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उक्त शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का समय नहीं दर्शाया गया है ।

14. भास्कर (अभि. सा. 2) ने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक मृदुल रॉय उनके विंगर यान का चालक था और घटना के दिन अपराहन लगभग 4.00 बजे खारिसलाल बाजार में उनके उक्त यान के निकट मौजूद था, तब अभियुक्त पीछे से आया और उसने मृतक के सिर पर बलपूर्वक वार किया जिसके कारण उसे गंभीर क्षति कारित हुई और इसके पश्चात् वह जमीन पर गिर गया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि आहत की क्षति से रक्त बहने लगा था और वह आहत को तत्काल निकट स्थित मेडिकल स्टोर पर बाबुल अली (अभि. सा. 3) के साथ ले गया और वहां उसे बारपेटा मेडिकल कालेज ले जाया गया जहां उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । उक्त अभि. सा. 2 का यह भी अभिसाक्ष्य है कि अभियुक्त अपराध कारित करने के पश्चात् घटनास्थल से फरार हो गया था किंतु उसे वहां मौजूद व्यक्तियों द्वारा उसी समय पकड़ लिया गया था और उसे पुलिस को सौंप दिया गया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी मौजूदगी में पुलिस ने लकड़ी के लट्ठे को कब्जे में लिया था जिसके द्वारा उसने मृतक पर हमला किया था और इस साक्षी ने सुसंगत अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-3) को साबित करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है । अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया है कि पुलिस द्वारा उसका बयान अभिलिखित किया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा भी उसका कथन अभिलिखित किया गया जो

प्रदर्श-2 है और इस साक्षी ने इस कथन को साबित करते हुए उसने उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि घटना के समय वह घटनास्थल से 10 फुट की दूरी पर था और अभियुक्त ने 4-5 व्यक्तियों की मौजूदगी में मृतक के सिर के पीछे की ओर लकड़ी के मोटे-से डंडे से हमला किया था और यह कि यह घटना अपराह्न लगभग 4.00 बजे दिन-दहाड़े ग्राम के बाजार में घटित हुई है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसे अभियुक्त और मृतक के बीच किसी भी पुरानी शत्रुता होने की जानकारी नहीं है । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त ने नहीं अपितु अन्य किसी व्यक्ति ने मृतक पर हमला किया है ।

15. बाबुल अली (अभि. सा. 3) व्यवसाय से एक मैकेनिक है जिसने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक मृदुल रॉय विंगर यान का चालक था और घटना के दिन वह यान बाबुल अली के गैराज में खड़ा किया गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब उक्त चालक गैराज में उस यान पर मैकेनिक द्वारा की जा रही मरम्मत के कार्य को देख रहा था, उसी समय अचानक अभियुक्त पीछे से आया और उसने उक्त मृदुल के सिरे के पीछे की ओर लकड़ी के डंडे से हमला किया और मृतक के सिर से रक्त बहने लगा और वह जमीन पर गिर गया और यह कि उक्त आहत को तत्काल निकट स्थित फार्मेसी (मेडिकल स्टोर) पर ले जाया गया और वहां से उसे बारपेटा मेडिकल ले जाया गया जहां क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अपराध कारित करने के पश्चात् अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गया था किंतु उसे वहां मौजूद स्थानीय व्यक्तियों द्वारा पकड़ लिया गया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसका कथन (प्रदर्श-4) अभिलिखित किया गया जिसे इस साक्षी द्वारा साबित किया गया है और उस पर उसके हस्ताक्षर की पुष्टि की गई है । इस साक्षी का यह अभिसाक्ष्य है कि अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त द्वारा प्रयोग किया गया लकड़ी का डंडा पुलिस

द्वारा उसकी मौजूदगी में अभिगृहीत किया गया था और यह कि उसने इस संबंध में तैयार किए गए अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-3) पर अपने हस्ताक्षर किए थे जिसकी इस साक्षी ने पुष्टि की है ।

अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि अभियुक्त और मृतक के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था और उसने यह दोहराया है कि जब मृतक अपने यान में मैकेनिक द्वारा किए जा रहे मरम्मत के कार्य को देख रहा था, तब अभियुक्त ने मृतक के सिर के पीछे की ओर लकड़ी के मोटे डंडे से हमला किया और यह कि उस समय स्थान पर 15-16 व्यक्ति मौजूद थे जिनके नाम उसे मालूम नहीं हैं । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि उसने यह घटना लगभग 10 फुट की दूरी से देखी है और वह अभियुक्त को घटना के दिन से ही जानता है । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त ने मृतक पर हमला नहीं किया ।

16. विंगर यान का स्वामी दिलीप दास (अभि. सा. 4) है जिस पर मृतक मृदुल रॉय चालक के रूप में नियुक्त किया गया था । उक्त साक्षी ने यह घटना नहीं देखी है किंतु उसे इसके बारे में सूचना दी गई थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि पुलिस ने उसका बयान अभिलिखित किया था ।

17. रबिन दास (अभि. सा. 5) इस मामले में इत्तिलाकर्ता है जो इस घटना का अनुश्रुत साक्षी है और उसे इस घटना की सूचना दी गई थी । इस साक्षी का यह अभिसाक्ष्य है कि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की है जो प्रदर्श-5 है और इस पर किए गए अपने हस्ताक्षर को भी साबित किया है और यह कथन किया है कि पुलिस ने उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने वाले दिन ही उसका बयान अभिलिखित कर लिया था ।

अभि. सा. 5 ने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा किए जाने के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह इस घटना का अनुश्रुत साक्षी है ।

18. बसंत कुमार बोहरा (अभि. सा. 6) इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि पुलिस थाना

सारभोग में दर्ज किए गए मामला सं. 9/2013 में उसने अन्वेषण किया है, घटनास्थल का मुआयना किया है, साक्षियों के बयान अभिलिखित किए हैं, मृतक पर हमला करने के लिए अभियुक्त द्वारा प्रयोग किए गए लकड़ी के डंडे को अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-3) द्वारा अभिगृहीत किया है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं और यह कि बारपेटा मेडिकल में आहत की मृत्यु हुई और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् उसने इस मामले में आरोप पत्र (प्रदर्श-7) प्रस्तुत किया जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस थाना बारपेटा के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक बलेन बर्मन ने मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा की और इस संबंध में रिपोर्ट (प्रदर्श-6) तैयार की और इस साक्षी ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर उक्त बलेन बर्मन द्वारा किए गए हस्ताक्षर की शनाख्त भी की है ।

अभि. सा. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि यह घटना बाबुल अली के गैराज के सामने घटित हुई है और यह कि उसने न्यायालय में लकड़ी के उस डंडे को नहीं देखा है जो बाबुल अली के गैराज के सामने पड़ा हुआ था और इस मामले में अभिगृहीत किया गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि तारीख 11 जनवरी, 2013 को लगभग 12.10 बजे लकड़ी का उक्त डंडा अभिगृहीत किया गया जैसाकि अभियुक्त मजीदुल इस्लाम द्वारा दर्शाया गया है ।

19. मृतक की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-6) से यह प्रदर्शित होता है कि आहत के सिर में क्षति कारित हुई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन बारपेटा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अभिलिखित किए गए भास्कर दास (अभि. सा. 2) और बाबुल अली (अभि. सा. 3) के कथनों क्रमश: प्रदर्श-2 और प्रदर्श-4 से यह प्रतिबिम्बित होता है कि अभियुक्त ने लकड़ी के डंडे से मृतक के सिर पर वार किया है । मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-1) शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक डा. भास्कर (अभि. सा. 1) द्वारा साबित की गई है जिससे यह दर्शित होता है कि आहत के सिर के दाईं ओर पार्श्व कपालीय भाग में 10 सें. मी. × 7 सें. मी. माप की रक्तमय क्षति कारित हुई है जिसकी स्थिति करोटि और खोपड़ी के बीच है । शव-

परीक्षा करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 1) की भी यह राय है कि मृतक की मृत्यु का कारण आघात और रक्तस्राव है जो उसके सिर में क्षति कारित होने का परिणाम है । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और उनके साक्ष्य की संपुष्टि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित उनके कथन प्रदर्श-2 और प्रदर्श-4 से होती है । प्रतिरक्षा पक्ष इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य को अभिखंडित नहीं कर सका ।

20. दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा आहत के सिर पर घटना के दिन लकड़ी के डंडे से हमला किया गया है, इसी कारण आहत की मृत्यु बारपेटा मेडिकल में हुई है ।

21. साक्ष्य में यह भी उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त और मृतक के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था और जब मृतक विंगर यान में मैकेनिक द्वारा किए जा रहे मरम्मत के कार्य को देख रहा था तब अचानक अभियुक्त वहां आया और उसने मृतक के सिर के पीछे की ओर लकड़ी के मोटे डंडे से उस पर हमला किया और घटनास्थल से भाग गया जिसे निकट मौजूद व्यक्तियों द्वारा पकड़ लिया गया तथा घटना के ही दिन अर्थात् तारीख 10 जनवरी, 2013 को पुलिस को सौंप दिया गया ।

22. तथापि, अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या करने के लिए कोई पूर्व-चिंतन किया था और मृतक की हत्या किए जाने से संबंधित अभियुक्त के आशय को साबित करने के लिए भी अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः, इस अपील में हमें यह विचार करना है कि तथ्य और परिस्थितियों से जो अपराध अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है वह हत्या है या हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध है और यह कि दंड संहिता की धारा 302 अपीलार्थी पर ठीक ही अधिरोपित की गई है या नहीं ।

23. भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI में अंतर्विष्ट धारा 299

से धारा 377 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित है । दंड संहिता की धारा 299 'मानव वध' से और धारा 300 'हत्या' तथा 'मानव वध हत्या नहीं है', संबंधित है जबकि धारा 302 'हत्या के लिए दंड' से संबंधित है ।

24. जैसाकि दंड संहिता की धारा 299 के अधीन उल्लेख किया गया है कि जो कोई (1) मृत्यु कारित करने के आशय से, या (2) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो या (3) यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है ।

25. दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों के अधीन चार दृष्टांतों के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया गया मानव वध हत्या है (i) यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा (ii) यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा (iii) यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा (iv) यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे ।

26. **अफराहीम शेख** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता की धारा 299 में वर्णित दो तरीकों से आशयित कृत्य द्वारा

---

[1] ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1263.

किसी व्यक्ति की हत्या कारित करना अथवा यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, को उक्त धारा में वर्णित किया गया है जो उन मामलों में कारित मृत्यु से भिन्न है जिनका संबंध दुर्घटनात्मक, उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कृत्य से होता है जिसमें साधारण या गंभीर क्षति कारित होती है और जब एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य जानबूझकर किया गया है और यह किसी दुर्घटना, उतावले या उपेक्षापूर्ण कृत्य का परिणाम नहीं है तब कारित अपराध मानव वध कहलाता है ।

27. **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **रायवरपू पुनैया**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 299 और धारा 300 के अन्तर्गत आपराधिक मानव वध और हत्या में तुलनात्मक सारणी के साथ अन्तर स्पष्ट किया है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अब्दुल वहीद खां** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[2] ; **शंकर नारायण भडोलकर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] ; **तंगय्या** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[4] ; **इसरार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[5] और **फुलिया तुडू** बनाम **बिहार राज्य**[6] वाले मामलों में उक्त सारणी को निर्दिष्ट किया है । **रायवरपू पुनय्या** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है :

> "12. दंड संहिता की स्कीम में आपराधिक मानव वध मुख्य अपराध है और हत्या उसका एक प्रकार है । सब 'हत्याएं'

---

[1] (1976) 4 एस. सी. सी. 382 = ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 45 = 1977 क्रिमिनल ला जर्नल 1.

[2] (2002) 7 एस. सी. सी. 175 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2961 = 2002 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3463.

[3] (2005) 9 एस. सी. सी. 71 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1966 = 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 1778 (एस. सी.) = 2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1511.

[4] (2005) 9 एस. सी. सी. 650 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1142 = 2005 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 76 = 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 684 (एस. सी.)

[5] (2005) 9 एस. सी. सी. 616 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 249 = 2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6916.

[6] (2007) 14 एस. सी. सी. 588 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3215 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5826 = 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 4690.

आपराधिक 'मानव वध' होती हैं किंतु सब आपराधिक 'मानव वध', 'हत्या' नहीं होते । मोटे तौर पर आपराधिक मानव वध में से हत्या के कुछ विशेष लक्षणों को छोड़ देने पर वह हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध होता है । दंड नियत करने के प्रयोजनार्थ इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात के अनुसार संहिता में वस्तुत: आपराधिक मानव वध की तीन कोटियां मानी गई हैं प्रथम वह जिसे कि प्रथम कोटि का मानव वध कहा जा सकता है । यह आपराधिक मानव वध का अत्यधिक गंभीर रूप है जो कि धारा 300 में हत्या के रूप में परिभाषित है । दूसरे को द्‌वितीय कोटि का आपराधिक मानव वध कहा जा सकता है जो कि धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय है । इसके पश्चात् तीसरी कोटि का मानव वध है । यह आपराधिक मानव वध सबसे निम्न प्रकार का है और इसके लिए उपबंधित दंड भी तीनों कोटियों के लिए उपबंधित दंडों में सबसे कम है । इस कोटिका आपराधिक मानव वध धारा 304 के द्‌वितीय भाग के अधीन दंडनीय है ।

13. हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के बीच शास्त्रीय प्रभेद में न्यायालयों को एक शताब्दी से अधिक समय तक परेशान रखा है । यदि न्यायालय इन धाराओं में विधानमंडल द्‌वारा प्रयुक्त पदों की सही परिधि और अर्थ पर ध्यान न देते हुए, सूक्ष्म बातों में उलझ जाएं तो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन उपबंधों के निर्वचन और लागू होने के संबंध में दृष्टिकोण अपनाने के लिए अत्यधिक निरापद ढंग धारा 299 और धारा 300 में प्रयुक्त विभिन्न खंडों के मुख्य शब्दों को ध्यान में रखना है । दोनों अपराधों के बीच प्रभेद की बातों को समझने के लिए निम्नलिखित तुलनात्मक सारणी लाभप्रद होगी –

दंड संहिता की धारा 299, आपराधिक मानव वध	**दंड संहिता की धारा 300, हत्या**

कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध कारित करता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है,	
आशय	
(क) मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है ; अथवा	(1) मृत्यु कारित करने के आशय से ; अथवा
(ख) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो ; अथवा	(2) ऐसी शारिरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा
	(3) किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित के आशय से किया गया हो और वह शारिरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा
ज्ञान	
(ग) यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दें	यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना

	संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे ।

14. धारा 299 का खंड (ख), धारा 300 के खंड (2) और खंड (3) का तत्समानी है । खंड (2) के अधीन अपेक्षित आपराधिक मन:स्थिति वाली प्रभेदक बात विशिष्ट आहत व्यक्ति के स्वास्थ्य की ऐसी विशेष दशा या स्थिति की बाबत अपराधी की जानकारी है कि जिसमें कि उसे साशय कारित अपहानि का इस तथ्य के होते हुए भी प्राणान्तक होना स्वाभाविक है कि ऐसी अपहानि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की हत्या कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी । यह बात उल्लेखनीय है कि हत्या कारित करने का आशय खंड (2) की अनिवार्य अध्यपेक्षा नहीं है । अपराधी की इस जानकारी के साथ कि यह संभाव्य है कि ऐसी क्षति विशिष्ट आहत व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगी, केवल ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय हत्या को इस खंड की व्याप्ति के अन्तर्गत लाने के लिए पर्याप्त होता है । खंड (2) के इस पहलू की पुष्टि धारा 300 में दिए गए दृष्टांत (ख) से हो जाती है ।

15. धारा 299 का खंड (ख) अपराधी के ऐसे किसी ज्ञान की धारणा नहीं करता है । धारा 300 के खंड (2) के अधीन आने वाले मामलों के उदाहरण वे हो सकते हैं जिनमें कि हमलावर यह जानते हुए कि आहत व्यक्ति का जिगर बढ़ा हुआ है या तिल्ली बढ़ी हुई है या उसका हृदय रोगग्रस्त है और यह संभाव्य है कि ऐसा प्रहार यथास्थिति जिगर या तिल्ली के फट जाने या हृदयपात के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति विशेष की हत्या कारित कर देगा, साशय किए गए मुक्के के प्रहार से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है । यदि हमलावर को आहत व्यक्ति की बीमारी या विशेष कमजोरी की बाबत ऐसा ज्ञान न हो, न ही उसकी मृत्यु

कारित करने या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय हो जो कि मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होती है तो अपराध हत्या नहीं होगा, भले ही जिस क्षति के कारण मृत्यु हुई थी वह साशय पहुंचाई गई हो ।

16. धारा 300 के खंड (3) में धारा 299 के तत्समानी खंड (ख) में आने वाले 'जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव है' शब्दों के स्थान पर 'प्रकृति के मामूली अनुक्रम में ... पर्याप्त हो' शब्द प्रयुक्त किए गए हैं । स्पष्ट है कि प्रभेद ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो और ऐसी शारीरिक क्षति, जो 'प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो', के बीच है । प्रभेद सूक्ष्म किंतु वास्तविक है और यदि इसकी उपेक्षा की जाए तो इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है । धारा 299 के खंड (ख) और धारा 300 के तीसरे खंड के बीच प्रभेद आशयित शारीरिक क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु की अधिसंभाव्यता की मात्रा विषयक है । मोटे तौर पर मृत्यु की अधिसंभाव्यता की मात्रा ही इस बात का अवधारण करती है कि क्या आपराधिक मानव वध अति घोर कोटि का या मध्यम कोटि का या निम्नतम कोटि का है । धारा 299 के खंड (ख) में 'संभाव्य है' शब्द मात्र संभावना से भिन्न अधिसंभाव्यता का अर्थ देते हैं । 'वह शारीरिक क्षति ..... प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है' शब्दों से यह अभिप्रेत है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए मृत्यु क्षति का अत्यधिक अधिसंभाव्य परिणाम होगा ।

17. यदि मृत्यु उस साशय शारीरिक क्षति या क्षतियों के परिणामस्वरूप होती है जो कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होती है तो मामलों के तीसरे खंड के अन्तर्गत आने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय मृत्यु कारित करने का था । राजवंत और एक अन्य **बनाम** केरल राज्य (ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1874) इस प्रश्न के विषय में एक स्पष्ट दृष्टांत है ।

18. विरसा सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465) वाले मामले में इस न्यायालय का निर्णय देते हुए न्यायाधिपति विवियन बोस ने (पृष्ठ 1500 पर) खंड तीन के अर्थ और प्रविषय को इस प्रकार स्पष्ट किया था –

> "अभियोजन पक्ष को मामले की धारा 300 के अधीन लाने के पूर्व निम्नलिखित तथ्य अवश्य ही साबित करने चाहिए । पहला उसे पूर्णत: वस्तुपरक रूप से यह सिद्ध करना चाहिए कि शारीरिक क्षति विद्‌यमान है ; दूसरा क्षति का स्वरूप साबित किया जाना चाहिए । यह विशुद्धत: वस्तुपरक अन्वेषण है । यह अवश्य ही साबित किया जाना चाहिए कि वही क्षति विशेष कारित करने का आशय था अर्थात् वह आकस्मिक या अनाशयित नहीं थी या किसी और प्रकार की क्षति कारित करना आशयित नहीं था । एक बार जब इन तीनों बातों का विद्‌यमान होना साबित कर दिया जाता है तो जांच आगे की जाती है और चौथा यह साबित किया जाना होगा कि ऊपर वर्णित प्रकार की क्षति जिसमें ऊपर दिए गए तीनों तत्व विद्‌यमान थे, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । जांच का यह भाग विशुद्धत: वस्तुपरक और आनुमानिक होता है और इसका अपराधी के आशय से कोई संबंध नहीं होता है ।"

19. इस प्रकार **विरसा सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित सिद्धांत के अनुसार भले ही अपराधी का आशय ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने तक सीमित था जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और वह मृत्यु कारित करने का आशय नहीं रखता था तो भी अपराध हत्या ही होगा । धारा 300 में दिया गया दृष्टांत (ग) इस बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर देता है ।

20. धारा 299 के खंड (ग) और धारा 300 के चौथे खंड अर्थात् दोनों के अधीन ही यह ज्ञान अपेक्षित है कि किए जाने वाले कार्य द्‌वारा मृत्यु हो जाना अधिसंभाव्य है । इस मामले के

प्रयोजनार्थ इन दो तत्समानी खंडों के बीच प्रभेद का सविस्तार वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है । यह कहना पर्याप्त होगा कि धारा 300 का चौथा खंड केवल वहीं लागू होगा जहां कि विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों से भिन्न साधारणतया व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु की, जो कि उसके आसन्न संकट कार्य द्वारा की जाती है, अधिसंभाव्यता के बारे में अपराधी का ज्ञान लगभग निश्चित ही होगा । अपराधी का ऐसा ज्ञान अधिसंभाव्यता की अधिकतम मात्रा का होना चाहिए और कार्य अपराधी द्वारा मृत्यु कारित करने या यथा पूर्वोक्त प्रकार की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना किया गया होना चाहिए ।

21. उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी किसी न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना होता है कि क्या कोई अपराध मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 'हत्या' है या 'हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध' तो उसके लिए इस समस्या पर तीन प्रक्रमों पर विचार करना सुविधाजनक होगा । प्रथम प्रक्रम पर विचारित किए जाने वाला प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त ने ऐसा कोई कार्य किया है जिसके द्वारा उसने किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी है । अभियुक्त के ऐसे कार्य और मृत्यु के बीच ऐसे आकस्मिक संबंध का सबूत इस बात पर विचार करने के लिए द्वितीय प्रक्रम की ओर ले जाता है कि क्या अभियुक्त का वह कार्य धारा 299 में यथा परिभाषित आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है । यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रथमदृष्ट्या सकारात्मक पाया जाता है तो दंड संहिता की धारा 300 के प्रवर्तन पर विचार करने का प्रक्रम आ जाता है । इस प्रक्रम पर न्यायालय को इस बात का अवधारण करना चाहिए कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा साबित तथ्य मामले को धारा 300 में अन्तर्विष्ट 'हत्या' की परिभाषा के चार खंडों में से किसी एक की व्याप्ति के अन्तर्गत ले आते हैं । यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक हो तो वह अपराध हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध होगा जो कि इस बात पर निर्भर करते हुए कि

क्या क्रमशः धारा 299 का खंड (2) या खंड (3) लागू होता है, धारा 304 के प्रथम या द्वितीय भाग के अधीन दंडनीय होगा । यदि यह प्रश्न सकारात्मक पाया जाता है किंतु मामला धारा 300 में प्रगणित अपवादों में किसी के अधीन आ जाता है तो अपराध तब भी हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध होगा जो कि दंड संहिता की धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय होगा ।

22. उपर्युक्त बातें केवल मार्गदर्शक बातें हैं कि सुदृढ़ आज्ञापक बातें । अधिकांश मामलों में इनका अनुपालन करने से न्यायालय का काम सुकर हो जाएगा । किंतु कभी-कभी तथ्य एक-दूसरे से इतने अधिक मिलते-जुलते हैं और द्वितीय तथा तृतीय प्रक्रम एक-दूसरे में इतने अधिक मिले होते हैं कि द्वितीय और तृतीय प्रक्रम में अन्तर्वलित मामलों के बारे में पृथक् रूप से व्यवहार सुविधाजनक नहीं हो सकता है ।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **फुलिया तुडू** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में **विरसा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले को निर्दिष्ट करते हुए निम्न मत व्यक्त किया :–

"29. दंड संहिता की धारा 300 के तीसरे खंड के संघटक पर न्यायाधीश द्वारा विरसा सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465) वाले मामले के पृष्ठ सं. 467 पर पैरा 12 में पहले ही निम्न मत व्यक्त किया गया है –

"12. संक्षेप में अभियोजन पक्ष को किसी मामले को धारा 300 के तीसरे खंड के अधीन लाने के लिए निम्न तथ्य साबित करने चाहिएं –

पहला यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि उद्देश्यात्मक रूप से शारीरिक क्षति कारित की गई है ;

---

[1] (2007) 14 एस. सी. सी. 588 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3215 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5826 = 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 4690.

[2] ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465.

दूसरा कारित की गई क्षतियों की प्रकृति सिद्ध की जानी चाहिए जो कि पूर्णतया अन्वेषण का भाग है,

तीसरा यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय किया गया था जो दुर्घटनात्मक, अनाशयित या अन्य किसी प्रकार की आशयित क्षति नहीं है ।

जब एक बार ये तीनों तथ्य साबित कर दिए जाते हैं तब आगे जांच की जानी चाहिए और

चौथा यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि ऊपर वर्णित क्षति तीन तत्वों से मिलकर बनी है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । जांच का यह भाग पूर्णतया उद्देश्यात्मक और निश्चायक है और इसका अपराधी के आशय से कोई लेना-देना नहीं है ।"

30. विद्वान् न्यायाधीश ने तीसरे संघटक को **विरसा सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले के पृष्ठ 468 पर पैरा 16 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है –

"प्रश्न यह नहीं है कि क्या कैदी ने गंभीर या सामान्य क्षति कारित करने का आशय किया था बल्कि प्रश्न यह है कि क्या उसने वही क्षति कारित करने का आशय किया था जो साबित की गई है । यदि कैदी यह दर्शित कर सकता है कि उसने ऐसा आशय नहीं किया था या परिस्थितियों की संपूर्णता से न्यायोचित रूप से ऐसा ही निष्कर्ष निकलता है, तब निस्संदेह इस धारा में यथापेक्षित आशय साबित नहीं किया गया है । किंतु यदि क्षति के परे कुछ नहीं है तब तथ्य यही शेष रहता है कि अपीलार्थी ने यह क्षति कारित की है अर्थात् मात्र संभव निष्कर्ष यह निकलता है कि अपीलार्थी ने ही यह क्षति पहुंचाई है । क्या अभियुक्त-अपीलार्थी क्षति की गंभीरता को जानता था या उसने गंभीर परिणाम का आशय किया था, यह कहीं भी साबित नहीं किया गया है । जहां तक आशय का

संबंध है, विचार के लिए प्रश्न यह शेष नहीं रहता है कि क्या अपराधी ने हत्या का आशय किया था या नहीं या उसने किसी विशेष प्रकार की गंभीर क्षति कारित करने का आशय किया था बल्कि विचार के लिए प्रश्न यह है कि उसने प्रश्नगत क्षति कारित करने का आशय किया था या नहीं ; और जब एक बार क्षति की विद्यमानता साबित कर दी जाती है, तब यही उपधारण किया जाएगा कि यह क्षति कारित करने का आशय किया गया था परंतु ऐसा तब माना जाएगा जब साक्ष्य या परिस्थितियां से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष न निकले ।

31. माननीय न्यायमूर्ति विवियन बोस द्वारा दी गई मताभिव्यक्तियां सार्वजनिक हो चुकी हैं । विरसा सिंह वाले मामले में दंड संहिता की धारा 300 का "तीसरा" के लागू किए जाने से संबंधित अधिकथित कसौटी हमारे विधिक तंत्र में प्रयुक्त की जाती है और यह विधि का नियम बन चुकी है । दंड संहिता की धारा 300 का खंड "तीसरा" के अधीन मानव वध हत्या है यदि इन दोनों शर्तों का समाधान हो जाए अर्थात् (क) जिस कार्य से मृत्यु कारित की गई है वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है या शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है ; और (ख) आशयित क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । यह साबित किया जाना चाहिए कि ऐसी विशिष्ट क्षति कारित करने का आशय किया गया था जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो अर्थात् जो क्षति पाई गई है उसे ही कारित करने का आशय किया गया था ।

33. दंड संहिता की धारा 299 का खंड (ग) और धारा 300 का (4) दोनों के ही अधीन मृत्यु कारित करने के कृत्य की संभाव्यता का ज्ञान होना अपेक्षित है । इस मामले के

प्रयोजनार्थ यह आवश्यक नहीं है कि इन दोनों समवर्ती खंडों में अधिक अंतर स्पष्ट किया जाए । यह कहना पर्याप्त होगा कि धारा 300 का खंड (4) वहां लागू होगा जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु की संभाव्यता या सामान्य रूप से किसी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों विशेष से भिन्न हो, भयावह कृत्य के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से निश्चित हो । अपराधी को ऐसा ज्ञान संभाव्यता की उच्च कोटि का होना चाहिए अर्थात् अपराधी द्वारा किया गया कृत्य ऐसा हो जिसके संबंध में वह कोई भी अन्यथा स्पष्टीकरण न दे सके ।

34. उपरोक्त बातें केवल मोटे-मोटे सिद्धांत के रूप में कही गई हैं जिनका प्रयोग एकमात्र सूत्र के आधार पर नहीं किया जा सकता । बहुत-से मामलों में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना न्यायालय के कार्य को सुकर बनाना है । किंतु कभी-कभी कुछ मामलों में तथ्य अत्यंत जटिल होते हैं कि द्वितीय और तृतीय प्रक्रम पर भी विचार करना कठिन होता है और दोनों परिस्थितियों में पृथक् उपचार करना भी सुविधाजनक नहीं हो पाता ।

35. आंध्र प्रदेश राज्य **बनाम** रायवरपू पुनैया, [(1976) 4 एस. सी. सी. 382] और अब्दुल वहीद खान **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य, [(2002) 7 एस. सी. सी. 175 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2961 = 2002 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3463], ऑगस्टीन सलदाना **बनाम** कर्नाटक राज्य, [(2003) 10 एस. सी. 472 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3843 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 4458 (एस. सी.) = 2003 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4410] वाले मामलों में इस न्यायालय ने इस स्थिति को भलीभांति स्पष्ट किया है ।"

29. **गुदर दुसाध** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने निम्न प्रकार

---

[1] [1972] 2 उम. नि. प. 591 = (1972) 3 एस. सी. सी. 118.

मत व्यक्त किया :–

> "8. खंड 'तीसरा' में दो भाग हैं, प्रथम भाग के अधीन यह दर्शित करना होता है कि मृतक के शरीर पर जो क्षति पाई गई थी उस विशिष्ट क्षति को पहुंचाने के लिए अभियुक्त का आशय था । दूसरा भाग यह अपेक्षा करता है कि जिस शारीरिक क्षति को पहुंचाने के लिए आशय किया गया था वह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । जहां तक पहले भाग का संबंध है, न्यायालय को यह देखना पड़ता है कि क्या मृतक के शरीर पर पाई गई क्षति ऐसी थी जिसको पहुंचाने के लिए अभियुक्त का आशय था या क्या यह आकस्मिक क्षति थी कि जिस शारीरिक क्षति को कारित करने के लिए उसका कोई आशय नहीं था । एक बार जब यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि क्षति आकस्मिक नहीं थी, और अभियुक्त ने क्षति कारित करने के लिए आशय किया था, और जिसको कि उसने वास्तविक रूप से पहुंचाया और मृतक के शरीर पर पाई गई । तब न्यायालय खंड के तीसरे भाग पर विचार करेगा और चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालेगा कि क्या पहुंचाई गई क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि दोनों भागों की अपेक्षाओं का समाधान हो चुका है तो यह अभिनिर्धारित किया जाएगा कि यह मामला खंड 'तीसरा' के अन्तर्गत आता है, जब तक कि यह अपवादों में से किसी अपवाद के अन्तर्गत न आता हो ।"

30. मामले के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि तारीख 10 जनवरी, 2013 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे जब आहत अपने वाहन में मिस्त्री द्वारा किए जा रहे कार्य को देख रहा था, तब अभियुक्त अचानक वहां आया और उसने आहत के सिर पर लकड़ी के मोटे डंडे से वार किया और इसके पश्चात् घटनास्थल से भाग गया और उक्त आहत की उसी रात्रि में अपराह्न लगभग 10.00/10.25 बजे अस्पताल में मृत्यु हो गई । मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट तथा शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य से यह साबित होता है कि मृतक मृदुल रॉय के सिर

पर लकड़ी के मोटे डंडे से बलपूर्वक वार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसके दाएं पार्श्विक भाग में 10 सें. मी. × 7 सें. मी. माप की क्षति कारित हुई है जिसके चारों ओर सूजन आई हुई थी और करोटि में घाव के निकट रक्त पाया गया है और मृतक की मृत्यु उसके सिर में पहुंची क्षति से होने वाले आघात तथा रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुई है और मृतक के शरीर के अन्य भाग अक्षत पाए गए हैं । मृतक को यह क्षति उसके सिर में कारित हुई है जो शरीर का नाजुक अंग है और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृदुल रॉय को कारित की गई यह क्षति घातक साबित हुई है ।

31. मामले की परिस्थितियों से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर जानबूझकर वार किया गया है जो कि दुर्घटनात्मक या अनाशयित नहीं है और न ही अभियुक्त द्वारा अन्य किसी प्रकार की क्षति कारित करने का आशय किया गया था । सिर में कारित की गई उक्त क्षति, जो कि साबित की गई है, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । चूंकि अभियुक्त ने मृतक के नाजुक अंग अर्थात् सिर में क्षति कारित की है वह भी लकड़ी के मोटे डंडे से, मृतक की हत्या करने का आशय अभियुक्त के इस कृत्य से निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है ।

32. वर्तमान मामले में यह देखा गया है कि मृतक और अपीलार्थी के बीच कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है और न ही कहा-सुनी अथवा हाथापाई नहीं हुई है और मृतक की ओर से कोई भी प्रकोपन भी नहीं किया गया है । इस मामले में अभियुक्त ही ने आक्रामक होकर मृतक के सिर पर हमला किया है जिसके दौरान मृतक अपना बचाव भी नहीं कर सका । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर लकड़ी के मोटे डंडे से वार किए जाने के संबंध में प्रतिरक्षा पक्ष इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्यों को अभिखंडित नहीं कर सका है, इसलिए इन साक्षियों का साक्ष्य विचलित नहीं हुआ है ।

33. यह सुस्थापित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सिर पर लकड़ी या लोहे के मोटे डंडे से या लाठी से ऐसा वार करता है जिससे गंभीर क्षति कारित हो तब हमलावर के प्रति यही उपधारणा की जाएगी

कि उसका आशय आहत की मृत्यु कारित करने का ही था या ऐसी क्षति कारित करने का था जो उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो और ऐसा मामला दंड संहिता की धारा 300 के खंड 'तीसरा' के अधीन आएगा । यह तथ्य कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर केवल एक वार किया था, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में उसका अपराध कम नहीं हो सकता और अभियुक्त हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अपराध का दोषी हो जाता है ।

34. वर्तमान मामले में, **राजवंत सिंह** (उपरोक्त) और **विरसा सिंह** (उपरोक्त) वाले मामलों में अधिकथित विधि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई है और अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध मामला दंड संहिता की धारा 300 के खंड 'तीसरा' के अधीन पूरी तरह आता है ।

35. अत: हमारा यह समाधान हो गया है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित है और हमें 2013 के मामला सं. 09 (पुलिस थाना सारभोग, जिला बारपेटा) से उद्भूत जी. आर. मामला सं. 102/2013 के समवर्ती सेशन मामला सं. 187/2013 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बारपेटा द्वारा तारीख 10 मार्च, 2015 को पारित किए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।

36. विद्वान् न्यायमित्र द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले को लागू नहीं होते हैं । **बालू पुत्र ओंकार पुंड और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में पुरुषों के दो गुटों में पशुशाला को लेकर झगड़ा हो गया था और एक अभियुक्त ने पशुशाला में मिट्टी का तेल उंडेलकर आग लगा ली जिसके परिणामस्वरूप आहत अचानक आग के संपर्क में आकर क्षतिग्रस्त हो गया और दाह-क्षतियों के कारण तत्पश्चात् उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई । **दिलीप कुमार मंडल और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[2] वाले एक अन्य मामले में घटित हुई घटना से

---

[1] (2015) 3 एस. सी. सी. 409 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 949 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 980.

[2] (2015) 3 एस. सी. सी. 433 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 1321 ((एस. सी.) = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 37 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 616.

संबंधित कोई भी पूर्वचिंतन नहीं किया गया था किंतु पक्षकारों के बीच हाथापाई हुई थी जिसके परिणामस्वरूप मृतक को क्षतियां कारित हुईं किंतु अभिकथित क्षतियों से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य नहीं था । **आपू दत्ता** बनाम **असम राज्य**[1] वाले मामले में किए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए प्रत्यर्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357क के अधीन आहत को प्रतिकर दिए जाने का निवेदन किया है किंतु अभिलेख पर मृतक के आश्रितों और उनके पुनर्वास की आवश्यकता से संबंधित कोई भी सामग्री नहीं है ।

37. परिणामत:, हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अपील में कोई सार नहीं है और तद्नुसार यह खारिज की जाती है ।

38. हम अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् न्यायमित्र सुश्री सैयदा खालिदा नरगिस और असम राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री बोरनाली भुयन दोनों की ओर से दी गई महत्वपूर्ण सहायता की प्रशंसा करते हैं । गुवाहाटी उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, गुवाहाटी की विद्वान् न्यायमित्र सुश्री सैयदा खालिदा नरगिस को 7,500/- रुपए का संदाय उनके व्यवसायिक शुल्क के रूप में करेगा ।

39. रजिस्ट्री विभाग मामले के संपूर्ण अभिलेख को विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बारपेटा को इस निर्णय की प्रति के साथ भेजेगा ।

40. रजिस्ट्री विभाग इस निर्णय की प्रति जिला कारागार, बारपेटा के अधीक्षक/जेलर को अग्रप्रेषित करेगा ताकि वह मजीदुल इस्लाम **उर्फ** मजीदुल को दे दी जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

---

[1] (2018) 2 जी. एल. टी. 385.

राम स्वरूप महतो

बनाम

बिहार राज्य

(2019 की दांडिक अपील सं. 1489)

तारीख 7 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति पार्था सारथी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क और 304ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – क्रूरता और दहेज मृत्यु – साक्ष्य का मूल्यांकन – दहेज की मांग को लेकर अभियुक्त पति द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता और उसकी हत्या किए जाने का अभिकथन – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का न होना – शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक और अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न कराना – घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक तथा अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा नहीं कराई गई है और साथ ही कुछ ऐसे साक्षियों की परीक्षा कराई गई है जिनका कोई भी बयान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं किया गया था और कुछ ऐसे साक्षियों की परीक्षा नहीं कराई गई है जिनके बयान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए थे तथा इसके साथ-साथ पड़ोसियों द्वारा भी दहेज हत्या के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त-प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति न्यायोचित है ।

आरंभ में शिकायतकर्ता ने तारीख 2 जून, 2016 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीसराय के समक्ष शिकायत मामला सं. 200/2006 फाइल किया जिसमें उसने यह कथन किया है कि उसकी पुत्री अनिता कुमारी का विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ हुआ था । उसे उसके वैवाहिक गृह में एक वर्ष तक ठीक प्रकार रखा गया । इसके पश्चात् उसके पति, श्वसुर, सास, ज्येष्ठ और ननद द्वारा 50,000/-

रुपए की मांग की गई । इन व्यक्तियों ने उपरोक्त मांग पूरी न किए जाने के कारण अनिता कुमारी के साथ क्रूरता की । जब शिकायतकर्ता को इस संबंध में जानकारी मिली तो वह अपनी पुत्री को 1 अप्रैल, 2015 को वापस ले आया । इसके पश्चात् उसका दामाद, समधी और दामाद के बड़े भाई मुकेश महतो उसके घर आए और उन्होंने अनिता कुमारी की विदाई करने को कहा । इन व्यक्तियों ने यह आश्वासन दिया कि शिकायतकर्ता की पुत्री अर्थात् अनिता कुमारी के साथ भविष्य में उसकी ससुराल में क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा । इसके पश्चात् तारीख 1 अप्रैल, 2006 को उसने अपनी पुत्री को उसकी ससुराल भेज दिया । इसके पश्चात्, शिकायतकर्ता को यह पता चला कि तारीख 25 मई, 2006 को उसकी पुत्री को मराठा नगर, सूरत (गुजरात) ले जाया गया और उसकी हत्या कर दी गई और साथ ही उसका क्रियाकर्म भी कर दिया गया । इस साक्षी ने अपनी शिकायत में यह भी कथन किया है कि पूछताछ किए जाने पर उसे यह पता चला कि उसका दामाद मराठा नगर, सूरत (गुजरात) की एक फैक्ट्री में काम करता है जहां वह उसकी पुत्री को ले गया था किंतु जब शिकायतकर्ता अपने दामाद के क्वार्टर पर पहुंचा, उसने किसी भी व्यक्ति को वहां मौजूद नहीं पाया । पूछताछ किए जाने पर उसे यह पता चला कि उसकी पुत्री के साथ मराठा नगर, सूरत (गुजरात) में कई प्रकार से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था और लगभग डेढ़ मास पूर्व उसकी हत्या कर दी गई है । इस संबंध में, उसने पांडेयसर पुलिस थाने में सूचना दी किंतु पुलिसकर्मियों ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया जिसके पश्चात् शिकायतकर्ता लखीसराय वापस आ गया और पुलिस को सूचित किया । लखीसराय की पुलिस ने भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया और उसे न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल करने की सलाह दी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन फाइल की गई उक्त शिकायत अन्वेषण किए जाने के लिए विद्‌वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीसराय द्‌वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पुलिस को सौंपी गई जिसके अनुसरण में

लखीसराय पुलिस थाने में तारीख 17 मार्च, 2007 को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् उपेन्द्र महतो और उसके पिता रामबिलास महतो, भाई मुकेश महतो, माता सोधनी देवी, बहिन मुन्नी देवी और पत्नी मुकेश महतो के विरुद्ध मामला सं. 117 दर्ज किया गया । अन्वेषण पूरा होने पर अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 30 सितंबर, 2019 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अधीन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । पुलिस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि केवल प्रत्यर्थी सं. 2 का ही विचारण दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए किया गया है । अन्य अभियुक्त, प्रत्यर्थी सं. 2 के नातेदार हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान निर्दोष पाया गया है । इस प्रकार, इन व्यक्तियों का विचारण नहीं किया गया है । अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट से यह भी उपदर्शित होता है कि अन्वेषण के दौरान यह पाया गया है कि अभिकथित तारीख को जिस दिन अपीलार्थी की पुत्री की मृत्यु हुई है, प्रत्यर्थी सं. 2 अपने काम पर फैक्ट्री गया था और जब वह वापस आया तो उसने पाया कि उसकी पत्नी ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली है । उसने इस संबंध में पांडेयसर पुलिस थाने में सूचना दी जिसके पश्चात् पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रत्यर्थी सं. 2 के कथन के आधार पर तारीख 24 अप्रैल, 2006 को पांडेयसर पुलिस थाने में अप्राकृतिक मृत्यु के लिए मामला सं. 39/2006 रजिस्ट्रीकृत किया गया । पुलिस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और विचारण के लिए मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया । विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध आरोप विरचित किए । चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसका विचारण किया गया । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने गायत्री देवी (अभि. सा. 1), कुंती देवी (अभि. सा. 2), धनेश्वर तंती (अभि. सा. 3), संजय महतो (अभि. सा. 4) राम स्वरूप महतो (अभि. सा. 5) और मुकेश महतो (अभि. सा. 6) की परीक्षा कराई । अभियोजन

साक्षियों की परीक्षा कराए जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन अभिलिखित किया गया जिसमें उसने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया । तथापि, प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई । प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् पक्षकारों की ओर से दलीलें दी गईं और विचारण न्यायालय ने अपने तारीख 25 नवंबर, 2019 के आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया । दोषमुक्ति के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – साक्षियों के अभिसाक्ष्य की समीक्षा करने के पश्चात् न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि मृतका की मृत्यु होने का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए सभी साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं । इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 5), उसकी पत्नी (अभि. सा. 2) और उसके भाई (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान उनके कथन पुलिस द्वारा कभी-भी अभिलिखित नहीं किए गए । इससे यह अर्थ निकलता है कि विचारण के दौरान इन साक्षियों की परीक्षा पहली बार की गई है । यह आश्चर्य की बात है कि यदि अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ नहीं की गई थी तो फिर उन्हें आरोप पत्र में साक्षी कैसे दर्शाया गया है । इस मामले के अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा विचारण के दौरान नहीं कराई गई है । अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न कराए जाने से अभियोजन पक्षकथन पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतका की मृत्यु के तत्काल पश्चात् स्थानीय पुलिस को अर्थात् पुलिस थाना पांडेयसर, सूरत (गुजरात) को सूचना दी गई । पुलिस तथा प्रत्यर्थी सं. 2 घटनास्थल पर पहुंचे और मृतका का शव पुलिस थाने तथा स्थानीय अस्पताल ले जाया गया । इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 2 के आधार पर तारीख 20 अप्रैल, 2006 को पुलिस थाना पांडेयसर में मामला सं. 39/2006 अप्राकृतिक मृत्यु को लेकर दर्ज

किया गया । यह पता नहीं चल सका है कि पुलिस को रिपोर्ट किए गए अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में जांच के दौरान क्या पाया गया । यह भी पता नहीं चल सका कि मृतका की मृत्यु का कारण क्या था क्योंकि शव-परीक्षण रिपोर्ट भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है । अभियोजन पक्ष द्वारा इन दस्तावेजों का अभिलेख पर प्रस्तुत न किए जाने से अभियोजन पक्षकथन गंभीर रूप से संदिग्ध हो जाता है । अभियोजन पक्ष मृतका का शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक की परीक्षा कराने में भी असफल रहा है । न्यायालय का यह भी निष्कर्ष है कि विचारण के दौरान परीक्षा किए गए अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में कोई भी संगतता नहीं है । मृतका की मृत्यु 24 अप्रैल, 2006 को हुई थी किंतु इस संबंध में शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीसराय के समक्ष तारीख 2 जून, 2016 को प्रस्तुत की गई । इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 5) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे अपनी पुत्री की मृत्यु के बारे में तारीख 25 मई, 2006 को उसकी ननिहाल से सूचना प्राप्त हुई थी । उसकी पत्नी कुन्ती देवी (अभि. सा. 2) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि मृतका की मृत्यु से संबंधित सूचना घटना के 20-25 दिन बाद प्राप्त हुई थी जिसके पश्चात् वह अपने पति के साथ सूरत गई । तथापि, इत्तिलाकर्ता के भाई संजय महतो (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसे अपनी भतीजी के बारे में उसकी मृत्यु के दो दिन पश्चात् उसके ममेरे भाई दिलीप महतो से पता चला था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि कोई पुलिस अधिकारी सूरत से आया था जिसने उसकी भतीजी की मृत्यु के बारे में बताया था और उस अधिकारी ने उसके भाई का कथन अभिलिखित किया था । इस प्रकार, न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इत्तिलाकर्ता और उसकी पत्नी का साक्ष्य अभि. सा. 4 के साक्ष्य से सारभूत रूप से इन बातों को लेकर मेल नहीं खाता है कि मृतका की मृत्यु की जानकारी कैसे मिली और इत्तिलाकर्ता का कथन कब अभिलिखित किया गया । यदि अभि. सा. 4 के साक्ष्य पर विश्वास किया जाए, तब यह पता नहीं चल पाता है कि मृतका की मृत्यु की जानकारी की तारीख से एक मास से अधिक समय के पश्चात् इत्तिलाकर्ता द्वारा शिकायत क्यों फाइल की गई । न्यायालय का यह भी निष्कर्ष है कि इत्तिलाकर्ता ने यह कथन

किया है कि उसे उसकी ननिहाल से उसकी पुत्री की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी जबकि अभि. सा. 4 का यह कथन है कि इस संबंध में सूचना प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई थी जो घटना के दो दिन बाद सूरत, गुजरात से आए थे । इत्तिलाकर्ता के अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर हमें यह पता चलता है कि उसके अपने ही कथन में कई विरोधाभास हैं विशेषकर उसकी पुत्री की मृत्यु की जानकारी के संबंध में । इत्तिलाकर्ता ने यह कथन किया है कि तारीख 25 मई, 2006 को उसे अपनी ननिहाल से सूचना प्राप्त हुई थी कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है और इसके पश्चात् वह सूरत चला गया था । तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि जब वह सूरत गया था तब उसकी मुलाकात दाहो महतो से हुई थी जिसने उसे यह बताया था कि उसकी पुत्री की मृत्यु 10 दिन पहले फांसी पर लटकने से हुई है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपनी पुत्री के जीवनकाल में कभी-भी सूरत नहीं गया । यदि उसकी मुलाकात सूरत में उसकी पुत्री की मृत्यु के 10 दिन के भीतर दाहो महतो से हुई थी, तब यह अविश्वसनीय है कि उसे मृत्यु की सूचना 25 मई, 2006 को मिली है जबकि मृत्यु 24 अप्रैल, 2006 को ही हो गई थी । इसके अतिरिक्त, मिथुन महतो, दिलीप महतो और दाहो महतो को वर्तमान मामले में साक्षी नहीं बनाया गया है । इन साक्षियों की परीक्षा न कराए जाने से प्रतिरक्षा पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । न्यायालय ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3, जो कि इत्तिलाकर्ता के पड़ोसी हैं, के साक्ष्यों पर विचार किया है । ये साक्षी कभी-भी सूरत नहीं गए हैं । इन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनकी मौजूदगी में दहेज की कोई भी मांग नहीं की गई है । इन साक्षियों ने मात्र यह कथन किया है कि उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना मिली थी । इन साक्षियों का साक्ष्य अभियोजन पक्षकथन के लिए किसी भी प्रकार लाभकारी नहीं हैं । इसी प्रकार, अभि. सा. 4 ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान दहेज मृत्यु के संबंध में कुछ नहीं कहा है । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस या न्यायालय को मृतका की ससुराल में उसके साथ पूर्व में की गई क्रूरता से संबंधित कोई भी सूचना नहीं दी गई थी । अभि. सा. 4 का साक्ष्य भी अभियोजन पक्षकथन के लिए किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं है । अभियोजन पक्ष

की ओर से मुकेश महतो (अभि. सा. 6) की भी परीक्षा कराई गई है । इस साक्षी ने अपनी परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि वह भी मिथुन महतो के मकान में रहता था और उसी मकान में प्रत्यर्थी सं. 2 अपनी पत्नी के साथ रहता था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभिकथित घटना के दिन प्रत्यर्थी सं. 2 उसके साथ उसके कार्यस्थल पर अपनी ड्यूटी कर रहा था । उसने (न्यायालय में) यह कथन किया है कि उसने (पुलिस को) यह नहीं बताया था कि यह दहेज मृत्यु का मामला है । उसने यह कथन किया है कि मृत्यु के पश्चात् पुलिस आई और वहां पर प्रत्यर्थी सं. 2 भी मौजूद था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसका बयान मराठा नगर, सूरत, गुजरात में अभिलिखित किया गया था । इस प्रकार, अभि. सा. 6 के साक्ष्य में किसी भी प्रकार से प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध अपराधजन्य सामग्री नहीं है अपितु इस साक्षी के साक्ष्य से उसकी निर्दोषिता ही साबित होती है । अभि. सा. 6 के अतिरिक्त घटनास्थल का अन्य कोई साक्षी नहीं है । इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्षकथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता । (पैरा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46 और 47)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 1489.

2014 के सेशन विचारण मामला सं. 15 में विद्वान् त्वरित न्यायालय द्वारा तारीख 15 नवंबर, 2019 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री पंकज कुमार सिन्हा, रबी भूषण और सुश्री राखी कुमारी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अजय मिश्रा (अपर लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री पंकज कुमार सिन्हा और राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री अजय मिश्रा की सुनवाई की गई है ।

2. यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372 के परंतुक के अधीन अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई है जिसमें 2014 के सेशन विचारण मामला सं. 15 में विद्वान् त्वरित न्यायालय सं. II, लखीसराय द्वारा तारीख 25 नवंबर, 2019 को पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 304ख और 498क के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया गया था ।

3. आरंभ में शिकायतकर्ता ने तारीख 2 जून, 2016 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीसराय के समक्ष शिकायत मामला सं. 200/2006 फाइल किया जिसमें उसने यह कथन किया है कि उसकी पुत्री अनिता कुमारी का विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ हुआ था । उसे उसके वैवाहिक गृह में एक वर्ष तक ठीक प्रकार रखा गया । इसके पश्चात् उसके पति, श्वसुर, सास, ज्येष्ठ और ननद द्वारा 50,000/- रुपए की मांग की गई । इन व्यक्तियों ने उपरोक्त मांग पूरी न किए जाने के कारण अनिता कुमारी के साथ क्रूरता की । जब शिकायतकर्ता को इस संबंध में जानकारी मिली तो वह अपनी पुत्री को 1 अप्रैल, 2015 को वापस ले आया । इसके पश्चात् उसका दामाद, समधी और दामाद के बड़े भाई मुकेश महतो उसके घर आए और उन्होंने अनिता कुमारी की विदाई करने को कहा । इन व्यक्तियों ने यह आश्वासन दिया कि शिकायतकर्ता की पुत्री अर्थात् अनिता कुमारी के साथ भविष्य में उसकी ससुराल में क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा । इसके पश्चात् तारीख 1 अप्रैल, 2006 को उसने अपनी पुत्री को उसकी ससुराल भेज दिया । इसके पश्चात्, शिकायतकर्ता को यह पता चला कि तारीख 25 मई, 2006 को उसकी पुत्री को मराठा नगर, सूरत (गुजरात) ले जाया गया और उसकी हत्या कर दी गई और साथ ही उसका क्रियाकर्म भी कर दिया गया । इस साक्षी ने अपनी शिकायत में यह भी कथन किया है कि पूछताछ किए जाने पर उसे यह पता चला कि उसका दामाद मराठा नगर, सूरत (गुजरात) की एक फैक्ट्री में काम करता है जहां वह उसकी पुत्री को ले गया था किंतु जब शिकायतकर्ता अपने दामाद के क्वार्टर पर पहुंचा, उसने किसी भी व्यक्ति को वहां मौजूद नहीं पाया । पूछताछ

किए जाने पर उसे यह पता चला कि उसकी पुत्री के साथ मराठा नगर, सूरत (गुजरात) में कई प्रकार से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था और लगभग डेढ़ मास पूर्व उसकी हत्या कर दी गई है । इस संबंध में, उसने पांडेयसर पुलिस थाने में सूचना दी किंतु पुलिसकर्मियों ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया जिसके पश्चात् शिकायतकर्ता लखीसराय वापस आ गया और पुलिस को सूचित किया । लखीसराय की पुलिस ने भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया और उसे न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल करने की सलाह दी ।

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन फाइल की गई उक्त शिकायत अन्वेषण किए जाने के लिए विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीसराय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पुलिस को सौंपी गई जिसके अनुसरण में लखीसराय पुलिस थाने में तारीख 17 मार्च, 2007 को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् उपेन्द्र महतो और उसके पिता रामबिलास महतो, भाई मुकेश महतो, माता सोधनी देवी, बहिन मुन्नी देवी और पत्नी मुकेश महतो के विरुद्ध मामला सं. 117 दर्ज किया गया ।

5. अन्वेषण पूरा होने पर अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 30 सितंबर, 2019 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अधीन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

6. पुलिस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि केवल प्रत्यर्थी सं. 2 का ही विचारण दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए किया गया है ।

7. अन्य अभियुक्त, प्रत्यर्थी सं. 2 के नातेदार हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान निर्दोष पाया गया है । इस प्रकार, इन व्यक्तियों का विचारण नहीं किया गया है ।

8. अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट से यह भी उपदर्शित होता है कि अन्वेषण के दौरान यह पाया गया है कि अभिकथित तारीख को जिस दिन अपीलार्थी की पुत्री की मृत्यु हुई है,

प्रत्यर्थी सं. 2 अपने काम पर फैक्ट्री गया था और जब वह वापस आया तो उसने पाया कि उसकी पत्नी ने फांसी पर लटककर आत्म-हत्या कर ली है । उसने इस संबंध में पांडेयसर पुलिस थाने में सूचना दी जिसके पश्चात् पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रत्यर्थी सं. 2 के कथन के आधार पर तारीख 24 अप्रैल, 2006 को पांडेयसर पुलिस थाने में अप्राकृतिक मृत्यु के लिए मामला सं. 39/2006 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

9. पुलिस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और विचारण के लिए मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया ।

10. विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध आरोप विरचित किए ।

11. चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसका विचारण किया गया ।

12. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने गायत्री देवी (अभि. सा. 1), कुंती देवी (अभि. सा. 2), धनेश्वर तंती (अभि. सा. 3), संजय महतो (अभि. सा. 4) राम स्वरूप महतो (अभि. सा. 5) और मुकेश महतो (अभि. सा. 6) की परीक्षा कराई ।

13. अभियोजन साक्षियों की परीक्षा कराए जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन अभिलिखित किया गया जिसमें उसने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया ।

14. तथापि, प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई ।

15. प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् पक्षकारों की ओर से दलीलें दी गईं और विचारण न्यायालय ने अपने तारीख 25 नवंबर, 2019 के आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया ।

16. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री पंकज कुमार सिन्हा ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय अभिलेख

पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा है । श्री सिन्हा ने यह प्रतिवाद किया है कि आरोप के समर्थन में जिन साक्षियों की परीक्षा कराई गई है वे विश्वसनीय हैं और उन्होंने अभियोजन पक्षकथन की संपुष्टि की है ।

17. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के अनुसार साक्षियों ने दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण मृतका की अभिकथित मृत्यु के संबंध में अविचल साक्ष्य दिया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी की पुत्री की मृत्यु नैसर्गिक परिस्थितियों से अन्यथा विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है, विचारण न्यायालय को चाहिए था कि वह प्रत्यर्थी सं. 2 को दोषी अभिनिर्धारित करे । उन्होंने यह भी दलील दी है कि आक्षेपित निर्णय अनुचित है और अपास्त किए जाने योग्य है ।

18. इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अजय मिश्रा ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की कोई भी अवैधता नहीं है । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार करते हुए मूल्यांकन किया है और तर्कसम्मत कारणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि वर्तमान मामले में घटनास्थल गुजरात राज्य के सूरत जिले की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन आता है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए बिहार राज्य ने लखीसराय के न्यायालय को इस मामले में विचारण करने की अधिकारिता नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया साक्ष्य तनिक भी विश्वसनीय नहीं है । अभियोजन साक्षी सं. 6 ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मृतका का शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया था और इस संबंध में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा सूरत के स्थानीय पुलिस थाने को सूचना दी गई जिस पर पुलिस ने सूरत में अप्राकृतिक मृत्यु के लिए मामला दर्ज किया ।

19. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि मृत्यु के कुछ पूर्व आहत के साथ

दहेज की मांग पूरी न करने को लेकर क्रूरता कारित की गई थी । उन्होंने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए असंगत और अविश्वसनीय साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए विचारण न्यायालय में अभियुक्त को संदेह का लाभ ठीक ही दिया है और उसे आरोपों से दोषमुक्त भी ठीक ही किया है ।

20. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई की है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, आरोप पत्र और बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर विचार किया है ।

21. राम स्वरूप महतो (अभि. सा. 5) इस मामले में इत्तिलाकर्ता है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 25 मई, 2006 को उसे उसकी ननिहाल से यह सूचना मिली कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है । इसके पश्चात्, वह सूरत गया और पुलिस थाना पांडेयसर पहुंचा । पुलिस थाने में मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह उसे दो दिन पश्चात् उसकी पुत्री की मृत्यु से संबंधित दस्तावेज देगा । यद्यपि वह 2-4 दिन तक वहां ठहरा किंतु उसे कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया, इसके पश्चात् वह पुलिस थाने गया किंतु कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया । इसलिए न्यायालय में एक शिकायत फाइल की गई । उसने मुख्य परीक्षा में उन अभिकथनों को दोहराया है जो उसने पहले ही अपनी शिकायत में किए थे ।

22. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वर्ष 2003 के वैशाख के माह में उसकी पुत्री का विवाह हुआ था । वह अपनी ससुराल गई और वहां 3-4 माह तक ठहरी । इसके पश्चात्, वह अपने नैहर वापस आ गई और 15-20 दिन बाद उसे ससुराल भेज दिया गया जहां वह लगभग 5-6 माह तक रही । इसके पश्चात्, वह पुन: अपने नैहर वापस आई और लगभग डेढ़ माह तक वहीं रही । इसके पश्चात्, उसकी बिदाई की गई और उसे सादिकपुर, बाड़ लाया गया और एक दिन बाद वह सूरत, गुजरात चली गई । वह सूरत में लगभग डेढ़ वर्ष रही । राम स्वरूप ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी पुत्री के जीवनकाल में

कभी भी सूरत नहीं गया । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह अपनी पुत्री से मोबाइल फोन पर बात किया करता था और यह मोबाइल फोन किसी कपिल नाम के व्यक्ति के पुत्र और पुत्री का था । पूछताछ किए जाने पर उसने यह बताया कि उसे न तो उस मोबाइल का नम्बर मालूम है जिससे वह कॉल किया करता था और न ही उस मोबाइल का नम्बर मालूम है जिसको वह कॉल किया करता था । आगे प्रतिपरीक्षा किए जाने के दौरान इस साक्षी ने यह प्रतिवाद किया है कि उसकी पुत्री किसी दिलीप महतो नाम के व्यक्ति के मकान में किराए पर रहती थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि दाहो महतो उसका मामा है और उसका मूल निवास स्थान कन्हईपुर है । जब वह सूरत गया था तब उसकी मुलाकात दाहो महतो से हुई जिसने उसे यह बताया कि लगभग 10 दिन पूर्व फांसी पर लटकने से उसकी पुत्री की मृत्यु हुई है । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शिकायत में दाहो महतो को साक्षी नहीं बनाया गया है । इस साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दिए गए इस सुझाव से इनकार किया है कि दाहो महतो को जानबूझकर शिकायत में साक्षी नहीं बनाया गया है ।

23. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् उपेन्द्र महतो ने सूरत में मृतका का अंतिम संस्कार किया था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने उसकी पुत्री का शव पुलिस थाने पहुंचाया । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी पुत्री के साथ हुआ अत्याचार नहीं देखा है । इस साक्षी ने यह प्रतिवाद किया है कि उसकी पुत्री के साथ सादिकपुर, बाड़ में क्रूरता कारित की गई थी किंतु उसकी मृत्यु सूरत में हुई । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस में या न्यायालय के समक्ष कोई भी शिकायत उसकी पुत्री के साथ होने वाली अभिकथित यातना को लेकर नहीं कराई गई । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा उसका कथन कभी-भी अभिलिखित नहीं किया गया । इस साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दिए गए इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने न्यायालय के समक्ष मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है ।

24. कुन्ती देवी (अभि. सा. 2) इत्तिलाकर्ता की पत्नी और मृतका की माता है । कुन्ती देवी इस घटना की साक्षी नहीं है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान शिकायत के एक भाग का समर्थन किया है जिसमें 50,000/- रुपए और मोटरसाइकिल की मांग से संबंधित अभिकथन किया गया है और इस तथ्य का भी समर्थन किया है कि इस मांग के पूरा न किए जाने के कारण उसकी पुत्री के साथ क्रूरता की गई है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि बिदाई के पश्चात् उसकी पुत्री को सूरत लाया गया जहां उसकी हत्या की गई । उसे इस अभिकथित हत्या की जानकारी मराठा नगर, सूरत (गुजरात) स्थित उसके दामाद के पड़ोसियों से मिली थी ।

25. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि बिदाई के पश्चात् उसकी पुत्री को सादिकपुर, बाढ़ लाया गया और इसके पश्चात् उसे सूरत ले जाया गया जहां उसकी हत्या कर दी गई । मृतका की मृत्यु के संबंध में जानकारी 20-25 दिन बाद मिली थी और इसके पश्चात् वह अपने पति के साथ सूरत गई और वहां 8 दिन तक ठहरी । वह मराठा नगर, सूरत के उस मकान पर गई जहां उसकी पुत्री अपने पति के साथ रहती थी किंतु उस मकान में ताला लगा हुआ पाया गया । ग्राम कन्हईपुर के एक निवासी ने मृतका के माता-पिता को मराठा नगर में वह मकान दिखाया जिसमें मृतका अपने पति के साथ रहती थी । यह वही व्यक्ति था जिसने उन्हें यह बताया था कि उनकी पुत्री की हत्या की गई थी । कुन्ती देवी (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि उन्हें ग्राम कन्हईपुर में रहने वाले उस व्यक्ति का नाम मालूम नहीं है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह सूरत में पुलिस थाने गई थी किंतु पुलिस ने उन्हें उनकी पुत्री का पता नहीं बताया । इस साक्षी ने इस तथ्य के प्रति अपनी अनभिज्ञता दर्शायी है कि सूरत में उसकी पुत्री की अप्राकृतिक मृत्यु को लेकर कोई मामला दर्ज है । इस साक्षी ने इस तथ्य के प्रति भी अपनी अनभिज्ञता दर्शायी है कि सूरत के पुलिस ने उसके दामाद को निर्दोष पाया था । इस साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि जब उसकी पुत्री की मृत्यु हुई थी तब उसका दामाद उस फैक्ट्री में काम पर गया हुआ था जहां वह

नियोजित था । इस साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव से भी इनकार किया है कि जब उसकी पुत्री की मृत्यु हुई थी, तब पुलिस आई और मुख्य द्वार तोड़कर कमरे के अंदर गई । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने अन्वेषण के दौरान उसका कथन कभी नहीं लिखा ।

26. संजय महतो (अभि. सा. 4) अपीलार्थी का भाई है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसकी भतीजी को सूरत ले जाने के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे मृतका की मृत्यु की तारीख ठीक प्रकार मालूम नहीं है ।

27. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि मृतका के साथ उसकी ससुराल में कारित की गई क्रूरता से संबंधित पूर्व में कोई भी सूचना पुलिस को या न्यायालय के समक्ष नहीं दी गई । संजय महतो (अभि. सा. 4) ने यह भी कथन किया है कि उसे अपनी भतीजी की मृत्यु के बारे में ग्राम कन्हईपुर के निवासी अपने ममेरे भाई दिलीप महतो से पता चला था किंतु उसने इस साक्षी को यह नहीं बताया कि मृत्यु कैसे हुई । मृत्यु की सूचना मृत्यु के दो दिन पश्चात् मिली थी । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सूरत से कोई पुलिस अधिकारी आया था जिसने उसे उसकी भतीजी की मृत्यु के बारे में बताया था । उसके भाई का कथन अभिलिखित किया गया । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा कभी-भी उसका कथन अभिलिखित नहीं किया गया । इस साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन दिया है ।

28. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 इत्तिलाकर्ता के पड़ोसी हैं । गायत्री देवी (अभि. सा. 1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह कभी-भी सूरत नहीं गई । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी मौजूदगी में दहेज की कोई भी मांग नहीं की गई । उसने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के कहने पर अभिसाक्ष्य दिया था । तथापि, गायत्री देवी

ने यह अभिकथन किया है कि लोक हल्ला करते हुए जो कह रहे थे उसने उसी के आधार पर इस संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है ।

29. अभि. सा. 3 भी अनुश्रुत साक्षी है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह अपीलार्थी के भाई के साथ काम करता है जिसका मकान उसके मकान के बराबर में है । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था उसे इत्तिलाकर्ता की पुत्री के साथ क्रूरता किए जाने या उसकी पुत्री से दहेज की मांग किए जाने या उसकी मृत्यु हो जाने के संबंध में किससे पता चला था । इस साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन दिया है । उसने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उसने, जैसाकि उसने न्यायालय के समक्ष कथन किया है, किसी भी व्यक्ति से कुछ नहीं सुना है ।

30. मुकेश महतो (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 मिथुन महतो नाम के सूरत में स्थित एक व्यक्ति के घर में रहता था जहां उसकी पत्नी की मृत्यु हुई । जब वह अपने काम से वापस आया तो उसने मृतका का शव पड़ा हुआ देखा । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 उस दिन उसके साथ अपने काम पर आया हुआ था जिस दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि मिथुन महतो के मकान में चार कमरे हैं । उसने तीन कमरे किराए पर ले रखे थे और एक कमरे में वह स्वयं रहता था । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इत्तिलाकर्ता की पुत्री की मृत्यु के दिन वह अपने घर अपराह्न लगभग 8-8.30 बजे वापस आया था और उसके घर पहुंचने के पूर्व प्रत्यर्थी सं. 2 और पुलिस वहां पहुंच चुकी थी । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने मृतका का शव अस्पताल भेजा । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया । उसने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उसका कथन मराठा नगर, सूरत (गुजरात) में अभिलिखित किया था ।

31. साक्षियों के अभिसाक्ष्य की समीक्षा करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि मृतका की मृत्यु होने का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए सभी साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं । इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 5), उसकी पत्नी (अभि. सा. 2) और उसके भाई (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान उनके कथन पुलिस द्वारा कभी-भी अभिलिखित नहीं किए गए । इससे यह अर्थ निकलता है कि विचारण के दौरान इन साक्षियों की परीक्षा पहली बार की गई है । यह आश्चर्य की बात है कि यदि अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ नहीं की गई थी तो फिर उन्हें आरोप पत्र में साक्षी कैसे दर्शाया गया है ।

32. इस मामले के अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा विचारण के दौरान नहीं कराई गई है । अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न कराए जाने से अभियोजन पक्षकथन पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतका की मृत्यु के तत्काल पश्चात् स्थानीय पुलिस को अर्थात् पुलिस थाना पांडेयसर, सूरत (गुजरात) को सूचना दी गई । पुलिस तथा प्रत्यर्थी सं. 2 घटनास्थल पर पहुंचे और मृतका का शव पुलिस थाने तथा स्थानीय अस्पताल ले जाया गया । इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 2 के आधार पर तारीख 20 अप्रैल, 2006 को पुलिस थाना पांडेयसर में मामला सं. 39/2006 अप्राकृतिक मृत्यु को लेकर दर्ज किया गया । यह पता नहीं चल सका है कि पुलिस को रिपोर्ट किए गए अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में जांच के दौरान क्या पाया गया । यह भी पता नहीं चल सका कि मृतका की मृत्यु का कारण क्या था क्योंकि शवपरीक्षण रिपोर्ट भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है । अभियोजन पक्ष द्वारा इन दस्तावेजों का अभिलेख पर प्रस्तुत न किए जाने से अभियोजन पक्षकथन गंभीर रूप से संदिग्ध हो जाता है ।

33. अभियोजन पक्ष मृतका का शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक की परीक्षा कराने में भी असफल रहा है ।

34. हमारा यह भी निष्कर्ष है कि विचारण के दौरान परीक्षा किए गए अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में कोई भी संगतता नहीं है । मृतका की मृत्यु 24 अप्रैल, 2006 को हुई थी किंतु इस संबंध में शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीसराय के समक्ष तारीख 2 जून, 2016 को प्रस्तुत की गई । इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 5) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे अपनी पुत्री की मृत्यु के बारे में तारीख 25 मई, 2006 को उसकी ननिहाल से सूचना प्राप्त हुई थी । उसकी पत्नी कुन्ती देवी (अभि. सा. 2) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि मृतका की मृत्यु से संबंधित सूचना घटना के 20-25 दिन बाद प्राप्त हुई थी जिसके पश्चात् वह अपने पति के साथ सूरत गई । तथापि, इत्तिलाकर्ता के भाई संजय महतो (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसे अपनी भतीजी के बारे में उसकी मृत्यु के दो दिन पश्चात् उसके ममेरे भाई दिलीप महतो से पता चला था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि कोई पुलिस अधिकारी सूरत से आया था जिसने उसकी भतीजी की मृत्यु के बारे में बताया था और उस अधिकारी ने उसके भाई का कथन अभिलिखित किया था ।

35. इस प्रकार, हमारा यह निष्कर्ष है कि इत्तिलाकर्ता और उसकी पत्नी का साक्ष्य अभि. सा. 4 के साक्ष्य से सारभूत रूप से इन बातों को लेकर मेल नहीं खाता है कि मृतका की मृत्यु की जानकारी कैसे मिली और इत्तिलाकर्ता का कथन कब अभिलिखित किया गया ।

36. यदि अभि. सा. 4 के साक्ष्य पर विश्वास किया जाए, तब यह पता नहीं चल पाता है कि मृतका की मृत्यु की जानकारी की तारीख से एक मास से अधिक समय के पश्चात् इत्तिलाकर्ता द्वारा शिकायत क्यों फाइल की गई ।

37. हमारा यह भी निष्कर्ष है कि इत्तिलाकर्ता ने यह कथन किया है कि उसे उसकी ननिहाल से उसकी पुत्री की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी जबकि अभि. सा. 4 का यह कथन है कि इस संबंध में सूचना प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई थी जो घटना के दो दिन बाद सूरत, गुजरात से आए थे ।

38. इत्तिलाकर्ता के अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर हमें यह पता चलता है कि उसके अपने ही कथन में कई विरोधाभास हैं विशेषकर उसकी पुत्री की मृत्यु की जानकारी के संबंध में । इत्तिलाकर्ता ने यह कथन किया है कि तारीख 25 मई, 2006 को उसे अपनी ननिहाल से सूचना प्राप्त हुई थी कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है और इसके पश्चात् वह सूरत चला गया था । तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि जब वह सूरत गया था तब उसकी मुलाकात दाहो महतो से हुई थी जिसने उसे यह बताया था कि उसकी पुत्री की मृत्यु 10 दिन पहले फांसी पर लटकने से हुई है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपनी पुत्री के जीवनकाल में कभी-भी सूरत नहीं गया । यदि उसकी मुलाकात सूरत में उसकी पुत्री की मृत्यु के 10 दिन के भीतर दाहो महतो से हुई थी, तब यह अविश्वसनीय है कि उसे मृत्यु की सूचना 25 मई, 2006 को मिली है जबकि मृत्यु 24 अप्रैल, 2006 को ही हो गई थी ।

39. इत्तिलाकर्ता ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री दिलीप महतो के सूरत स्थित मकान में किराए पर रहती थी जबकि मुकेश महतो (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अपनी पत्नी के साथ सूरत में मिथुन महतो नाम के व्यक्ति के मकान में रहता था और इसी मकान में उसने मृतका का शव उस समय पड़ा हुआ देखा था जब वह अपने काम पर से वापस आया था ।

40. इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि दिलीप महतो उसका ममेरा भाई है, जैसाकि ऊपर कहा गया है और अभि. सा. 4 इत्तिलाकर्ता का भाई है ।

41. इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि इत्तिलाकर्ता ने यह कहकर मामले को मिथ्या बनाने का प्रयास किया है कि अभिकथित मृतका की मृत्यु दिलीप महतो के मकान में हुई है जबकि उसका साक्ष्य मुकेश महतो (अभि. सा. 6) के साक्ष्य का विरोधाभासी है जिसने यह कथन किया है कि मृतका अपने पति के साथ मिथुन महतो के मकान में रहती थी ।

42. स्पष्टतः, इत्तिलाकर्ता और उसकी पत्नी विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं । वे पूर्णतया अविश्वसनीय साक्षी हैं ।

43. इसके अतिरिक्त, मिथुन महतो, दिलीप महतो और दाहो महतो को वर्तमान मामले में साक्षी नहीं बनाया गया है । इन साक्षियों की परीक्षा न कराए जाने से प्रतिरक्षा पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

44. हमने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3, जो कि इत्तिलाकर्ता के पड़ोसी हैं, के साक्ष्यों पर विचार किया है । ये साक्षी कभी-भी सूरत नहीं गए हैं । इन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनकी मौजूदगी में दहेज की कोई भी मांग नहीं की गई है । इन साक्षियों ने मात्र यह कथन किया है कि उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना मिली थी । इन साक्षियों का साक्ष्य अभियोजन पक्षकथन के लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं हैं । इसी प्रकार, अभि. सा. 4 ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान दहेज मृत्यु के संबंध में कुछ नहीं कहा है । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस या न्यायालय को मृतका की ससुराल में उसके साथ पूर्व में की गई क्रूरता से संबंधित कोई भी सूचना नहीं दी गई थी । अभि. सा. 4 का साक्ष्य भी अभियोजन पक्षकथन के लिए किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं है ।

45. अभियोजन पक्ष की ओर से मुकेश महतो (अभि. सा. 6) की भी परीक्षा कराई गई है । इस साक्षी ने अपनी परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि वह भी मिथुन महतो के मकान में रहता था और उसी मकान में प्रत्यर्थी सं. 2 अपनी पत्नी के साथ रहता था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभिकथित घटना के दिन प्रत्यर्थी सं. 2 उसके साथ उसके कार्यस्थल पर अपनी ड्यूटी कर रहा था । उसने (न्यायालय में) यह कथन किया है कि उसने (पुलिस को) यह नहीं बताया था कि यह दहेज मृत्यु का मामला है । उसने यह कथन किया है कि मृत्यु के पश्चात् पुलिस आई और वहां पर प्रत्यर्थी सं. 2 भी मौजूद था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसका बयान मराठा नगर, सूरत, गुजरात में अभिलिखित किया गया था ।

46. इस प्रकार, अभि. सा. 6 के साक्ष्य में किसी भी प्रकार से

प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध अपराधजन्य सामग्री नहीं है अपितु इस साक्षी के साक्ष्य से उसकी निर्दोषिता ही साबित होती है ।

47. अभि. सा. 6 के अतिरिक्त घटनास्थल का अन्य कोई साक्षी नहीं है । इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्षकथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता ।

48. हमारी यह राय है कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष ठीक ही है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है और प्रत्यर्थी सं. 2 को आरोपों से ठीक ही दोषमुक्त किया है ।

49. विधि के अधीन यह सुस्थापित है कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधाराणा की जाती है । पहली उपधारणा दांडिक न्यायशास्त्र के गुण सिद्धांत के अधीन इस प्रकार की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विधि के अधीन दोषी अभिनिर्धारित न कर दिया जाए । दूसरी उपधारणा यह की जाती है कि अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है इस प्रकार उसका निर्दोष होना और प्रबलित हो जाता है ।

50. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और दोषमुक्ति के मामले में विधि के मूल सिद्धांतों को दृष्टिगत करने पर, जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अपील में कोई सार नहीं है ।

51. तद्नुसार अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

कुंदन कुमार

बनाम

बिहार राज्य

(2019 की रिट याचिका सं. 1703)

तारीख 10 जनवरी, 2020

मुख्य न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 41(1)(ख)(ii) [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 364 और 506] – हत्या के लिए व्यपहरण या अपहरण करना – अभियुक्त रिट याची के अनावश्यक काल के लिए निरुद्ध किए जाने को चुनौती – निरोध के विस्तार के लिए न्यायिक अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से विचार न किया जाना – न्यायिक अधिकारी मात्र एक डाक अधिकारी नहीं है, उसके लिए अभिलेख का परिशीलन करना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है जिसके पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त को निरुद्ध किया जाना या अभिरक्षा में रखना आवश्यक नहीं है तो उसे तत्काल जमानत पर छोड़ना न्यायोचित होगा ।

अभिलेख से यह विदित है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 27 नवंबर, 2017 को दर्ज की गई थी । रिट याची जो उक्त मामले में अभियुक्त है, के अनुसार वह स्थानीय राजनीति से आहत हुआ है । वह एक साधन संपन्न व्यक्ति है जिसकी समाज में प्रबल स्थिति है और उसे उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में कभी-भी पुलिस थाने नहीं बुलाया गया । किंतु जब उसने स्थानीय सहकारी समिति के निर्वाचन के लिए नामांकन फाइल किया था, तब स्थानीय राजनेताओं के प्रभाव में आकर उसे तारीख 17 नवंबर, 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी के पश्चात् याची को कारागार में निरुद्ध कर दिया गया जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका फाइल की गई । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख से यह स्पष्ट है कि तारीख 17 नवंबर, 2019 को याची की गिरफ्तारी के पश्चात् उसे संबद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । न्यायालय ने याची के निरुद्ध किए जाने से संबंधित अपने समाधान के लिए संपूर्ण न्यायिक अभिलेख मंगवाया है जिसका हमने परिशीलन किया है । न्यायिक अधिकारी के आदेश का सरसरी तौर पर परिशीलन किए जाने से यही निष्कर्ष निकलता है कि संबद्ध मजिस्ट्रेट ने, जैसा कि विधि के अधीन आज्ञापक है, अपना समाधान अभिलिखित नहीं किया है । न्यायालय के लिए अत्यधिक खेद की बात यह है कि न्यायिक अधिकारी आम तौर पर इसी प्रकार आदेश पारित कर रहे हैं जो कि तारीख 29 नवंबर, 2019, 11 दिसंबर, 2019, 23 दिसंबर, 2019 और 4 जनवरी, 2020 के पश्चात्वर्ती आदेशों से विदित है । इनमें किसी भी आदेश में अभियुक्त को अवरुद्ध करने या जेल भेजने के अतिरिक्त न्यायालय के समाधान से संबंधित तनिक भी उल्लेख नहीं है । न्यायिक अधिकारी मात्र डाक अधिकारी नहीं है अपितु उनके लिए अभिलेख का परिशीलन करना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है जिसके पश्चात् उनका इस संबंध में समाधान होना चाहिए कि अभियुक्त को निरुद्ध किया जाना या अभिरक्षा में रखना कितना आवश्यक है और स्पष्ट है कि ऐसा समाधान, बड़े खेद की बात है, वर्तमान मामले में बिल्कुल नहीं किया गया है । तारीख 17 नवंबर, 2019 से 4 जनवरी, 2020 तक इस मामले में कार्रवाई करने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा रिमांड के संबंध में अभियुक्त अर्थात् रिट याची के मामले पर अत्यंत औपचारिक और नैमित्तिक रूप में कार्य किया है । (पैरा 5, 6, 8, 10 और 13)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 8 एस. सी. सी. 273 : **अर्णेश कुमार** बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ।	9

रिट (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की रिट याचिका सं. 1703.

पुलिस थाना नारदीगंज में तारीख 27 नवंबर, 2017 को दर्ज कराए गए 2017 के आपराधिक मामला सं. 193 में याची के निरुद्ध किए जाने के विरुद्ध रिट याचिका ।

रिट याची की ओर से सर्वश्री इंद्र देव प्रसाद और नागेन्द्र कुमार

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री प्रभात कुमार वर्मा (अपर महाधिवक्ता) और सरोज कुमार (सहायक अधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति संजय करोल ने दिया ।

मु. न्या. करोल – हमारे समक्ष विचार के लिए यह मुद्दा उद्भूत हुआ है कि क्या इस समय याची का पुलिस थाना नारदीगंज में तारीख 27 नवंबर, 2017 को दर्ज कराए गए 2017 के आपराधिक मामला सं. 193 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 364 और 506/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए याची का निरुद्ध किया जाना अवैध है या नहीं ।

2. अभिलेख से यह विदित है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 27 नवंबर, 2017 को दर्ज की गई थी ।

3. रिट याची जो उक्त मामले में अभियुक्त है, के अनुसार वह स्थानीय राजनीति से आहत हुआ है । वह एक साधन संपन्न व्यक्ति है जिसकी समाज में प्रबल स्थिति है और उसे उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में कभी-भी पुलिस थाने नहीं बुलाया गया । किंतु जब उसने स्थानीय सहकारी समिति के निर्वाचन के लिए नामांकन फाइल किया था, तब स्थानीय राजनेताओं के प्रभाव में आकर उसे तारीख 17 नवंबर, 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया ।

4. तथापि, इस याचिका में हमें इस संविवाद पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम यह न्यायनिर्णयन करें कि याची का तारीख 17 नवंबर, 2019 से निरुद्ध किया जाना अवैध है या नहीं ।

5. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि तारीख 17 नवंबर, 2019 को याची की गिरफ्तारी के पश्चात् उसे संबद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।

6. हमने याची के निरुद्ध किए जाने से संबंधित अपने समाधान के लिए संपूर्ण न्यायिक अभिलेख मंगवाया है जिसका हमने परिशीलन किया है ।

7. तारीख 17 नवंबर, 2019 को जब अभियुक्त/रिट याची को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तब निम्न आदेश पारित किया गया :–

"17.11.2019 : थाना प्रभारी नारदीगंज द्वारा अग्रसारण प्रतिवेदन गिरफ्तारी ज्ञापांक एवम् अद्यतन काण्ड दैनिकी की छाया प्रति के साथ अभियुक्त कुंदन उम्र 40 वर्ष, पुत्र प्रसादी चौहान, साकिन (पता) सम्हड़ी, थाना नारदीगंज, जिला नवादा को दंड संहिता की धारा 364, 506, 134 के अंतर्गत गिरफ्तार कर उचित अभिरक्षा दल के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया है । अभियुक्त को पूछने पर अभिरक्षा दल के द्वारा रास्ते में किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं करते हैं तथा पूछने पर अपना अधिवक्ता स्वयं रखने की बात स्वीकारते हैं । अत: अभियुक्त को दिनांक 29.11.2019 तक के लिए अभिरक्षा अधिपत्र के साथ न्यायिक हिरासत में मंडलकारा नवादा रिमांड किया जाता है ।

(लेखापति)

ह./

न्या. द."

8. उपरोक्त आदेश के सरसरी तौर पर परिशीलन किए जाने से ही यह निष्कर्ष निकलता है कि संबद्ध मजिस्ट्रेट ने, जैसा कि विधि के अधीन आज्ञापक है, अपना समाधान अभिलिखित नहीं किया है ।

9. उच्चतम न्यायालय ने **अर्णेश कुमार** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में अभियुक्त के हित की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने के प्रयास के साथ जैसा कि संविधान और देश की विधि के अधीन आज्ञापक है, लोगों को अवैध रूप से निरुद्ध न किया जाए, निम्न निदेश जारी किए हैं :–

"11. इस निर्णय में हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी अभियुक्तों को अनावश्यक गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट आम तौर पर और बिना सोचे-समझे अभियुक्तों का

[1] (2014) 8 एस. सी. सी. 273.

निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत न करें । हमने जो ऊपर महसूस किया है उसे सुनिश्चित करने के लिए हम निम्न निदेश जारी करते हैं :

11.1 सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपने पुलिस अधिकारियों को यह निदेश दें कि वे उस समय स्वत: ही गिरफ्तारी न करें जब दंड संहिता की धारा 498क के अधीन कोई मामला दर्ज किया गया हो अपितु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 411 से उद्भूत उपरोक्त मापदंडों के अधीन गिरफ्तारी की आवश्यकता को लेकर अपना समाधान करें ;

11.2 सभी पुलिस अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(ख)(ii) के अधीन विनिर्दिष्ट जांच-सूची उपलब्ध कराई जाए ;

11.3 वह पुलिस अधिकारी, अभियुक्त को आगे और निरुद्ध किए जाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते समय सम्यक् रूप से प्रविष्टि की गई जांच-सूची और सामग्री अग्रप्रेषित करेगा जिसमें उन कारणों का उल्लेख करेगा जिनके आधार पर गिरफ्तारी आवश्यक है ;

11.4 अभियुक्त के निरोध को प्राधिकृत करते समय मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उपरोक्त निबंधनों में तैयार की गई रिपोर्ट का परिशीलन करेगा और अपना समाधान अभिलिखित किए जाने के पश्चात् ही मजिस्ट्रेट अभियुक्त के निरोध को प्राधिकृत करेगा ;

11.5 अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का विनिश्चय मामले के संस्थित किए जाने की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर एक प्रति के साथ मजिस्ट्रेट को अग्रप्रेषित करेगा और इस विनिश्चय को कारण अभिलिखित किए जाने के पश्चात् जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा ;

11.6 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क के निबंधनों में, मामले के संस्थित किए जाने की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर, अभियुक्त को न्यायालय में पेश होने का नोटिस तामील कराया जाए जिसका विस्तारण, कारण अभिलिखित किए जाने के पश्चात् जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा सकेगा ;

11.7 उपरोक्त निदेशों का अनुपालन न किए जाने पर संबद्ध पुलिस अधिकारी न केवल विभागीय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे अपितु वे न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किए जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के समक्ष मामला संस्थित किए जाने के लिए भी जिम्मेदार होंगे ;

11.8 उपरोक्त कारणों को अभिलिखित किए बिना संबद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निरोध को प्राधिकृत करने पर वह मजिस्ट्रेट समुचित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

10. हमारे लिए अत्यधिक खेद की बात यह है कि न्यायिक अधिकारी आम तौर पर इसी प्रकार आदेश पारित कर रहे हैं जो कि तारीख 29 नवंबर, 2019, 11 दिसंबर, 2019, 23 दिसंबर, 2019 और 4 जनवरी, 2020 के पश्चात्वर्ती आदेशों से विदित है । इनमें किसी भी आदेश में अभियुक्त को अवरुद्ध करने या जेल भेजने के अतिरिक्त न्यायालय के समाधान से संबंधित तनिक भी उल्लेख नहीं है । ये आदेश निम्न प्रकार हैं :-

"29.11.2019 : पी. ओ. ट्रेनिंग में गए हैं । अभियुक्त कुंदन कुमार को कारागार से प्रस्तुत किया गया है और अंतिम प्रपत्र अप्राप्त है ।

दिनांक 11.12.2019 को उपस्थापन एवम् अंतिम प्रपत्र की प्रतीक्षा में ।

(लेखापति)

ह./

न्या. द.

11.12.2019 : पी. ओ. अवकाश पर हैं । बंदी अभियुक्त कुंदन कुमार को कारागार से प्रस्तुत किया गया है और अंतिम प्रपत्र अप्राप्त है ।

दिनांक 23.12.2019 को उपस्थापन और अंतिम प्रपत्र की प्रतीक्षा में ।

(लेखापति)

ह./

न्या. द.

23.12.2019 : पी. ओ. का स्थानांतरण हो गया है । बंदी अभियुक्त कुंदन कुमार को कारागार से प्रस्तुत किया गया है । अंतिम प्रपत्र अप्राप्त है ।

दिनांक 4.1.2020 को उपस्थापन और अंतिम प्रपत्र की प्रतीक्षा में ।

(लेखापति)

ह./

न्या. द.

4.1.2020 : पी. ओ. का स्थानांतरण हो गया है । बंदी अभियुक्त कुंदन कुमार को कारागार से प्रस्तुत किया गया है । अंतिम प्रपत्र अप्राप्त है ।

दिनांक 17.1.2020 को उपस्थापन एवम् अंतिम प्रपत्र की प्रतीक्षा में ।

(लेखापति)

ह./

न्या. द.

11. ऐसे आदेश नैमित्तिक आधार पर बिना सोचे-समझे और कोई भी कारण समनुदेशित किए बिना पारित किए जा रहे हैं ।

12. **अर्णेश कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि समाधान अभिलिखित करना मात्र औपचारिकता नहीं है ।

13. न्यायिक अधिकारी मात्र डाक अधिकारी नहीं है अपितु उनके लिए अभिलेख का परिशीलन करना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है जिसके

पश्चात् उनका इस संबंध में समाधान होना चाहिए कि अभियुक्त को निरुद्ध किया जाना या अभिरक्षा में रखना कितना आवश्यक है और स्पष्ट है कि ऐसा समाधान, बड़े खेद की बात है, वर्तमान मामले में बिल्कुल नहीं किया गया है । तारीख 17 नवंबर, 2019 से 4 जनवरी, 2020 तक इस मामले में कार्रवाई करने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा रिमांड के संबंध में अभियुक्त अर्थात् रिट याची के मामले पर अत्यंत औपचारिक और नैमित्तिक रूप में कार्य किया है ।

14. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् हमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय अपीलार्थी का निरुद्ध किया जाना अत्यंत अवैध है और इस प्रकार यह रिट याचिका मंजूर की जानी चाहिए ।

15. इस प्रकार हम याची कुंदन कुमार को, जो पुलिस थाना नारदीगंज में दर्ज किए गए मामला सं. 193/2017 से संबंधित अभिरक्षा में हैं, तत्काल उन्मुक्त किए जाने का निदेश करते हैं और याची के निरोध के संबंध में प्राधिकारी विधि के अनुसरण में इस मामले में समुचित कार्यवाही किए जाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

16. तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं हमारी मताभिव्यक्तियां पुलिस थाना नारदीगंज में दर्ज किए गए मामला सं. 193/2017 में की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तक ही सीमित हैं ।

17. उपरोक्त कारणों के आधार पर रिट याचिका मंजूर की जाती है और उसका निपटारा भी किया जाता है ।

18. इस न्यायालय के महारजिस्ट्रार को यह निदेश दिया जाता है कि निदेशक, न्यायिक एकेडमी बिहार, पटना को न्यायिक अधिकारियों को यह प्रशिक्षण दिए जाने के लिए यह आदेश तत्काल संसूचित किया जाए कि उन्हें रिमांड आवेदनों की सुनवाई पर किस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए ।

रिट याचिका मंजूर की गई ।

अस.

एम. त्रिमूर्ति

बनाम

राज्य द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक कोयंबटूर

(2016 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 600)

तारीख 26 मई, 2020

न्यायमूर्ति आर. महादेवन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 379 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 24] – चोरी – साक्ष्य का मूल्यांकन – यात्रा के दौरान अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता का हैंडबैग चोरी किया जाना – चोरी किए गए सामान की बरामदगी – शिकायतकर्ता द्वारा सामान की शनाख्त – अन्य साक्षियों के साक्ष्य द्वारा शिकायतकर्ता के साक्ष्य की संपुष्टि – अभियुक्त द्वारा अपना दोष संस्वीकृत किया जाना – साक्षियों के साक्ष्य में तुच्छ विरोधाभास – चोरी किया गया सामान अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है जिसकी शनाख्त शिकायतकर्ता द्वारा की गई है और साक्षियों के साक्ष्य में तुच्छ विरोधाभास हैं जिन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता और साथ ही उनके साक्ष्य से शिकायतकर्ता के साक्ष्य की अन्य बिंदुओं पर संपुष्टि होती है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 13 सितंबर, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे अभि. सा. 1 अर्थात् शिकायतकर्ता अपने पुत्र और अपने भाई की पत्नी अर्थात् भाभी (अभि. सा. 2) के साथ नागरकोविल को जाने वाली रेलगाड़ी में कोयंबटूर रेलवे स्टेशन से सवार हुई ; इन व्यक्तियों को कोवई-नागरकोविल एक्सप्रेस ट्रेन सं. 16610 के कोच सं. एस4 में सीट सं. 35, 38 और 40 आबंटित हुईं ; जैसे ही ये लोग रेलगाड़ी के डिब्बे में जाकर बैठे, तभी अभि. सा. 2 शौचालय चली गई और उसका पुत्र बर्थ पर लेटा हुआ था और अभि. सा. 1 ने अपने हैंडबैग में से पानी की बोतल निकाली और उसे सीट पर रख दी

जो नीचे गिर गई और जब वह बोतल उठाने के लिए नीचे झुकी तभी एक व्यक्ति ने उसका हैंडबैग उठा लिया और रेलगाड़ी में से निकलकर भागने लगा ; अपने हैंडबैग को लापता देखकर अभि. सा. 1 ने अन्य यात्रियों से मालूम किया जिन्होंने बताया कि उन्हें उसके हैंडबैग के बारे में कोई जानकारी नहीं है ; वह रेलगाड़ी के डिब्बे से नीचे उतर गई और उसने लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति को प्लेटफार्म पर उसका हैंडबैग लेकर भागते हुए देखा ; तभी वह "चोर" "चोर" कहकर चिल्लाई जिसे सुनकर रेलवे पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया किंतु वह व्यक्ति अर्थात् अभियुक्त-आवेदक बचकर भाग निकला और इसके पश्चात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 रेलगाड़ी से नीचे उतर गए और वे कोयंबटूर रेलवे स्टेशन के पुलिस थाने चले गए जहां अभि. सा. 1 ने अपने हैंडबैग (तात्विक वस्तु-1) जिसमें एक फोन (तात्विक वस्तु-2), भारतीय स्टेट बैंक का ए.टी.एम. कार्ड (तात्विक वस्तु-3) और 10,200/- रुपए की नकदी (तात्विक वस्तु-4) थी, के चोरी हो जाने के संबंध में शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई । पुलिस उपनिरीक्षक (अभि. सा. 6) ने उक्त शिकायत प्राप्त की और उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 1764/2012 (प्रदर्श पी-4) दर्ज की गई और सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी गई जो उस समय अपनी-अपनी बीट में ड्यूटी पर थे । उसी दिन रात्रि में कोयंबटूर रेलवे पुलिस का एक अधिकारी (अभि. सा. 3) तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली को जाने वाली केरल एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी से अपने घर तिरुपुर जा रहा था ; तिरुपुर रेलवे पुलिस का एक अधिकारी (अभि. सा. 4) भी अभि. सा. 3 के साथ उसी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था ; उसी समय एक यात्री ने अभि. सा. 4 को यह बताया कि एक व्यक्ति के पास लेडीज हैंडबैग है जो संदिग्ध अवस्था में पैसे गिन रहा है ; इस जानकारी के पश्चात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 वहां गए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछताछ की जिसके पास लेडीज हैंडबैग था और उसके हाथ में पैसे थे ; उक्त व्यक्ति ने पहले तो टाल-मटोल करते हुए उत्तर दिया किंतु उसने बाद में अपना दोष स्वीकार कर लिया ; अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 अभियुक्त-आवेदक के साथ तिरुपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी से नीचे उतर गए ; हैंडबैग के लापता होने के संबंध में जानकारी मिलने के पश्चात् वे उक्त व्यक्ति

को कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर ले आए जहां अभि. सा. 1 ने उक्त व्यक्ति को पहचान कर बताया कि यह वही व्यक्ति है जो उसका हैंडबैग चोरी करके भागा था । अभि. सा. 1 ने अभियुक्त-आवेदक से पूछताछ की जिसने पहले तो विरोधाभासी कथन दिए किंतु बाद में उसने हैंडबैग चोरी करने से संबंधित अपना दोष स्वीकार किया और उसने संस्वीकृति कथन भी दिया ; इस अभियुक्त-आवेदक के संस्वीकृति कथन के ग्राह्य भाग (प्रदर्श पी-2) के आधार पर अभि. सा. 6 ने इस अभियुक्त-आवेदक को गिरफ्तार किया और तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-4 को सेल्वाराज (अभि. सा. 5) और मोहम्मद अली नाम के व्यक्ति की मौजूदगी में बरामद किया और इस संबंध में अभिग्रहण महाजर (प्रदर्श पी-3) तैयार की गई और इसके पश्चात् अभियुक्त-आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अभि. सा. 6 ने दंड संहिता की धारा 379 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया जिसके पश्चात् विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. VI के न्यायालय में मामला सं. 642/2012 पंजीकृत किया गया । जब विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध अपराधजन्य सामग्री के संबंध में प्रश्न पूछे तब इस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् करते हुए विचारण की मांग की । विचारण के पश्चात् अभियुक्त को चोरी के अपराध का दोषी पाया गया और इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने सेशन न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की और उसे वहां भी दोषी पाया गया । सेशन न्यायालय की इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-आवेदक ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 3 कोयंबटूर रेलवे पुलिस का एक अधिकारी है जिसने अपने साक्ष्य में यह प्रकथन किया है कि तारीख 13 सितंबर, 2012 को अपराह्न 8.00 बजे उसे कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर हैंडबैग चोरी किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई ; अपनी ड्यूटी करने के पश्चात् वह अपने घर तिरुपुर जाने के लिए केरल एक्सप्रेस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था ; उसी समय तिरुपुर रेलवे पुलिस का एक अधिकारी (अभि. सा. 4) जो सादी वर्दी में था, उसी कोच में यात्रा कर रहा था ; इसी दौरान एक यात्री वहां आया और उसने अभि. सा. 4 को यह बताया

कि एक लड़का संदिग्ध अवस्था में कोई लेडीज हैंडबैग लिए हुए है और वह पैसे गिन रहा है ; इस सूचना के प्राप्त होने पर अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 वहां गए और उक्त लड़के से पूछताछ की जिसने अपना नाम त्रिमूर्ति बताया और उसने ठीक-ठीक जानकारी नहीं दी किंतु बाद में बैग की चोरी से संबंधित मामले को लेकर वे उक्त लड़के को तिरुपुर रेलवे स्टेशन ले आए और इसके पश्चात् उसे कोयंबटूर रेलवे स्टेशन लाए और उसे अन्वेषण अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक (अभि. सा. 6) को सुपुर्द कर दिया । सेल्वाराज (अभि. सा. 5) रेलवे कैन्टीन में काम करता था और उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त-आवेदक द्वारा उसके संस्वीकृति कथन तथा उससे बरामद की गई वस्तुओं से संबंधित तैयार किए गए अभिग्रहण ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षरों की शनाख्त की है और इस साक्षी ने चोरी किया गया सामान अपना बताया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि तारीख 13 सितंबर, 2012 को अपराह्न लगभग 8.30 बजे शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) पुलिस थाने आई और शिकायत (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत की जिसके आधार पर उसी दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) दर्ज की गई, अभि. सा. 6 ने उन सभी पुलिस अधिकारियों को हैंडबैग चोरी होने के संबंध में सूचना दी जो अपनी-अपनी बीट में ड्यूटी पर थे ; इस सूचना के प्राप्त होने पर, अभि. सा. 3 ने अभि. सा. 6 से संपर्क किया और यह सूचना दी कि जब अपनी ड्यूटी पूरी करने के पश्चात् वह केरल एक्सप्रेस रेलगाड़ी से घर वापस आ रहा था, उसने एक लड़के को लेडीज हैंडबैग ले जाते हुए देखा और तिरुपुर रेलवे पुलिस का एक अधिकारी (अभि. सा. 4) भी उसके साथ था ; अभि. सा. 6 द्वारा निर्देश दिए जाने के अनुसार अपराह्न लगभग 11.00 बजे अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 अभियुक्त-आवेदक को कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर लाए जहां अभि. सा. 6, शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के साथ पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था ; अभि. सा. 1 द्वारा अभियुक्त-आवेदक की शनाख्त किए जाने पर, अभि. सा. 6 ने अभियुक्त-आवेदक से पूछताछ की जिसने पहले तो विरोधाभासी कथन दिए किंतु बाद में उसने अपना दोष स्वीकार किया कि उसने नागरकोविल एक्सप्रेस रेलगाड़ी के एक कोच में सीट सं. 35 पर से हैंडबैग चोरी किया था और प्लेटफार्म सं. 3 पर खड़ी हुई कन्याकुमारी

एक्सप्रेस रेलगाड़ी में भागकर सवार हो गया ; उसने संस्वीकृति कथन प्राप्त किया और चोरी किए गए हैंडबैग जिसमें 500/- रुपए वाले 19 और 100/- रुपए वाले 7 नोट थे जो कुल रकम 10,200/- रुपए थी, "लीप" फोन और बैंक का ए.टी.एम. कार्ड स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् सेल्वाराज (अभि. सा. 5) और मोहम्मद अली की मौजूदगी में को बरामद किया ; इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त-आवेदक को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया ; और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् उसने अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त-आवेदक को अभिकथित अपराध से संबद्ध करने के लिए साक्षियों द्वारा सुसंगत और तर्कसम्मत साक्ष्य दिया गया है । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में किसी प्रकार की कोई भी बनावट नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त-आवेदक ने अपराध कारित किए जाने के संबंध में अन्वेषण अधिकारी के समक्ष स्वेच्छया संस्वीकृति कथन दिया है और इस कथन के आधार पर उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ है । इसके अतिरिक्त स्वतंत्र साक्षी (अभि. सा. 5) ने अभियुक्त-आवेदक द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन और उसके आधार पर चोरी किए गए सामान की बरामदगी से संबंधित अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण रूप से समर्थन किया है । यद्यपि अभियुक्त-आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह प्रतिवाद किया है कि साक्षियों के साक्ष्य में अभि. सा. 1 द्वारा अभियुक्त-आवेदक की शनाख्त किए जाने और अभि. सा. 6 द्वारा उसे गिरफ्तार किए जाने से संबंधित साक्ष्य में विरोधाभास और फर्क हैं और इसके अतिरिक्त अभि. सा. 1 ने यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त-आवेदक ने उसका हैंडबैग चोरी किया है, अपना यात्रा-टिकट प्रस्तुत नहीं किया है, यह न्यायालय दर्शायी गई इन बातों को विरोधाभास और फर्क के रूप में स्वीकार करने के लिए आनत नहीं है क्योंकि ये तुच्छ और नगण्य प्रकृति की हैं । साक्षियों ने अपना सही वृत्तांत पूरी जिम्मेदारी के साथ दिया है । यदि प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य का परिशीलन निष्पक्ष रूप से किया जाए, तब यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त-आवेदक ने ही चोरी का अपराध कारित किया है । अभियुक्त-आवेदक को अपराध से संबद्ध करने के लिए साक्ष्य की कड़ियां

मौजूद हैं और उनसे अभियुक्त-आवेदक के दोषी होने का पता चलता है । साक्षियों के साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए कोई भी सामग्री दिखाई नहीं देती है । कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य मिथ्या है । यह न्यायालय इस बात से पूरी तरह अवगत है कि जब मामला पूरी तरह पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित होता है तब पारिस्थितिक साक्ष्य अस्वाभिकता से दूर होना चाहिए और ऐसे साक्ष्य से केवल यही निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त-आवेदक अभिकथित अपराध में आलिप्त है । यदि अभियुक्त-आवेदक के अपराध में आलिप्त होने से संबंधित तनिक भी संदेह होता है तब इसका लाभ अभियुक्त-आवेदक के पक्ष में जाता है । साथ ही विधि के अधीन यह भी उचित नहीं है कि जब कभी साक्ष्य में विरोधाभास आए तो उसका लाभ अभियुक्त-आवेदक को दिया ही जाएगा । केवल ऐसे गंभीर विरोधाभास की स्थिति में ही अभियुक्त-आवेदक को संदेह का लाभ दिया जा सकता है जिससे अभियोजन पक्षकथन पूर्णतया अस्वीकार्य हो जाए, किंतु यदि विरोधाभास तुच्छ प्रकृति के हैं तब वे अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं होंगे । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए यदि सभी साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन संचयी रूप से किया जाए तब यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन संदेह के परे सिद्ध कर दिया है । आहत के साक्ष्य का अपना अलग महत्व है । अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे अभियुक्त-आवेदक के मिथ्या फंसाए जाने का पता चलता हो । अभियुक्त-आवेदक ने अपने संस्वीकृति कथन में चोरी करने से संबंधित अपना दोष स्वीकार किया है । चोरी किया गया सामान अभियुक्त-आवेदक के कब्जे से बरामद किया गया है जिसकी पहचान आहत द्वारा की गई है । इस प्रकार अभियोजन पक्षकथन को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण नहीं है । दंड संहिता की धारा 379 के सभी संघटकों का पूर्णतया समाधान होता है । अत: विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-आवेदक को इस अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया है । उक्त निष्कर्ष की पुष्टि निचले अपील न्यायालय द्वारा भी की गई है । इस प्रकार इस न्यायालय को ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है जिसके आधार पर निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के प्रति असहमति व्यक्त की जा सके । (पैरा 13, 15, 16, 17, 18, 19 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 6 एस. सी. सी. 279 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2302 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल (सप्ली.) 518 (एस. सी.) : **ए. शंकर** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	19
[2003]	(2003) 7 एस. सी. सी. 643 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3617 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 3876 (एस. सी.) : **सुचा सिंह और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ।	20

पुनरीक्षण अधिकारिता : **2016 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 600.**

2012 के दांडिक मामला सं. 642 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. VI द्वारा तारीख 29 जनवरी, 2015 को पारित निर्णय को कायम रखने और उसकी पुष्टि करने वाले विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, कोयंबटूर द्वारा 2015 के दांडिक आवेदन सं. 40 में तारीख 9 मार्च, 2016 को पारित निर्णय के विरुद्ध आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री के. मायिलसामी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. प्रभाकर (विद्वान् अपर लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति आर. महादेवन – 2012 के दांडिक मामला सं. 642 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. VI द्वारा तारीख 29 जनवरी, 2015 को पारित निर्णय को कायम रखने और उसकी पुष्टि करने वाले विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, कोयंबटूर द्वारा 2015 के दांडिक आवेदन सं. 40 में तारीख 9 मार्च, 2016 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है जिसके द्वारा इस मामले में के अभियुक्त-आवेदक को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें

इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 379 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 13 सितंबर, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे अभि. सा. 1 अर्थात् शिकायतकर्ता अपने पुत्र और अपने भाई की पत्नी अर्थात् भाभी (अभि. सा. 2) के साथ नागरकोविल को जाने वाली रेलगाड़ी में कोयंबटूर रेलवे स्टेशन से सवार हुई ; इन व्यक्तियों को कोवई-नागरकोविल एक्सप्रेस ट्रेन सं. 16610 के कोच सं. एस 4 में सीट सं. 35, 38 और 40 आबंटित हुईं ; जैसे ही ये लोग रेलगाड़ी के डिब्बे में जाकर बैठे, तभी अभि. सा. 2 शौचालय चली गई और उसका पुत्र बर्थ पर लेटा हुआ था और अभि. सा. 1 ने अपने हैंडबैग में से पानी की बोतल निकाली और सीट पर रख दी जो नीचे गिर गई और जब वह बोतल उठाने के लिए नीचे झुकी तभी एक व्यक्ति ने उसका हैंडबैग उठा लिया और रेलगाड़ी में से निकलकर भागने लगा ; अपने हैंडबैग को लापता देखकर अभि. सा. 1 ने अन्य यात्रियों से मालूम किया जिन्होंने बताया कि उन्हें उसके हैंडबैग के बारे में कोई जानकारी नहीं है ; वह रेलगाड़ी के डिब्बे से नीचे उतर गई और उसने लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति को प्लेटफार्म पर उसका हैंडबैग लेकर भागते हुए देखा ; तभी वह "चोर" "चोर" कहकर चिल्लाई जिसे सुनकर रेलवे पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया किंतु वह व्यक्ति अर्थात् अभियुक्त-आवेदक बचकर भाग निकला और इसके पश्चात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 रेलगाड़ी से नीचे उतर गए और वे कोयंबटूर रेलवे स्टेशन के पुलिस थाने चले गए जहां अभि. सा. 1 ने अपने हैंडबैग (तात्विक वस्तु-1) जिसमें एक फोन (तात्विक वस्तु-2), भारतीय स्टेट बैंक का ए.टी.एम. कार्ड (तात्विक वस्तु-3) और 10,200/- रुपए की नकदी (तात्विक वस्तु-4) थी, के चोरी हो जाने के संबंध में शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई । पुलिस उपनिरीक्षक (अभि. सा. 6) ने उक्त शिकायत प्राप्त की और उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 1764/2012 (प्रदर्श पी-4) दर्ज की

गई और सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी गई जो उस समय अपनी-अपनी बीट में ड्यूटी पर थे । उसी दिन रात्रि में कोयंबटूर रेलवे पुलिस का एक अधिकारी (अभि. सा. 3) तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली को जाने वाली केरल एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी से अपने घर तिरुपुर जा रहा था ; तिरुपुर रेलवे पुलिस का एक अधिकारी (अभि. सा. 4) भी अभि. सा. 3 के साथ उसी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था ; उसी समय एक यात्री ने अभि. सा. 4 को यह बताया कि एक व्यक्ति के पास लेडीज हैंडबैग है जो संदिग्ध अवस्था में पैसे गिन रहा है ; इस जानकारी के पश्चात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 वहां गए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछताछ की जिसके पास लेडीज हैंडबैग था और उसके हाथ में पैसे थे ; उक्त व्यक्ति ने पहले तो टाल-मटोल करते हुए उत्तर दिया किंतु उसने बाद में अपना दोष स्वीकार कर लिया ; अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 अभियुक्त-आवेदक के साथ तिरुपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी से नीचे उतर गए ; हैंडबैग के लापता होने के संबंध में जानकारी मिलने के पश्चात् वे उक्त व्यक्ति को कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर ले आए जहां अभि. सा. 1 ने उक्त व्यक्ति को पहचान कर बताया कि यह वही व्यक्ति है जो उसका हैंडबैग चोरी करके भागा था । अभि. सा. 1 ने अभियुक्त-आवेदक से पूछताछ की जिसने पहले तो विरोधाभासी कथन दिए किंतु बाद में उसने हैंडबैग चोरी करने से संबंधित अपना दोष स्वीकार किया और उसने संस्वीकृति कथन भी दिया ; इस अभियुक्त-आवेदक के संस्वीकृति कथन के ग्राह्य भाग (प्रदर्श पी-2) के आधार पर अभि. सा. 6 ने इस अभियुक्त-आवेदक को गिरफ्तार किया और तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-4 को सेल्वाराज (अभि. सा. 5) और मोहम्मद अली नाम के व्यक्ति की मौजूदगी में बरामद किया और इस संबंध में अभिग्रहण महाजर (प्रदर्श पी-3) तैयार की गई और इसके पश्चात् अभियुक्त-आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अभि. सा. 6 ने दंड संहिता की धारा 379 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया जिसके पश्चात् विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. VI के न्यायालय

में मामला सं. 642/2012 पंजीकृत किया गया ।

3. जब विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध अपराधजन्य सामग्री के संबंध में प्रश्न पूछे तब इस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् करते हुए विचारण की मांग की ।

4. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-आवेदक का दोष साबित करने के लिए कुल मिलाकर 6 साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 से अभि. सा. 6 की परीक्षा कराई और 5 दस्तावेज अर्थात् प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-5 चिह्नांकित किए और तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-4 प्रस्तुत कीं । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई और न ही कोई दस्तावेज चिह्नांकित किया गया ।

5. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर अभियुक्त-आवेदक को दंड संहिता की धारा 379 के अधीन अपराध का दोषी पाया और उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-आवेदक ने विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, कोयंबटूर के समक्ष अपील फाइल की जो खारिज हो गई । इस आदेश को चुनौती देते हुए अभियुक्त-आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है ।

6. आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए अभियुक्त-आवेदक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि निचले दोनों न्यायालयों अर्थात् विचारण न्यायालय तथा अपील न्यायालय ने अभियुक्त-आवेदक को दंड संहिता की धारा 379 के अधीन किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में भारी गलती की है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया साक्ष्य तर्कसम्मत और विश्वासप्रद नहीं है और यह कि चोरी किए गए सामान की बरामदगी से संबंधित दिए गए संस्वीकृति कथन के किसी भी भाग के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित नहीं किया जा सकता । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित नहीं किया है क्योंकि साक्ष्य तथा

प्रस्तुत की गई सामग्री में अभि. सा. 1 द्वारा अभियुक्त-आवेदक की शनाख्त किए जाने और अभि. सा. 6 द्वारा उसकी गिरफ्तारी किए जाने को लेकर गंभीर विरोधाभास और विषमताएं हैं । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 का यात्रा-टिकट प्रस्तुत नहीं किया है । इस प्रकार, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त-आवेदक इस अपराध का दोषी नहीं है और इसे इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है और इस प्रकार वह दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

7. प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री के. प्रभाकर ने निचले न्यायालयों के निर्णयों का समर्थन करते हुए दलील दी है । उनके अनुसार दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त-आवेदक की दोषसिद्धि और दंडादेश उचित हैं क्योंकि अभियुक्त-आवेदक ने चोरी का अपराध कारित किया ही है । विद्वान् अभियोजक ने यह भी प्रतिवाद किया है कि अभि. सा. 1 ने अभियुक्त-आवेदक की शनाख्त की है और उससे बरामद किए गए सामान को भी पहचाना है और अभियुक्त-आवेदक को दोषसिद्ध करने में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी खामी नहीं बरती गई है और अभियुक्त-आवेदक की ओर से जिन विरोधाभासों और फर्कों को दर्शाया गया है, वे अभियोजन पक्षकथन को किसी भी प्रकार से दूषित नहीं करते हैं । इस प्रकार, विद्वान् अपर लोक अभियोजक के अनुसार इस न्यायालय द्वारा इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

8. इस न्यायालय ने अभियुक्त-आवेदक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल और राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक को सुना है तथा अभिलेख का परिशीलन भी किया है ।

9. अभि. सा. 1 अर्थात् शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दांडिक विधि के अधीन इस संबंध में कार्यवाही आरंभ की गई कि एक व्यक्ति द्वारा एक हैंडबैग चोरी किया गया है जिसमें एक “लीप” ब्रांड वाला फोन, भारतीय स्टेट बैंक का ए.टी.एम. कार्ड और 10,200/- रुपए की नकदी थी और तत्पश्चात् इस व्यक्ति की

अभियुक्त-आवेदक के रूप में शनाख्त की गई । उक्त शिकायत के आधार पर 2012 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 1764 दर्ज कराई गई । अन्वेषण के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 6) द्वारा आरोप पत्र फाइल किया गया जिसके आधार पर न्यायालय में विचारण मामला सं. 642/2012 पंजीकृत किया गया और विचारण के पश्चात् अभियुक्त-आवेदक को दंड संहिता की धारा 379 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त-आवेदक ने दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देते हुए 2015 की दांडिक अपील सं. 40 फाइल की जो अपील न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई । इस प्रकार, अभियुक्त-आवेदक द्वारा वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन इस न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया है ।

10. यह सुस्थापित विधि है कि दंड संहिता की धारा 379 के अधीन अभिकथित दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित संघटक सिद्ध करने चाहिए :–

(1) अभियुक्त-आवेदक ने बेइमानी से संपत्ति ली है,

(2) वह संपत्ति जंगम है,

(3) वह संपत्ति किसी व्यक्ति/शिकायतकर्ता के कब्जे से ली गई है,

(4) वह संपत्ति उस व्यक्ति/शिकायतकर्ता की सम्मति के बिना ली गई है, और

(5) उस संपत्ति को लेने के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है ।

11. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में इस न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और सामग्रियों पर विचार करना होगा । शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि वह कोयंबटूर के एक कालेज में अपने छोटे पुत्र का दाखिला कराने के पश्चात् तारीख 13 सितंबर, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे अपने पुत्र और अपनी भाभी (अभि. सा. 2) के साथ नागरकोविल

जाने वाली रेलगाड़ी के कोच सं. एस 4 में सवार हुई और उन्हें सीट सं. 35, 38 और 40 आबंटित की गईं और जैसे ही वे रेलगाड़ी में सवार हुए तभी अभि. सा. 2 शौचालय चली गई और उसका पुत्र बर्थ पर लेटा हुआ था और अभि. सा. 1 सीट पर बैठ गई और इसके पश्चात् उसने अपने हैंडबैग में से पानी की बोतल निकाली और सीट पर रख दी किंतु बोतल नीचे गिर गई ; जब उसने नीचे से अपनी बोतल उठाई तब उसने यह पाया कि उसका हैंडबैग वहां नहीं है ; उसने अन्य यात्रियों से इस संबंध में पूछताछ की जिन्होंने यह बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ; इसके तत्काल पश्चात् वह रेलगाड़ी से नीचे उतर गई और उसने एक लड़के को, जिसकी आयु लगभग 35 वर्ष थी, अपने हैंडबैग के साथ भागते हुए देखा और वह "चोर" "चोर" कहकर चिल्लाई जिसकी आवाज सुनकर रेलवे पुलिस चोर की ओर दौड़ी और उन्होंने उस लड़के को पकड़ने का प्रयास किया किंतु वह लड़का अर्थात् अभियुक्त-आवेदक बचकर निकल गया ; इसके पश्चात् अभि. सा. 1 अपने सामान के साथ रेलगाड़ी से नीचे उतर आई और कोयंबटूर रेलवे स्टेशन के पुलिस थाने में शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराने चली गई । अभि. सा. 1 ने यह भी साक्ष्य दिया है कि उसी दिन अपराह्न लगभग 10.30 बजे जब वे कोयंबटूर बस अड्डे पर थे, अभि. सा. 1 को सूचना मिली और उससे किसी व्यक्ति की शनाख्त करने को कहा गया जिसे तिरुपुर रेलवे पुलिस थाने की अभिरक्षा में रखा हुआ था ; अपराह्न लगभग 11.00 बजे अभियुक्त-आवेदक कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर आया जहां अभि. सा. 1 ने अभियुक्त-आवेदक के रूप में उसकी शनाख्त की और उससे बरामद किए गए सामान को भी पहचान कर बताया कि यही सामान चोरी किया गया था ; इसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना चोरी किया गया सामान प्राप्त किया ।

12. अभि. सा. 2 शिकायतकर्ता की भाभी है जिसने अभि. सा. 1 जैसा ही अभिसाक्ष्य दिया है ।

13. अभि. सा. 3 कोयंबटूर रेलवे पुलिस का एक अधिकारी है जिसने अपने साक्ष्य में यह प्रकथन किया है कि तारीख 13 सितंबर,

2012 को अपराह्न 8.00 बजे उसे कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर हैंडबैग चोरी किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई ; अपनी ड्यूटी करने के पश्चात् वह अपने घर तिरुपुर जाने के लिए केरल एक्सप्रेस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था ; उसी समय तिरुपुर रेलवे पुलिस का एक अधिकारी (अभि. सा. 4) जो सादी वर्दी में था, उसी कोच में यात्रा कर रहा था ; इसी दौरान एक यात्री वहां आया और उसने अभि. सा. 4 को यह बताया कि एक लड़का संदिग्ध अवस्था में कोई लेडीज हैंडबैग लिए हुए है और वह पैसे गिन रहा है ; इस सूचना के प्राप्त होने पर अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 वहां गए और उक्त लड़के से पूछताछ की जिसने अपना नाम त्रिमूर्ति बताया और उसने ठीक-ठीक जानकारी नहीं दी किंतु बाद में बैग की चोरी से संबंधित मामले को लेकर वे उक्त लड़के को तिरुपुर रेलवे स्टेशन ले आए और इसके पश्चात् उसे कोयंबटूर रेलवे स्टेशन लाए और उसे अन्वेषण अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक (अभि. सा. 6) को सुपुर्द कर दिया ।

14. अभि. सा. 3 के साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 4 के साक्ष्य से होती है ।

15. सेल्वाराज (अभि. सा. 5) रेलवे कैन्टीन में काम करता था और उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त-आवेदक द्वारा उसके संस्वीकृति कथन तथा उससे बरामद की गई वस्तुओं से संबंधित तैयार किए गए अभिग्रहण ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षरों की शनाख्त की है और इस साक्षी ने चोरी किया गया सामान अपना बताया है ।

16. अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि तारीख 13 सितंबर, 2012 को अपराह्न लगभग 8.30 बजे शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) पुलिस थाने आई और शिकायत (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत की जिसके आधार पर उसी दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) दर्ज की गई, अभि. सा. 6 ने उन सभी पुलिस अधिकारियों को हैंडबैग चोरी होने के संबंध में सूचना दी जो अपनी-अपनी बीट में ड्यूटी पर थे ; इस सूचना के प्राप्त होने पर, अभि. सा. 3 ने अभि. सा. 6 से संपर्क किया

और यह सूचना दी कि जब अपनी ड्यूटी पूरी करने के पश्चात् वह केरल एक्सप्रेस रेलगाड़ी से घर वापस आ रहा था, उसने एक लड़के को लेडीज हैंडबैग ले जाते हुए देखा और तिरुपुर रेलवे पुलिस का एक अधिकारी (अभि. सा. 4) भी उसके साथ था ; अभि. सा. 6 द्वारा निर्देश दिए जाने के अनुसार अपराह्न लगभग 11.00 बजे अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 अभियुक्त-आवेदक को कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर लाए जहां अभि. सा. 6, शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के साथ पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था ; अभि. सा. 1 द्वारा अभियुक्त-आवेदक की शनाख्त किए जाने पर, अभि. सा. 6 ने अभियुक्त-आवेदक से पूछताछ की जिसने पहले तो विरोधाभासी कथन दिए किंतु बाद में उसने अपना दोष स्वीकार किया कि उसने नागरकोविल एक्सप्रेस रेलगाड़ी के एक कोच में सीट सं. 35 पर से हैंडबैग चोरी किया था और प्लेटफार्म सं. 3 पर खड़ी हुई कन्याकुमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में भागकर सवार हो गया ; उसने संस्वीकृति कथन प्राप्त किया और चोरी किए गए हैंडबैग जिसमें 500/- रुपए वाले 19 और 100/- रुपए वाले 7 नोट थे जो कुल रकम 10,200/- रुपए थी, "लीप" फोन और बैंक का ए.टी.एम. कार्ड स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् सेल्वाराज (अभि. सा. 5) और मोहम्मद अली की मौजूदगी में बरामद किया ; इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त-आवेदक को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया ; और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् उसने अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया ।

17. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त-आवेदक को अभिकथित अपराध से संबद्ध करने के लिए साक्षियों द्वारा सुसंगत और तर्कसम्मत साक्ष्य दिया गया है । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में किसी प्रकार की कोई भी बनावट नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त-आवेदक ने अपराध कारित किए जाने के संबंध में अन्वेषण अधिकारी के समक्ष स्वेच्छया संस्वीकृति कथन दिया है और इस कथन के आधार पर उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ है । साक्ष्य का

ठीक प्रकार मूल्यांकन करने के लिए अभियुक्त-आवेदक के कथन का सुसंगत भाग (प्रदर्श पी-2) निम्न प्रकार उद्धृत किया जा रहा है :–

(प्रकाशक द्वारा अंग्रेजी पाठ में कथन का लोप किया गया है)

इसके अतिरिक्त स्वतंत्र साक्षी (अभि. सा. 5) ने अभियुक्त-आवेदक द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन और उसके आधार पर चोरी किए गए सामान की बरामदगी से संबंधित अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण रूप से समर्थन किया है ।

18. यद्यपि अभियुक्त-आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह प्रतिवाद किया है कि साक्षियों के साक्ष्य में अभि. सा. 1 द्वारा अभियुक्त-आवेदक की शनाख्त किए जाने और अभि. सा. 6 द्वारा उसे गिरफ्तार किए जाने से संबंधित साक्ष्य में विरोधाभास और फर्क है और इसके अतिरिक्त अभि. सा. 1 ने यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त-आवेदक ने उसका हैंडबैग चोरी किया है, अपना यात्रा-टिकट प्रस्तुत नहीं किया है, यह न्यायालय दर्शायी गई इन बातों को विरोधाभास और फर्क के रूप में स्वीकार करने के लिए आनत नहीं है क्योंकि ये तुच्छ और नगण्य प्रकृति की हैं । साक्षियों ने अपना सही वृत्तांत पूरी जिम्मेदारी के साथ दिया है । यदि प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य का परिशीलन निष्पक्ष रूप से किया जाए, तब यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त-आवेदक ने ही चोरी का अपराध कारित किया है । अभियुक्त-आवेदक को अपराध से संबद्ध करने के लिए साक्ष्य की कड़ियां मौजूद हैं और उनसे अभियुक्त-आवेदक के दोषी होने का पता चलता है । साक्षियों के साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए कोई भी सामग्री दिखाई नहीं देती है । कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य मिथ्या है ।

19. यह न्यायालय इस बात से पूरी तरह अवगत है कि जब मामला पूरी तरह पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित होता है तब पारिस्थितिक साक्ष्य अस्वाभिकता से दूर होना चाहिए और ऐसे साक्ष्य से केवल यही निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त-आवेदक अभिकथित अपराध में आलिप्त है । यदि अभियुक्त-आवेदक के अपराध में आलिप्त होने से संबंधित तनिक भी संदेह होता है तब इसका लाभ अभियुक्त-

आवेदक के पक्ष में जाता है । साथ ही विधि के अधीन यह भी उचित नहीं है कि जब कभी साक्ष्य में विरोधाभास आए तो उसका लाभ अभियुक्त-आवेदक को दिया ही जाएगा । केवल ऐसे गंभीर विरोधाभास की स्थिति में ही अभियुक्त-आवेदक को संदेह का लाभ दिया जा सकता है जिससे अभियोजन पक्षकथन पूर्णतया अस्वीकार्य हो जाए, किंतु यदि विरोधाभास तुच्छ प्रकृति के हैं तब वे अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं होंगे । **ए. शंकर** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है :–

> "17. सभी दांडिक मामलों में, साक्षियों के अभिसाक्ष्य में सामान्य विरोधाभास आ ही जाते हैं जिसका कारण समय बीत जाने के साथ-साथ स्मरण शक्ति का कम हो जाना और घटना के समय साक्षियों को पहुंचने वाला आघात और मानसिक पीड़ा है । न्यायालय में साक्ष्य दिए जाने के दौरान ऐसे कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता जिसमें तथ्यों का लोप किए जाने या सारभूत सुधार किए जाने से ऐसे विरोधाभास सामने आते हों जिनके आधार पर उस साक्षी या अन्य साक्षियों की सच्चाई पर घोर संदेह होता हो । तथापि, तुच्छ बातों से संबंधित ऐसे छोटे-मोटे विरोधाभास, असंगताएं, अस्पष्टताएं या सुधार को, जिनसे अभियोजन पक्षकथन का मूल सार प्रभावित नहीं होता है, ऐसा साक्ष्य नहीं माना जा सकता जिसके आधार पर संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन त्यक्त किया जा सके । साक्षी की विश्वसनीयता के संबंध में न्यायालय को अपनी राय देनी चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहिए कि क्या ऐसे साक्षी का साक्ष्य विश्वासोत्पादक है या नहीं ।
>
> अतिशयोक्ति से साक्ष्य प्रभावित नहीं होता है । किंतु अभियोजन वृत्तांत की विश्वसनीयता को परखने के लिए इसे एक संघटक माना जा सकता है । अतः, किसी साक्षी के साक्ष्य में आए छोटे-मोटे विरोधाभासों को ऐसा सुधार नहीं माना जा सकता जिन्हें साक्ष्य द्वारा पूर्व में दिए गए कथन का विस्तार कह सकें । साक्ष्य

---

[1] (2011) 6 एस. सी. सी. 279 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2302 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल (सप्ली.) 518 (एस. सी.).

द्‍वारा साक्ष्य में दी गई असंगत जानकारी को लोप या विरोधाभास नहीं कहा जा सकता क्योंकि उससे साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है । ऐसे लोप और विरोधाभासों से साक्षी के साक्ष्य को त्यक्त कर देना चाहिए जिनके आधार पर विचारण की प्रक्रिया या अभियोजन पक्षकथन दुष्प्रभावित हों । [राज्य द्‍वारा पुलिस इंस्पेक्टर **बनाम** सरवणन और एक अन्य, ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 152 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 7060 ; अरूमुगम **बनाम** राज्य, ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 331 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 7354 ; महेन्द्र प्रताप सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 11 एस. सी. सी. 334 = 2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2849 ; डाक्टर सुनील कुमार शंभू दयाल गुप्ता और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. (क्रिमिनल) 69 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 705 एस. सी. ; विजय **उर्फ** चीनी **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एस. सी. सी. 191 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. (क्रिमिनल) 940 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल (सप्ली.) 770 (एस. सी.) ; उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** नरेश और अन्य, (2011) 4 एस. सी. सी. 324 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. (क्रिमिनल) 761 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 2162 (एस. सी.) ; और ब्रहम स्वरूप और एक अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 280 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 306 (एस. सी.) वाले मामले देखिए] ।

20. इसी प्रकार, **सुचा सिंह और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–

"20. बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए साक्ष्य का अर्थ सदैव संदेहास्पद नहीं लगाना चाहिए और इससे सामाजिक प्रतिरक्षा भी प्रभावित नहीं होती है । इस अभिवाक् के आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता

---

[1] (2003) 7 एस. सी. सी. 643 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3617 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 3876 (एस. सी.).

कि सैकड़ों दोषियों को छोड़ देना किसी एक निर्दोष को दंड दिए जाने की अपेक्षा बेहतर है । दोषी को छोड़ देने का अर्थ विधि की दृष्टि से न्याय करना नहीं है [गुरबचन सिंह **बनाम** सतपाल सिंह और अन्य, ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 209 = 1990 क्रिमिनल ला जर्नल 562 (एस. सी.) वाला मामला देखिए] । अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षित नहीं है कि वह अभियुक्त-आवेदक के पक्ष में प्रत्येक परिकल्पना करे [उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** अशोक कुमार श्रीवास्तव, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 840 = 1992 क्रिमिनल ला जर्नल 1104 (एस. सी.) वाला मामला देखिए] । युक्तियुक्त संदेह का अर्थ काल्पनिक, तुच्छ या संभावी संदेह नहीं है अपितु युक्तियुक्त और व्यावहारिक बुद्धि के आधार पर किए गए संदेह को ही युक्तियुक्त संदेह कहा जा सकता है । यह संदेह ऐसा होना चाहिए जो साक्ष्य में आलिप्त हो । यदि कोई मामला बिना किसी कमी के पूरी तरह साबित किया जाता है, तब यह तर्क दिया जाता है कि यह मामला बनावटी है ; यदि किसी मामले में कुछ ऐसी अपरिहार्य कमियां पाई जाती हैं जो मनुष्य से हो ही जाती हैं, तब भी यह तर्क दिया जाता है कि यह मामला दोष रहित नहीं है । यह आश्चर्य की बात है कि निर्दोष को दंडित किए जाने से बचाने के लिए इतनी एहतियात और सावधानी बरती जाती है कि बहुत-से दोषी छूट जाते हैं । युक्तियुक्त संदेह के परे सबूत एकत्र किया जाना चाहिए, यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है न कि कोई आज्ञापक नियम [इन्दर सिंह और अन्य **बनाम** राज्य (दिल्ली प्रशासन, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1091 = 1978 क्रिमिनल ला जर्नल 766 (एस. सी.) वाला मामला देखिए] । अस्पष्ट अन्तर्ज्ञान को न्यायिक मूल्यांकन नहीं माना जा सकता । न्यायाधीश को किसी दांडिक विचारण की कार्यवाही पर मात्र यह प्राधिकार नहीं है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए । एक न्यायाधीश का कर्तव्य यह देखना भी है कि कोई दोषी व्यक्ति दंडित किए जाने से छूट न जाए । दोनों ही कार्य सामाजिक कर्तव्य के अधीन आते हैं [विस्काउंट साइमन इन स्टर्लैंड **बनाम** निदेशक, लोक अभियोजन, 1944 ए. सी. (पी. सी.) 315 वाला मामला उत्तर

प्रदेश राज्य **बनाम** अनिल सिंह, ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1998 = 1989 क्रिमिनल ला जर्नल 88 (एस. सी.) वाले मामले में कोट किया गया है] । ऐसे संदेहों को ही युक्तियुक्त संदेह कहा जा सकता है जो समुचित चिंतन के आधार पर किए जाते हैं । विधि के अधीन केवल सच्चाई का ही साथ दिया जा सकता है ।"

21. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए यदि सभी साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन संचयी रूप से किया जाए तब यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन संदेह के परे सिद्ध कर दिया है । आहत के साक्ष्य का अपना अलग महत्व है । अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे अभियुक्त-आवेदक के मिथ्या फंसाए जाने का पता चलता हो । अभियुक्त-आवेदक ने अपने संस्वीकृति कथन में चोरी करने से संबंधित अपना दोष स्वीकार किया है । चोरी किया गया सामान अभियुक्त-आवेदक के कब्जे से बरामद किया गया है जिसकी पहचान आहत द्वारा की गई है । इस प्रकार अभियोजन पक्षकथन को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण नहीं है । दंड संहिता की धारा 379 के सभी संघटकों का पूर्णतया समाधान होता है । अत: विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-आवेदक को इस अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया है । उक्त निष्कर्ष की पुष्टि निचले अपील न्यायालय द्वारा भी की गई है । इस प्रकार इस न्यायालय को ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है जिसके आधार पर निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के प्रति असहमति व्यक्त की जा सके ।

22. यह दांडिक पुनरीक्षण आवेदन असफल होता है और तद्नुसार खारिज किया जाता है । विचारण न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि अभियुक्त-आवेदक को न्यायालय में पेश कराए और उसे कारावास की शेष अवधि, यदि कोई है, भोगने के लिए जेल भेजे ।

आवेदन खारिज किया गया ।

अस.

संतोष कुमार राठौर और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 8867)

तारीख 8 मई, 2020

न्यायमूर्ति विष्णुप्रताप सिंह चौहान

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 489ग [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 27, 106 और 114(ज)] – कूटकृत करेंसी को कब्जे में रखना – सबूत – कई नोटों पर एक जैसा क्रमांक मुद्रित पाया जाना – प्रकटीकरण के आधार पर जाली नोटों की बरामदगी – साक्षियों और अभियुक्तों के बीच शत्रुता का न पाया जाना – अभियुक्तों के प्रकटीकरण कथन के आधार पर नोटों की बरामदगी उनके अपने स्थान से हुई है और नोटों की जांच बैंक नोट प्रेस द्वारा कराए जाने पर उन्हें कूटकृत पाया गया है और अभियुक्त-अपीलार्थियों के एकमात्र भानपूर्ण कब्जे में इन नोटों के पाए जाने के संबंध में उनकी ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अत: अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 386(ग)(iii) – दंड में कमी करने संबंधी अपील न्यायालय की शक्ति – अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास न होना – अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि अभियुक्त पुराने अपराधी हैं, अत: विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत 5 वर्ष के कारावास को कम करके 3 वर्ष करना न्यायोचित है ।

अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि जब विजय प्रताप सिंह (अभि. सा. 9) पुलिस थाना कोतवाली, शहडोल में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था, तब उसे तारीख 10 अप्रैल, 2007 को

यह सूचना प्राप्त हुई कि रवि शर्मा **उर्फ** गुडडा नाम का एक व्यक्ति जाली भारतीय करेंसी नोटों का कारबार करता है और वह ऐसे नोटों के साथ बस-अड्डे पर पहुंचेगा । थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने दो पंच साक्षियों अर्थात् चंद्रकांत सोनी (अभि. सा. 10) और मोहम्मद जाकिर खान (अभि. सा. 3) को बुलाया और उन्हें सूचित करने के पश्चात् उक्त सूचना को रोजनामचे (प्रदर्श पी/1) में दर्ज किया और इन पंच साक्षियों तथा सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8), कांस्टेबल अरविन्द प्यासी (अभि. सा. 7), स्वतंत्र सिंह, अरविंद दुबे, महेश यादव, सत्यनारायण (अभि. सा. 4), रईस खान, प्रमोद पांडेय, शैलेन्द्र चतुर्वेदी और चालक चन्द्र प्रकाश के साथ सरकारी वाहन सं. एम पी 03-5682 से घटनास्थल पर पहुंचे और रोजनामचे (प्रदर्श पी/31) में अपनी इस रवानगी के संबंध में प्रविष्टि की । रवि शर्मा बस-अड्डे पर मिला और उससे अपनी तलाशी देने को कहा । विजय प्रताप सिंह ने रवि शर्मा के सामने अपनी और अपने साथियों की तलाशी दिलाई और इस संबंध में दो पंचनामे अर्थात् (प्रदर्श पी/2) और (प्रदर्श पी/3) तैयार किए गए । इसके पश्चात् रवि शर्मा की तलाशी ली गई और इस तलाशी के दौरान उसके कब्जे से भारतीय करेंसी के 500/- रुपए वाले 72 जाली नोट और 100/- रुपए वाले 190 जाली नोट बरामद किए गए और सभी नोटों की जांच करने के बाद यह पता चला कि कई नोटों पर एक जैसे नम्बर ही मुद्रित किए गए थे, इन सभी नोटों को अभिगृहीत किया गया और इस संबंध में तलाशी ज्ञापन (प्रदर्श पी/4), अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/5) और रवि शर्मा की घटनास्थल पर की गई गिरफ्तारी से संबंधित गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी/6) भी तैयार किए गए और इसके पश्चात् वे पुलिस थाने वापस आकर और रोजनामचे (प्रदर्श पी/32) में इन कार्यवाहियों से संबंधित प्रविष्टि की और पुलिस थाना कोतवाली, शहडोल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 165/2007 दर्ज की गई जिसे प्रदर्श पी/33 के रूप में प्रदर्शित किया गया है । सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) ने, अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् सुधीर गुप्ता (अभि. सा. 5), सतीश गुप्ता (अभि. सा. 6) को बुलाया और पुलिस थाना कोतमा, जिला

अनूपपुर चला गया । ग्राम धंगावन के निवासी अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर और बलराम सिंह को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई । अपीलार्थी संतोष कुमार ने यह बताया कि उसके पास 15,000/- रुपए के जाली करेंसी नोट हैं और इन सभी नोटों को पॉलिथीन की थैली में रखकर अपने घर के पीछे अहाते में दबा रखा है और इस जानकारी के आधार पर ज्ञापन प्रदर्श पी/22 अभिलिखित किया गया और इसी प्रकार अपीलार्थी बलराम सिंह ने भी यह बताया कि उसके पास भी 10,000/- रुपए के जाली करेंसी नोट हैं जो उसने घर में दबा रखे हैं और इस जानकारी को भी दोनों स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में ज्ञापन प्रदर्श पी/23 के रूप में पुलिस थाना कोतमा में अभिलिखित किया गया और वह अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के साथ उक्त स्थान पर गया जिसने पॉलिथीन की थैली खोदकर निकाली और उसे सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) को सौंप दीं जिसने नोटों को अभिगृहीत करने के पश्चात् स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/24) तैयार किया और इसके पश्चात् अपीलार्थी बलराम सिंह के साथ उसके द्वारा बताए गए स्थान पर गया और वहां से जाली करेंसी नोट खोदकर निकाले और उन्हें सहायक पुलिस निरीक्षक प्रदीप द्विवेदी को सौंप दिया जिसने नोटों को अभिगृहीत करने के पश्चात् अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी/25 तैयार किया । इसके पश्चात् सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) ने दोनों अपीलार्थियों अर्थात् संतोष कुमार राठौर और बलराम सिंह को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किए और अभिगृहीत किए गए सभी नोटों को पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल के ड्राफ्ट (प्रदर्श पी/35) के अनुसार परीक्षण के लिए बैंक नोट प्रेस, देवास भेज दिया । बैंक नोट प्रेस, देवास से एक विशिष्ट रिपोर्ट (प्रदर्श पी/38) प्राप्त हुई जिसके द्वारा अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर और बलराम सिंह के कब्जे से अभिगृहीत किए गए करेंसी नोटों को कूटकृत पाया गया । अन्वेषण के पश्चात् सह-अभियुक्त सहित दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । इसके पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थियों का विचारण किया गया और उन्हें दंड संहिता की धारा 489ग के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया । इस आदेश से

व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पूर्वगामी चर्चा के आधार पर, इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के पास जाली करेंसी नोट थे और ये नोट उसके भानपूर्ण कब्जे से प्राप्त हुए थे और एक से अधिक नोटों पर एक जैसे क्रमांक छपे हुए थे । अभिगृहीत किए गए इन नोटों को परीक्षण के लिए बैंक नोट प्रेस, देवास भेजा गया । इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/38 है । इस परीक्षण रिपोर्ट का परिशीलन किया गया है जिससे यह प्रतिबिम्बित होता है कि ये नोट, जो अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के कब्जे से बरामद किए गए हैं, जाली हैं, अत: इस न्यायालय की यह दृढ़ राय है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित किया है कि भारतीय करेंसी के जाली नोट अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के कब्जे से ही बरामद किए गए हैं । सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) ने अपीलार्थी बलराम सिंह द्वारा अभिरक्षा में रहते हुए दी गई सूचना अभिलिखित की है और ज्ञापन प्रदर्श पी/23 तैयार किया है । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी बलराम सिंह ने यह सूचना दी थी कि उसके पास 10,000/- रुपए के जाली करेंसी नोट हैं जो उसने मुर्गी-खाने में छिपाए हुए हैं । इस तथ्य की पुष्टि स्वतंत्र साक्षी सुधीर गुप्ता (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से होती है जो उस समय मौजूद था और उसने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी बलराम सिंह उसे उस स्थान पर ले गया था जहां उसने नोट दबाए हुए थे और खोदने के पश्चात् उसने अन्वेषण अधिकारी को वे करेंसी नोट उपलब्ध कराए थे । इन दोनों साक्षियों के कथनों का परिशीलन करने के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि दस नोट 500/- रुपए वाले और पचास नोट 100/- रुपए वाले पाए गए और इनमें बहुत से नोटों पर एक ही जैसा क्रमांक मुद्रित था । दोनों साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का परिशीलन करने के पश्चात् ऐसी कोई सामग्री दिखाई नहीं देती है जिससे यह पता चलता हो कि दोनों साक्षी अपीलार्थी बलराम सिंह को मिथ्या फंसाने के लिए अपने मन में

प्रतिशोध की भावना रखते थे या उससे शत्रुता मानते थे । पूर्वगामी चर्चा के आधार पर, इस न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि अपीलार्थी बलराम सिंह के भानपूर्ण और एक-मात्र कब्जे से जाली करेंसी नोट बरामद किए गए हैं और यह कि इन नोटों को ड्राफ्ट (प्रदर्श पी/35) के अनुसार परीक्षण के लिए भेजा गया था और इस संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श पी/38 प्राप्त की गई । इस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि अभिगृहीत किए गए सभी नोट भारतीय करेंसी वाले जाली नोट हैं जिन पर एक जैसा क्रमांक मुद्रित है । पूर्वगामी चर्चा के आधार पर, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित किया है कि अभियुक्तों के कब्जे में भारतीय करेंसी वाले जाली नोट पाए गए हैं । इसका यह अर्थ हुआ कि उपरोक्त तीन संघटक अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह के परे साबित किए गए हैं । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन परीक्षा कराए जाने के दौरान अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर से यह पूछा गया कि उसने प्रदीप द्विवेदी को यह बताया था कि उसे राम कुमार केवट से 15,000/- रुपए के जाली/कूटकृत नोट प्राप्त हुए हैं जो पॉलिथीन में लिपटे हुए हैं और उसके मकान के पिछले भाग में खोदकर दबाए हुए हैं । इस पर अभियुक्त ने मात्र इतना उत्तर दिया है कि यह कहना गलत है । न्यायालय ने उससे यह भी प्रश्न किया कि उसने (अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर) खोदकर करेंसी नोट निकाले थे जिन्हें प्रदीप द्विवेदी द्वारा स्वतंत्र साक्षी सुधीर गुप्ता की मौजूदगी में अभिगृहीत किया गया, इस पर उक्त अपीलार्थी ने यह उत्तर दिया है कि यह कहना गलत है । न्यायालय ने स्पष्ट रूप से 'जाली/कूटकृत नोट' जैसे शब्दों का प्रयोग किया है किंतु अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा के दौरान इस तथ्य से केवल इनकार ही किया है । इसी प्रकार अपीलार्थी बलराम सिंह से भी जाली करेंसी के संबंध में प्रश्न पूछा गया था जिस पर उसने केवल इनकार ही किया है और इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उसके पास जाली करेंसी नोट कैसे आए और उसने उन नोटों को जमीन में दबाकर क्यों रखा । जैसे कि ऊपर

चर्चा की गई है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित किया है कि दोनों अपीलार्थियों के कब्जे से भारतीय करेंसी वाले जाली नोट बरामद किए गए हैं और उन्हें (अपने पास) संदिग्ध अवस्था में रखा गया था और इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उनके पास ये नोट कैसे आए । किसी भी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के अभाव में अपीलार्थियों के विरुद्ध यह प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके पास यह विश्वास करने का कारण था कि नोट जाली हैं और इन नोटों का प्रयोग असली के रूप में किया जा सकता है । (पैरा 20, 21, 22 और 30)

पूर्वगामी चर्चा के आधार पर इस न्यायालय का यह दृढ़ मत है कि ऐसा कोई भी तर्कसम्मत या सारभूत आधार नहीं है जिसके अनुसार यह न्यायालय दंड संहिता की धारा 489क के अधीन की गई दोषसिद्धि के निष्कर्ष में हस्तक्षेप कर सके । दंड संहिता की धारा 489ग के अधीन अधिकतम दंड 7 वर्ष का कारावास है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्येक अपीलार्थी को 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया है । अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थियों का आपराधिक इतिहास है । इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए यह न्यायालय प्रत्येक अपीलार्थी के 5 वर्ष के कारावास में से 2 वर्ष का कारावास कम करने के लिए आनत है । उपरोक्त पर विचार करते हुए यह अपील दंड की मात्रा को लेकर भागत: मंजूर की जाती है । दंड संहिता की धारा 489ग के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है । तथापि, प्रत्येक अपीलार्थी के कठोर कारावास की अवधि घटाकर 5 वर्ष से 3 वर्ष की जाती है और जुर्माने की रकम में व्यतिक्रम के अनुबंध के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है । (पैरा 32 और 33)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2019]	ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 3363 : **दीपकभाई जगदीशचन्द्र पटेल** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** ;	28

[2018]	2018 क्रिमिनल ला जर्नल 4126 (मध्य प्रदेश) : **शब्बीर शेख और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	31
[2001]	(2001) 9 एस. सी. सी. 642 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 374 : **उमाशंकर** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ;	23
[2000]	(2000) एस. सी. सी. ऑनलाइन केरल 417 : **करुणाकरन नादर** बनाम **केरल राज्य** ;	23
[1987]	(1987) एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 114 : **जीबन ससमाल** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	23
[1979]	(1979) 4 एस. सी. सी. 723 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1705 : **एम. ममुट्टी** बनाम **कर्नाटक राज्य** ।	23

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 8867.

2007 के सेशन विचारण मामला सं. 209 में विद्वान् विशेष सेशन न्यायाधीश, शहडोल द्वारा तारीख 31 अक्तूबर, 2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री जय शुक्ला

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री विशाल यादव और अशोक सिंह

न्यायमूर्ति विष्णुप्रताप सिंह चौहान – अपीलार्थियों ने यह अपील 2007 के सेशन विचारण मामला सं. 209 में विद्वान् विशेष सेशन न्यायाधीश, शहडोल द्वारा तारीख 31 अक्तूबर, 2018 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन फाइल की है जिसके द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 489ग के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 3 मास के कठोर कारावास से, दंडादिष्ट किया गया है ।

2. अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि जब विजय प्रताप सिंह (अभि. सा. 9) पुलिस थाना कोतवाली, शहडोल में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था, तब उसे तारीख 10 अप्रैल, 2007 को यह सूचना प्राप्त हुई कि रवि शर्मा **उर्फ** गुड्डा नाम का एक व्यक्ति जाली भारतीय करेंसी नोटों का कारबार करता है और वह ऐसे नोटों के साथ बस-अड्डे पर पहुंचेगा । थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने दो पंच साक्षियों अर्थात् चंद्रकांत सोनी (अभि. सा. 10) और मोहम्मद जाकिर खान (अभि. सा. 3) को बुलाया और उन्हें सूचित करने के पश्चात् उक्त सूचना को रोजनामचे (प्रदर्श पी/1) में दर्ज किया और इन पंच साक्षियों तथा सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8), कांस्टेबल अरविन्द प्यासी (अभि. सा. 7), स्वतंत्र सिंह, अरविंद दुबे, महेश यादव, सत्यनारायण (अभि. सा. 4), रईस खान, प्रमोद पांडेय, शैलेन्द्र चतुर्वेदी और चालक चन्द्र प्रकाश के साथ सरकारी वाहन सं. एम पी 03-5682 से घटनास्थल पर पहुंचे और रोजनामचे (प्रदर्श पी/31) में अपनी इस रवानगी के संबंध में प्रविष्टि की ।

3. रवि शर्मा बस-अड्डे पर मिला और उससे अपनी तलाशी देने को कहा । विजय प्रताप सिंह ने रवि शर्मा के सामने अपनी और अपने साथियों की तलाशी दिलाई और इस संबंध में दो पंचनामे अर्थात् (प्रदर्श पी/2) और (प्रदर्श पी/3) तैयार किए गए । इसके पश्चात् रवि शर्मा की तलाशी ली गई और इस तलाशी के दौरान उसके कब्जे से भारतीय करेंसी के 500/- रुपए वाले 72 जाली नोट और 100/- रुपए वाले 190 जाली नोट बरामद किए गए और सभी नोटों की जांच करने के बाद यह पता चला कि कई नोटों पर एक जैसे नम्बर ही मुद्रित किए गए थे, इन सभी नोटों को अभिगृहीत किया गया और इस संबंध में तलाशी ज्ञापन (प्रदर्श पी/4), अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/5) और रवि शर्मा की घटनास्थल पर की गई गिरफ्तारी से संबंधित गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी/6) भी तैयार किए गए और इसके पश्चात् वे पुलिस थाने वापस आकर और रोजनामचे (प्रदर्श पी/32) में इन कार्यवाहियों से संबंधित प्रविष्टि की और पुलिस थाना कोतवाली, शहडोल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 165/2007 दर्ज की गई जिसे प्रदर्श पी/33 के रूप में प्रदर्शित किया गया है ।

4. सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) ने, अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् सुधीर गुप्ता (अभि. सा. 5), सतीश गुप्ता (अभि. सा. 6) को बुलाया और पुलिस थाना कोतमा, जिला अनूपपुर चला गया । ग्राम धंगावन के निवासी अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर और बलराम सिंह को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई । अपीलार्थी संतोष कुमार ने यह बताया कि उसके पास 15,000/- रुपए के जाली करेंसी नोट हैं और इन सभी नोटों को पॉलिथीन की थैली में रखकर अपने घर के पीछे अहाते में दबा रखा है और इस जानकारी के आधार पर ज्ञापन प्रदर्श पी/22 अभिलिखित किया गया और इसी प्रकार अपीलार्थी बलराम सिंह ने भी यह बताया कि उसके पास भी 10,000/- रुपए के जाली करेंसी नोट हैं जो उसने घर में दबा रखे हैं और इस जानकारी को भी दोनों स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में ज्ञापन प्रदर्श पी/23 के रूप में पुलिस थाना कोतमा में अभिलिखित किया गया और वह अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के साथ उक्त स्थान पर गया जिसने पॉलिथीन की थैली खोदकर निकाली और उसे सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) को सौंप दीं जिसने नोटों को अभिगृहीत करने के पश्चात् स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/24) तैयार किया और इसके पश्चात् अपीलार्थी बलराम सिंह के साथ उसके द्वारा बताए गए स्थान पर गया और वहां से जाली करेंसी नोट खोदकर निकाले और उन्हें सहायक पुलिस निरीक्षक प्रदीप द्विवेदी को सौंप दिया जिसने नोटों को अभिगृहीत करने के पश्चात् अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी/25 तैयार किया ।

5. इसके पश्चात् सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) ने दोनों अपीलार्थियों अर्थात् संतोष कुमार राठौर और बलराम सिंह को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किए और अभिगृहीत किए गए सभी नोटों को पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल के ड्राफ्ट (प्रदर्श पी/35) के अनुसार परीक्षण के लिए बैंक नोट प्रेस, देवास भेज दिया । बैंक नोट प्रेस, देवास से एक विशिष्ट रिपोर्ट (प्रदर्श पी/38) प्राप्त हुई जिसके द्वारा अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर और बलराम सिंह के कब्जे से अभिगृहीत किए गए करेंसी नोटों को कूटकृत पाया गया । अन्वेषण

के पश्चात् सह-अभियुक्त सहित दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिन्होंने दोषी होने से इनकार किया और विचारण किए जाने का अभिवाक् किया । अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 11 साक्षियों की परीक्षा कराई । अपीलार्थियों की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई जिसके दौरान उन्होंने अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी अपराधजन्य साक्ष्य से इनकार किया और अपनी प्रतिरक्षा में यह अभिवाक् किया कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है और उन्हें मिथ्या फंसाया गया है । अपीलार्थियों ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई है ।

7. विद्वान् विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तारीख 31 अक्तूबर, 2018 को निर्णय पारित किया जिसके द्वारा दोनों अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 489ख के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया, किंतु उन्हें दंड संहिता की धारा 489ग के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और दोनों अपीलार्थियों को उपरोक्त रूप में दंडादिष्ट किया ।

8. अपीलार्थियों ने दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर इस आधार पर अपील फाइल की है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया है और दोनों अपीलार्थियों को अन्वेषण अधिकारी के कथन के आधार पर दोषसिद्ध करके त्रुटि की है । दोनों स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अपीलार्थियों के विरुद्ध किए गए पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध का कोई भी संघटक गठित नहीं होता है । अभियोजन पक्ष दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध मामला संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है, इस प्रकार यह प्रार्थना की गई है कि इस अपील को स्वीकार करते हुए अपीलार्थियों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाएं और उन्हें दोषमुक्त किया जाए ।

9. इसके प्रतिकूल, विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह दलील दी है कि दोनों अपीलार्थियों को जाली नोटों के साथ पाया गया है । उन्होंने यह प्रकट नहीं किया है कि उनके पास ये जाली नोट किस प्रकार आए । अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, अत: अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया जाता है ।

10. पक्षकारों की ओर से दी गई परस्पर विरोधी दलीलों को सुनने के पश्चात् हमने सेशन विचारण मामला सं. 209/2007 के अभिलेख तथा साक्ष्य और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का परिशीलन किया है ।

11. विजय प्रताप सिंह (अभि. सा. 9) ने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि 10 अप्रैल, 2007 को जब वह पुलिस थाना कोतवाली, शहडोल में थानाध्यक्ष के रूप में तैनात था, एक सूचना प्राप्त हुई कि रवि शर्मा **उर्फ** गुड्डा निवासी चंदिया, जाली करेंसी नोट लेकर आ रहा है और वह जाली करेंसी नोटों का कारबार करता है । इस साक्षी ने पंच साक्षियों अर्थात् चन्द्रप्रकाश सोनी और मोहम्मद जाकिर खान को बुलाया और रोजनामचे में सूचना अभिलिखित करने के पश्चात् अन्य पुलिस कर्मियों के साथ बस-अड्डे पर गया जहां उसने रवि शर्मा (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) को देखा । इस साक्षी ने रवि शर्मा से पूछताछ की । रवि शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर रवि शर्मा के कब्जे से जाली करेंसी नोट प्राप्त किए । पुलिस थाना कोतवाली, जिला शहडोल वापस आने के पश्चात् इस साक्षी ने रोजनामचे (प्रदर्श पी/32) में कार्यवाही अभिलिखित की और अपराध मामला सं. 165/2007 रजिस्ट्रीकृत किया जिसके आधार पर पुलिस थाना कोतवाली, जिला शहडोल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/33) दर्ज की और इसकी एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल को भेजी जिसकी रसीद प्रदर्श पी/34 है ।

12. सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) ने यह कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात्

तारीख 29 मई, 2007 को उसने स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् सुधीर गुप्ता (अभि. सा. 5) और सतीश गुप्ता (अभि. सा. 6) को पूछताछ और अपीलार्थियों अर्थात् संतोष कुमार राठौर और बलराम सिंह को तलाश करने के लिए बुलाया और वे पुलिस थाना कोतमा गए । इस साक्षी से दोनों अपीलार्थियों की मुलाकात पुलिस थाना कोतमा में हुई और वहां अपीलार्थियों से पूछताछ की गई । दोनों अपीलार्थी ग्राम धंगावन के निवासी हैं जो पुलिस थाना जैठारी के अधिकार क्षेत्र के निकट आता है । अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर ने यह जानकारी दी कि उसे जाली करेंसी नोट रामकुमार केवट से प्राप्त हुए थे और उसके पास कुल 15,000/- रुपए के जाली नोट हैं जिन्हें उसने अपने मकान के पिछले भाग (बाड़ी) में दबाया हुआ था । इस साक्षी ने इस संबंध में ज्ञापन प्रदर्श पी/22 तैयार किया । इसी प्रकार अपीलार्थी बलराम सिंह ने भी यही बताया कि उसके पास कुल 10,000/- रुपए के जाली नोट हैं जो उसने मुर्गी-घर में दबाए हुए हैं । इस साक्षी ने इस संबंध में भी ज्ञापन प्रदर्श पी/23 तैयार किया है ।

13. सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (प्रदर्श पी/8) ने यह भी कथन किया है कि वह दोनों अपीलार्थियों और एक स्वतंत्र साक्षी के साथ उनके ग्राम धंगावन गया था और अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर ने कुल 15,000/- रुपए के जाली नोट बरामद कराए । इन नोटों में दस नोट 500/- रुपए वाले और सौ नोट 100/- रुपए वाले पाए गए और इस साक्षी ने इस संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/24) तैयार किया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी बलराम ने भी दस नोट 500/- रुपए वाले और पचास नोट 100/- रुपए वाले बरामद कराए । इस साक्षी ने इन नोटों के संबंध में भी स्वतंत्र साक्षी की मौजूदगी में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/25) तैयार किया ।

14. विजय प्रताप सिंह (अभि. सा. 9) ने यह कथन किया है कि उसने अभिगृहीत किए गए सभी करेंसी नोटों को पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा जारी पत्र (प्रदर्श पी/35) के माध्यम से बैंक नोट प्रेस, देवास के प्रबंधक को भेजे और दोनों अपीलार्थियों के कब्जे से अभिगृहीत किए गए सभी नोट, भारतीय जाली करेंसी के पाए गए ।

15. प्रदर्श पी/22, प्रदर्श पी/23, प्रदर्श पी/24 और प्रदर्श पी/25 का परिशीलन किया गया है । यह संपूर्ण कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् सुधीर गुप्ता (अभि. सा. 5) और सतीश गुप्ता (अभि. सा. 6) की मौजूदगी में की गई है । सतीश गुप्ता (अभि. सा. 6) पक्षद्रोही हो गया है और उसने प्रदर्श पी/22, प्रदर्श पी/23, प्रदर्श पी/24 और प्रदर्श पी/25 से संबंधित कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उपरोक्त कार्यवाही उसकी मौजूदगी में नहीं कराई गई है । उसने सादे कागजों पर हस्ताक्षर किए थे और इस साक्षी ने अपनी प्रति-परीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि उसने इन सादे कागजों पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर किए थे ।

16. एक अन्य साक्षी अर्थात् सुधीर गुप्ता (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर और बलराम सिंह से पुलिस द्वारा परिप्रश्न किया गया था और उन्होंने जाली करेंसी नोटों तथा उस स्थान के बारे में जानकारी दी थी जहां पर ये नोट रखे गए थे और यह भी कथन किया है कि पुलिस ने दोनों अपीलार्थियों अर्थात् संतोष कुमार और बलराम सिंह को उनके निवास पर लेकर गई थी । दोनों अपीलार्थियों ने खोदकर करेंसी निकाली थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उसकी मौजूदगी में नोटों की गिनती की थी और यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर से बरामद किए गए उन नोटों में सौ नोट 100/- रुपए वाले थे और दस नोट 500/- रुपए वाले थे और यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी बलराम सिंह से बरामद किए गए नोटों में पचास नोट 100/- रुपए वाले और दस नोट 500/- रुपए वाले थे और ये सभी नोट जाली थे । इस साक्षी ने अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के ज्ञापन (प्रदर्श पी/22) और अपीलार्थी बलराम सिंह के ज्ञापन (प्रदर्श पी/23) का समर्थन किया है और यह कथन किया है कि उसने इन ज्ञापनों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं । इस साक्षी ने अभिग्रहण की कार्यवाही का भी समर्थन किया है और अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के संबंध में तैयार किए गए अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/24) तथा अपीलार्थी बलराम सिंह के संबंध में तैयार किए गए ज्ञापन प्रदर्श पी/25 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं ।

17. सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) ने दोनों अपीलार्थियों से अभिगृहीत किए गए जाली नोटों की शनाख्त तात्विक वस्तु-1 और तात्विक वस्तु-2 के रूप में की है । अभिग्रहण कार्यवाही से संबंधित स्वतंत्र साक्षी (अभि. सा. 5) ने भी नोटों की शनाख्त तात्विक वस्तु-क और तात्विक वस्तु-ख के रूप में की है ।

18. सुधीर गुप्ता (अभि. सा. 5) ने स्पष्ट रूप से सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन किया है जिसके दौरान उक्त पुलिस उपनिरीक्षक ने अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर द्वारा दी गई जानकारी को ज्ञापन (प्रदर्श पी/22) के रूप में अभिलिखित किया है । इस ज्ञापन (प्रदर्श पी/22) का परिशीलन किया गया है । इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर ने पुलिस अभिरक्षा में यह जानकारी दी थी कि उसके पास 15,000/- रुपए के जाली करेंसी नोट हैं और उन्हें अपने मकान के पिछले भाग में खोदकर दबाया हुआ है । सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर ने जाली नोट खोदकर बाहर निकालने के पश्चात् उसे दिए थे और इस साक्षी ने उन नोटों में दस नोट 500/- रुपए वाले और सौ नोट 100/- रुपए वाले पाए और इस संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/24) तैयार किया । अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/24) का परिशीलन किया गया है । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से नोटों का वर्णन किया है कि कितने नोटों पर एक ही जैसे क्रमांक हैं । सुधीर गुप्ता (अभि. सा. 5) ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है और स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर ने खोदकर नोट बाहर निकाले थे और न्यायालय में नोटों को देखने के पश्चात् यह बताया कि यही नोट अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के कब्जे से अभिगृहीत किए गए थे और अन्वेषण अधिकारी ने अभिग्रहण ज्ञापन में नोटों के क्रमांक अभिलिखित किए थे ।

19. सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) की प्रतिपरीक्षा का परिशीलन किया गया है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से यह दर्शित होता है कि उसके कथन में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे

यह पता चलता हो कि उस साक्षी के मन में अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर को मामले में मिथ्या फंसाने के लिए उसके प्रति प्रतिशोध की कोई भावना या शत्रुता थी । इसी प्रकार, सुधीर गुप्ता (अभि. सा. 5) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान मुख्य परीक्षा में कही गई बातों का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है । पैरा 13 में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह उस स्थान पर मौजूद था जहां से नोट खोदकर निकाले गए थे ।

20. पूर्वगामी चर्चा के आधार पर, इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के पास जाली करेंसी नोट थे और ये नोट उसके भानपूर्ण कब्जे से प्राप्त हुए थे और एक से अधिक नोटों पर एक जैसे क्रमांक छपे हुए थे । अभिगृहीत किए गए इन नोटों को परीक्षण के लिए बैंक नोट प्रेस, देवास भेजा गया । इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/38 है । इस परीक्षण रिपोर्ट का परिशीलन किया गया है जिससे यह प्रतिबिम्बित होता है कि ये नोट, जो अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के कब्जे से बरामद किए गए हैं, जाली हैं, अत: इस न्यायालय की यह दृढ़ राय है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित किया है कि भारतीय करेंसी के जाली नोट अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर के कब्जे से ही बरामद किए गए हैं ।

21. सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप द्विवेदी (अभि. सा. 8) ने अपीलार्थी बलराम सिंह द्वारा अभिरक्षा में रहते हुए दी गई सूचना अभिलिखित की है और ज्ञापन प्रदर्श पी/23 तैयार किया है । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी बलराम सिंह ने यह सूचना दी थी कि उसके पास 10,000/- रुपए के जाली करेंसी नोट हैं जो उसने मुर्गी-खाने में छिपाए हुए हैं । इस तथ्य की पुष्टि स्वतंत्र साक्षी सुधीर गुप्ता (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से होती है जो उस समय मौजूद था और उसने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी बलराम सिंह उसे उस स्थान पर ले गया था जहां उसने नोट दबाए हुए थे और खोदने के पश्चात् उसने अन्वेषण अधिकारी को वे करेंसी नोट उपलब्ध कराए थे । इन दोनों

साक्षियों के कथनों का परिशीलन करने के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि दस नोट 500/- रुपए वाले और पचास नोट 100/- रुपए वाले पाए गए और इनमें बहुत से नोटों पर एक ही जैसा क्रमांक मुद्रित था । दोनों साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का परिशीलन करने के पश्चात् ऐसी कोई सामग्री दिखाई नहीं देती है जिससे यह पता चलता हो कि दोनों साक्षी अपीलार्थी बलराम सिंह को मिथ्या फंसाने के लिए अपने मन में प्रतिशोध की भावना रखते थे या उससे शत्रुता मानते थे ।

22. पूर्वगामी चर्चा के आधार पर, इस न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि अपीलार्थी बलराम सिंह के भानपूर्ण और एक-मात्र कब्जे से जाली करेंसी नोट बरामद किए गए हैं और यह कि इन नोटों को ड्राफ्ट (प्रदर्श पी/35) के अनुसार परीक्षण के लिए भेजा गया था और इस संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श पी/38 प्राप्त की गई । इस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि अभिगृहीत किए गए सभी नोट भारतीय करेंसी वाले जाली नोट हैं जिन पर एक जैसा क्रमांक मुद्रित है ।

23. अपीलार्थियों की विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि दोनों अपीलार्थियों को नोटों के कूटरचित या जाली होने की जानकारी नहीं थी और न ही ऐसा विश्वास करने का उनके पास कोई कारण था और न ही असली के रूप में प्रयोग करने का कोई आशय था, अत: दंड संहिता की धारा 489ग के अधीन अपराध का कोई भी संघटक गठित नहीं होता है । अपीलार्थियों की विद्वान् काउंसेल ने **उमाशंकर** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] और **एम. ममुट्टी** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णयों का अवलंब लिया है । विद्वान् काउंसेल ने **करुणाकरन नादर** बनाम **केरल राज्य**[3] वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है और साथ ही **जीबन ससमाल** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[4] वाले मामले

---

1 (2001) 9 एस. सी. सी. 642 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3074.

2 (1979) 4 एस. सी. सी. 723 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1705.

3 2000 एस. सी. सी. ऑनलाइन केरल 417.

4 1987 एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 114.

में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्‌वारा दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया है ।

24. उपरोक्त सभी निर्णय-विधि का परिशीलन किया गया है । **उमाशंकर** (उपरोक्त) वाले मामले में अपीलार्थी ने 5 रुपए का आम खरीदा और इसके लिए उसने विक्रेता को 100/- रुपए वाला नोट दिया जिसे संदेह हो गया और उसने पुलिस को सूचित किया और 100/- रुपए का वह नोट जाली पाया गया, इस प्रकार इन परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी की आपराधिक मन:स्थिति नहीं थी और न ही उसे प्रश्नगत नोट के जाली होने की कोई जानकारी थी, इस आधार पर उस मामले में अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 489ख और 489ग के अधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया । उक्त मामले के पैरा 8 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :-

> "8. ऊपर उद्धृत उपबंधों का परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि दंड संहिता की धारा 489ख और 489ग के अधीन आपराधिक मन:स्थिति करेंसी नोटों के कूटरचित या जाली होने की जानकारी होना या ऐसा विश्वास करने के लिए कारण होना है । उपरोक्त आपराधिक मन:स्थिति के बिना जाली या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट क्रय करना, विक्रय करना या अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त करना या इससे अन्यथा दुर्व्यापार करना या असली के रूप में उसका प्रयोग करना दंड संहिता की धारा 489ख के अधीन अपराध गठित किए जाने के लिए पर्याप्त है । इसलिए आपराधिक मन:स्थिति के बिना जाली या कूटकृत करेंसी नोट या ऐसे ही बैंक नोट रखना या ऐसे नोटों का प्रयोग करने का आशय रखना दंड संहिता की धारा 489ग के अधीन अपराध गठित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है । अभियोजन पक्ष द्‌वारा ऐसी कोई सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी की आपराधिक मन:स्थिति थी । ...."

25. **एम. ममुट्टी** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष को अपीलार्थी से यह प्रश्न पूछना चाहिए था कि उसे प्रश्नगत नोटों के जाली या कूटरचित होने के बारे में जानकारी थी या नहीं । यदि अपीलार्थी को ऐसी जानकारी नहीं थी कि जो कुछ उसके पास है वह कूटरचित है, ऐसी स्थिति में दंड संहिता की धारा 489ख और 489क का कोई भी संघटक गठित नहीं होता है । यदि नोटों की दशा ऐसी थी कि उन्हें देखने से ही कोई भी यह समझ सकता था कि नोट जाली है तब युक्तियुक्त रूप से ऐसी उपधारणा की जा सकती है ।

26. **करुणाकरन नादर** (उपरोक्त) वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि बरामद किए गए नोट जाली नहीं थे बल्कि फैन्सी करेंसी नोट थे जिन पर रिजर्व बेबी ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और इस आधार पर केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि नोट कूटकृत या जाली करेंसी नहीं है और फैन्सी नोट होने के कारण उस मामले में अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया ।

27. **जीबन ससमाल** (उपरोक्त) वाले मामले में अपीलार्थी ने बाजार में 10 रुपए के कूटकृत नोट को असली के रूप में चलाने के लिए रामपदा सामन्ता को दुष्प्रेरित किया । पुलिस ने अपीलार्थी के कब्जे से कूटकृत नोट अभिगृहीत किए और अपीलार्थी को उस मामले में दंड संहिता की धारा 109 के साथ पठित धारा 489ख और 489ग के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया, ऐसी स्थिति में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 109 के संघटक साबित नहीं किए गए हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 116 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया, इस आधार पर उस मामले में के अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 109 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सका और उसे दोषमुक्त किया गया । उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न हैं ।

28. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि **दीपकभाई जगदीशचन्द्र पटेल** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य**[1] (विशेष इजाजत दांडिक याचिका सं. 5415/2017 से उद्भूत

[1] ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 3363.

दांडिक अपील सं. 714/2019) में इसी आधार पर अपीलार्थी को हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 489ख और 489ग के अधीन दंडनीय अपराध से उन्मुक्त कर दिया और उस निर्णय-विधि की मुद्रित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है । निर्णय-विधि का परिशीलन किया गया है । उस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि सह-अभियुक्त को किसी अरब देश का कूटकृत करेंसी नोट कहीं से मिल गया था और उनमें से एक अभियुक्त ने यह प्रकट किया कि उसे यह जाली नोट अपीलार्थी से मिला था, उस आधार पर पुलिस ने अपीलार्थी के घर के बाहर कुछ नोट अभिगृहीत किए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन परिस्थितियों में अपीलार्थी को उन्मुक्त कर दिया जिसके दो कारण हैं । पहला कारण यह है कि सह-अभियुक्त द्वारा दिया गया संस्वीकृति कथन अपीलार्थी के प्रति अग्राह्य है और अपीलार्थी के प्रकटीकरण के आधार पर उसके मकान से या उसके कब्जे से कोई भी बरामदगी नहीं की गई थी । किंतु इस मामले में अपीलार्थियों के प्रकटीकरण के आधार पर भारतीय करेंसी नोट बरामद किए गए हैं जिन्हें अभिगृहीत किए जाने के पश्चात् कूटकृत पाया गया ।

29. भारतीय दंड संहिता की धारा 489ग के अधीन अपराध गठित किए जाने के लिए आवश्यक संघटक निम्न प्रकार हैं :-

1. प्रश्नगत नोट करेंसी नोट या बैंक नोट हो,

2. ऐसा नोट जाली या कूटकृत हो,

3. वह करेंसी नोट या बैंक नोट अभियुक्त के कब्जे में हो,

4. अभियुक्त का आशय उस नोट का प्रयोग असली नोट के रूप में करना हो और

5. अभियुक्त यह जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि नोट जाली है ।

30. पूर्वगामी चर्चा के आधार पर, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित किया है कि अभियुक्तों के कब्जे में भारतीय करेंसी वाले जाली नोट पाए गए हैं । इसका यह अर्थ हुआ कि उपरोक्त तीन संघटक अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह के परे साबित किए गए हैं । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा

313 के अधीन परीक्षा कराए जाने के दौरान अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर से यह पूछा गया कि उसने प्रदीप द्विवेदी को यह बताया था कि उसे राम कुमार केवट से 15,000/- रुपए के जाली/कूटकृत नोट प्राप्त हुए हैं जो पॉलिथीन में लिपटे हुए हैं और उसके मकान के पिछले भाग में खोदकर दबाए हुए हैं । इस पर अभियुक्त ने मात्र इतना उत्तर दिया है कि यह कहना गलत है । न्यायालय ने उससे यह भी प्रश्न किया कि उसने (अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर) खोदकर करेंसी नोट निकाले थे जिन्हें प्रदीप द्विवेदी द्वारा स्वतंत्र साक्षी सुधीर गुप्ता की मौजूदगी में अभिगृहीत किया गया, इस पर उक्त अपीलार्थी ने यह उत्तर दिया है कि यह कहना गलत है । न्यायालय ने स्पष्ट रूप से 'जाली/कूटकृत नोट' जैसे शब्दों का प्रयोग किया है किंतु अपीलार्थी संतोष कुमार राठौर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा के दौरान इस तथ्य से केवल इनकार ही किया है । इसी प्रकार अपीलार्थी बलराम सिंह से भी जाली करेंसी के संबंध में प्रश्न पूछा गया था जिस पर उसने केवल इनकार ही किया है और इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उसके पास जाली करेंसी नोट कैसे आए और उसने उन नोटों को जमीन में दबाकर क्यों रखा । जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित किया है कि दोनों अपीलार्थियों के कब्जे से भारतीय करेंसी वाले जाली नोट बरामद किए गए हैं और उन्हें (अपने पास) संदिग्ध अवस्था में रखा गया था और इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उनके पास ये नोट कैसे आए । किसी भी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के अभाव में अपीलार्थियों के विरुद्ध यह प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके पास यह विश्वास करने का कारण था कि नोट जाली हैं और इन नोटों का प्रयोग असली के रूप में किया जा सकता है ।

31. **शब्बीर शेख और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **उमा शंकर** (उपरोक्त) और **एम. ममुट्टी** (उपरोक्त) वाले मामलों को निर्दिष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अपने कब्जे से जाली करेंसी नोटों के बरामद होने से पूर्णतया केवल इनकार का अभिवाक् करने और इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण

[1] 2018 क्रिमिनल ला जर्नल 4126 (मध्य प्रदेश).

न दिए जाने से अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है । इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 और 114(ज) के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त को अपने कब्जे में जाली करेंसी होने की जानकारी थी और उसका यह भी आशय था कि इस करेंसी का प्रयोग असली के रूप में किया जा सकता है ।

32. पूर्वगामी चर्चा के आधार पर इस न्यायालय का यह दृढ़ मत है कि ऐसा कोई भी तर्कसम्मत या सारभूत आधार नहीं है जिसके अनुसार यह न्यायालय दंड संहिता की धारा 489क के अधीन की गई दोषसिद्धि के निष्कर्ष में हस्तक्षेप कर सके । दंड संहिता की धारा 489ग के अधीन अधिकतम दंड 7 वर्ष का कारावास है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्येक अपीलार्थी को 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया है । अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थियों का आपराधिक इतिहास है । इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए यह न्यायालय प्रत्येक अपीलार्थी के 5 वर्ष के कारावास में से 2 वर्ष का कारावास कम करने के लिए आनत है ।

33. उपरोक्त पर विचार करते हुए यह अपील दंड की मात्रा को लेकर भागत: मंजूर की जाती है । दंड संहिता की धारा 489ग के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है । तथापि, प्रत्येक अपीलार्थी के कठोर कारावास की अवधि घटाकर 5 वर्ष से 3 वर्ष की जाती है और जुर्माने की रकम में व्यतिक्रम के अनुबंध के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है ।

34. दंडादेश में उपरोक्त उपांतरण के साथ इस अपील का निपटारा किया जाता है । यदि कोई अंतरिम आवेदन लंबित है, उसका भी निपटारा किया जाता है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

अस.

अशोक कुमार उर्फ अशोकी

बनाम

राजस्थान राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 83)

तारीख 22 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अभय चतुर्वेदी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8, 32, 45 और 106] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्‌वारा कुल्हाड़ी से अपने पिता और दादी की हत्या – अभियुक्त द्‌वारा मृतकों से मकान में हिस्सा पाने की प्राय: मांग किया जाना – अभियुक्त की घटना के दिन ही गिरफ्तारी – अभियुक्त के वस्त्रों पर मृतकों का रक्त पाया जाना – अभियुक्त-अपीलार्थी मृतकों से झगड़ा किया करता था कि वे अपना मकान बेचकर उसका हिस्सा उसे दे दें और पड़ोसियों ने उसे यह कहते हुए भी सुना था कि उसने मृतकों की हत्या करके झगड़े का अंत कर दिया है और साथ ही अभियुक्त को रक्तरंजित कपड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया जिन पर मृतकों का रक्त पाया गया और इस संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अत: अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

पुलिस थाना जवाहर नगर, जिला श्रीगंगानगर के अधीन पुलिस चौकी मीरा चौक पर तैनात पुलिस उप निरीक्षक रामचन्द्र (अभि. सा. 3) को फोन पर नगर नियंत्रण कक्ष से तारीख 19 अप्रैल, 2014 को अपराह्न लगभग 5.30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि अशोक नगर-बी की गली नं. 5 में हनुमान मन्दिर के निकट झगड़ा हो रहा है । इस सूचना के आधार पर पुलिस उप निरीक्षक रामचन्द्र, एफ. सी. केसर सिंह के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुआ । वह गली नं. 5 में मकान पर

पहुंचे जिसका दरवाजा खुला हुआ था । उस मकान के अहाते में एक वृद्ध महिला और एक पुरुष का शव पड़ा हुआ था । पड़ोसियों से पूछताछ करने पर रामचन्द्र को पता चला कि उक्त महिला का नाम राजबाला है और मृत पुरुष का नाम राजकुमार है जो राजबाला का पुत्र है । पुलिस उप निरीक्षक रामचन्द्र को यह बताया गया कि आधे घंटे पहले उक्त महिला का पौत्र अशोक कुमार पुत्र हनुमान नेगवाल घर पर आए थे और उनके बीच झगड़ा हो गया, वे घटनास्थल से यह कहते हुए चला गया कि वे दोनों को ठिकाने लगा देगा और इस विवाद का अंत सदैव के लिए कर देगा । पड़ोस का कोई भी व्यक्ति इस विवाद से संबंधित जानकारी देने के लिए सहमत नहीं था जिस पर रामचन्द्र ने पुलिस थाना जवाहर नगर के थानाध्यक्ष के समक्ष उपरोक्त अभिकथनों के साथ रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) दर्ज कराई । शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि दोनों मृतकों को धारदार आयुध से क्षतियां कारित की गई हैं और निकट ही रक्तरंजित कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी । उसने यह निष्कर्ष निकाला कि अशोक ने अपनी दादी और चाचा की हत्या किसी पारिवारिक विवाद को लेकर की है । उपरोक्त शिकायत के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 228/2013 (प्रदर्श पी-8) पुलिस थाना जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दर्ज कराई गई । इस मामले का अन्वेषण पुलिस थाना जवाहर नगर के भारसाधक अधिकारी श्री अरविंद कुमार (अभि. सा. 13) को सौंपा गया । घटनास्थल से संबंधित औपचारिक दस्तावेज अर्थात् दोनों शवों का पंचनामा, अभिग्रहण ज्ञापन, स्थल नक्शा और मौके का मुआयना करने संबंधी ज्ञापन आदि तैयार किए गए । तारीख 19 अप्रैल, 2013 को अपराह्न 8.40 बजे अभियुक्त-अपीलार्थी को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-11) के अनुसार गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उसके पहने हुए रक्तरंजित कपड़े अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-12) के अनुसार अभिगृहीत किए गए । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय

था, इसलिए मामला विशेष न्यायाधीश (महिला अत्याचार अधिनियम मामले), श्रीगंगानगर को विचारण के लिए सुपुर्द कर दिया गया जहां अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त अपराध के लिए आरोप विरचित किया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने आरोप से इनकार किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और 52 दस्तावेज प्रदर्शित किए । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछे जाने के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य में आई अपराधजन्य परिस्थितियों को उसके समक्ष रखा गया जिस पर उसने सभी से इनकार किया और अपने निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में 2 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए किंतु कोई भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । घटनास्थल से अभिगृहीत की गई रक्तरंजित वस्तुओं से संबंधित न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट, मृतक के रक्तरंजित कपड़े और अभियुक्त के रक्तरंजित कपड़े जो उसने घटना के समय पहने हुए थे, विचारण के दौरान अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए और उन्हें प्रदर्श पी-37 के रूप में प्रदर्शित किया गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतका राजबाला और अभियुक्त के कपड़ों पर पाए गए रक्त का ग्रुप एक-दूसरे से मेल खा गया । अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस प्रकार उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह तथ्य कि श्रीमती राजबाला और श्री राजकुमार की मृत्यु मानव वध है, पूर्णतया सिद्ध हो गया है और इसे अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा चुनौती भी नहीं दी गई है । फिर भी न्यायालय ने चिकित्सा-ज्यूरिस्ट डा. एस. एन. बत्रा (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है जिन्होंने दोनों शवों की शव-परीक्षा की है और मृतक राजकुमार तथा मृतका राजबाला की शवपरीक्षण रिपोर्टें क्रमशः प्रदर्श पी-18 और प्रदर्श पी-19 जारी की हैं ।

दोनों शवों के नाजुक अंगों पर छिन्न घाव पाए गए हैं जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं । निकट स्थित पड़ोसी अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं और इस प्रकार अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । बिश्ना देवी **उर्फ** आशा (अभि. सा. 2) श्रीमती राजबाला की पुत्री, राजकुमार की बहिन और अभियुक्त-अपीलार्थी की मौसी है जिसने यह कथन किया है कि अशोक कुमार श्रीमती राजबाला के साथ इस बात को लेकर झगड़ा किया करता था कि वह अपना मकान बेचकर उसमें से अभियुक्त-अपीलार्थी का हिस्सा उसे दे दे । इस साक्षी ने यह अभिकथन किया है कि राजबाला ने वर्ष 2013 में अशोक कुमार के विरुद्ध एक आवेदन फाइल किया था जिसके परिणामस्वरूप अशोक कुमार को नोटिस जारी किया । बिश्ना देवी की प्रतिपरीक्षा विशेषकर इस अभिकथन को लेकर नहीं कराई गई है कि अशोक कुमार श्रीमती राजबाला से झगड़ा किया करता था और मकान में अपना हिस्सा मांगा करता था ताकि प्रतिपरीक्षा के आधार पर इस साक्षी द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा के दौरान दिया गया साक्ष्य निर्बल हो जाता । इस प्रकार, हेतु से संबंधित ठोस साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अपराधजन्य परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण हो जाती है । पुलिस उप निरीक्षक रामचन्द्र (अभि. सा. 3) अर्थात् प्रथम इत्तिलाकर्ता ने अपने साक्ष्य में यह अभिकथन किया है कि वह घटनास्थल पर नगर नियंत्रण कक्ष से निर्देश प्राप्त करने पर पहुंचा था । उसने घर में दो शव देखे थे । उसने पड़ोसियों से मालूम किया जिन्होंने उसे मृतकों के नाम बताए । उसे पड़ोसियों ने यह भी बताया कि आधा घंटा पहले अशोक कुमार पुत्र हनुमान मेघवाल अर्थात् राजबाला का पौत्र वहां आया था ; उसने उनके साथ झगड़ा किया था और यह कहते हुए वहां से फरार हो गया और कि उसने मृतकों की हत्या कर दी है और झगड़े का अंत कर दिया है । पड़ोसियों द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दिए गए बयानों से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(8) के अधीन सुसंगत तथ्य गठित होता है । पड़ोसियों की परीक्षा अन्वेषण के दौरान या विचारण के प्रक्रम पर न

कराए जाने से कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि कई साक्षियों के साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने पड़ोसियों को साक्ष्य देने के लिए बुलाने का प्रयास किया था किंतु ऐसा करने कोई भी नहीं आया । साक्ष्य देने से पड़ोसियों का बचना बड़ी आसानी-से समझा जा सकता है क्योंकि आम आदमी न्यायालय में गवाही देने से डरते ही हैं । अभियुक्त-अपीलार्थी को अन्वेषण अधिकारी अरविंद कुमार (अभि. सा. 13) द्वारा घटना के ही दिन गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-11) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसी गिरफ्तारी के समय उसने रक्तरंजित जीन्स और कमीज पहनी हुई थी जिन्हें अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-12) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । अभियुक्त के इन रक्तरंजित कपड़ों को घटनास्थल पर ही मुहरबंद किया गया । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अभिगृहीत की गई वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ न किए जाने के तथ्य को साबित करने के लिए कोई भी दलील नहीं दी है किंतु न्यायालय ने इस तथ्य का परिशीलन सूक्ष्मता के साथ किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समाधान के लिए यह ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अन्वेषण के दौरान शवों पर से उतारे गए वस्त्रों, अभियुक्त के वस्त्रों और अन्य रक्तरंजित वस्तुओं सहित अभिगृहीत की गई सभी सामग्री को घटनास्थल पर ही मुहरबंद किया गया और मुहर को अभिगृहीत किए जाने के समय से लेकर तारीख 17 मई, 2013 तक अर्थात् न्यायालयिक प्रयोगशाला में जमा कराने के समय तक अक्षत रखा गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती राजबाला और अभियुक्त-अपीलार्थी के वस्त्रों पर पाए गए रक्त के धब्बों में ग्रुप-ए वाला मानव रक्त पाया गया । अभियुक्त के वस्त्रों पर मृतकों का रक्त कैसे पाया गया, यह स्पष्ट करने का कर्तव्य अभियुक्त का है किंतु वह ऐसा नहीं कर सका । अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करते हुए हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने सम्यक् रूप से साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण साबित की है जिससे अभियुक्त के दोषी होने का ही पता चलता है और साक्ष्य की यह श्रृंखला उसकी निर्दोषिता तथा अन्य किसी

व्यक्ति के दोषी होने के साथ असंगत है । इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि पुलिस कार्मिकों ने अभियुक्त-अपीलार्थी को इस मामले में मिथ्या फंसाया है । ऊपर की गई चर्चा के आलोक में हमारी यह दृढ़ राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के अनुसार अभिलिखित अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किए जाने पर ही आधारित है । सेशन विचारण मामला सं. 70/2013 (275/2014) में विद्वान् विशेष न्यायाधीश (महिला अत्याचार अधिनियम मामले), श्रीगंगानगर द्वारा तारीख 14 दिसंबर, 2016 को पारित आक्षेपित निर्णय में ऐसी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके । (पैरा 7 और 8)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 83.

2013 के सेशन विचारण मामला सं. 70 (275/2014) में विद्वान् विशेष न्यायाधीश, जिला श्रीगंगानगर द्वारा तारीख 14 दिसंबर, 2016 को पारित दोषसिद्धि और निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री जगदीश विश्नोई

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अनिल जोशी (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने दिया ।

न्या. मेहता – अपीलार्थी अशोक कुमार **उर्फ** अशोकी को 2013 के सेशन विचारण मामला सं. 70 (275/2014) में विद्वान् विशेष न्यायाधीश (महिला अत्याचार अधिनियम मामले), जिला श्रीगंगानगर द्वारा तारीख 14 दिसंबर, 2016 को पारित निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है ।

2. अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपील फाइल की है ।

3. पुलिस थाना जवाहर नगर, जिला श्रीगंगानगर के अधीन पुलिस चौकी मीरा चौक पर तैनात पुलिस उप निरीक्षक रामचन्द्र (अभि. सा. 3) को फोन पर नगर नियंत्रण कक्ष से तारीख 19 अप्रैल, 2014 को अपराहन लगभग 5.30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि अशोक नगर-बी की गली नं. 5 में हनुमान मन्दिर के निकट झगड़ा हो रहा है । इस सूचना के आधार पर पुलिस उप निरीक्षक रामचन्द्र, एफ. सी. केसर सिंह के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुआ । वह गली नं. 5 में मकान पर पहुंचे जिसका दरवाजा खुला हुआ था । उस मकान के अहाते में एक वृद्ध महिला और एक पुरुष का शव पड़ा हुआ था । पड़ोसियों से पूछताछ करने पर रामचन्द्र को पता चला कि उक्त महिला का नाम राजबाला है और मृत पुरुष का नाम राजकुमार है जो राजबाला का पुत्र है । पुलिस उप निरीक्षक रामचन्द्र को यह बताया गया कि आधे घंटे पहले उक्त महिला का पौत्र अशोक कुमार पुत्र हनुमान नेगवाल घर पर आए थे और उनके बीच झगड़ा हो गया, वह घटनास्थल से यह कहते हुए चला गया कि वह दोनों को ठिकाने लगा देगा और इस विवाद का अंत सदैव के लिए कर देगा । पड़ोस का कोई भी व्यक्ति इस विवाद से संबंधित जानकारी देने के लिए सहमत नहीं था जिस पर रामचन्द्र ने पुलिस थाना जवाहर नगर के थानाध्यक्ष के समक्ष उपरोक्त अभिकथनों के साथ रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) दर्ज कराई । शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि दोनों मृतकों को धारदार आयुध से क्षतियां कारित की गई हैं और निकट ही रक्तरंजित कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी । उसने यह निष्कर्ष निकाला कि अशोक ने अपनी दादी और चाचा की हत्या किसी पारिवारिक विवाद को लेकर की है । उपरोक्त शिकायत के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 228/2013 (प्रदर्श पी-8) पुलिस थाना जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दर्ज कराई गई । इस मामले का अन्वेषण पुलिस थाना जवाहर नगर के भारसाधक अधिकारी श्री अरविंद कुमार (अभि. सा. 13) को सौंपा गया । घटनास्थल से

संबंधित औपचारिक दस्तावेज अर्थात् दोनों शवों का पंचनामा, अभिग्रहण ज्ञापन, स्थल नक्शा और मौके का मुआयना करने संबंधी ज्ञापन आदि तैयार किए गए । तारीख 19 अप्रैल, 2013 को अपराह्न 8.40 बजे अभियुक्त-अपीलार्थी को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-11) के अनुसार गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उसके पहने हुए रक्तरंजित कपड़े अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-12) के अनुसार अभिगृहीत किए गए । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया ।

चूंकि अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला विशेष न्यायाधीश (महिला अत्याचार अधिनियम मामले), श्रीगंगानगर को विचारण के लिए सुपुर्द कर दिया गया जहां अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त अपराध के लिए आरोप विरचित किया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने आरोप से इनकार किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और 52 दस्तावेज प्रदर्शित किए । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछे जाने के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य में आई अपराधजन्य परिस्थितियों को उसके समक्ष रखा गया जिस पर उसने सभी से इनकार किया और अपने निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में 2 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए किंतु कोई भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । घटनास्थल से अभिगृहीत की गई रक्तरंजित वस्तुओं से संबंधित न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट, मृतक के रक्तरंजित कपड़े और अभियुक्त के रक्तरंजित कपड़े जो उसने घटना के समय पहने हुए थे, विचारण के दौरान अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए और उन्हें प्रदर्श पी-37 के रूप में प्रदर्शित किया गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतका राजबाला और अभियुक्त के कपड़ों पर पाए गए रक्त का ग्रुप एक-दूसरे से मेल खा गया ।

अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस प्रकार यह अपील फाइल की गई है ।

4. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री जगदीश विश्नोई ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि अभिलेख पर ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अभिकथित अपराध को अपीलार्थी से संबद्ध किया जा सके । विचारण न्यायालय का निर्णय पूर्णतया अनुमान और अटकलों पर आधारित है । यह साबित करने के लिए प्रश्नगत मकान के पड़ोस में से अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है कि अपीलार्थी को घटना घटित होने के पूर्व उस मकान में प्रवेश करते हुए या घटना घटित होने के पश्चात् उस मकान से बाहर जाते हुए देखा था । बिश्ना देवी **उर्फ** आशा (अभि. सा. 2) द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी का हत्या संबंधी हेतु अत्यंत शिथिल और विचलित है । अपीलार्थी द्वारा अपराध कारित किए जाने का हेतु यह था कि वह श्रीमती राजबाला की संपत्ति में हिस्सा पाना चाहता था और यही संदेह राजबाला की पुत्री बिश्ना देवी पर भी किया जा सकता है क्योंकि उसका भी राजबाला की संपत्ति में हिस्सा बनता है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि बिश्ना देवी ने यह साक्ष्य दिया है कि राजबाला ने अभियुक्त-अपीलार्थी अशोक कुमार के विरुद्ध उपखंड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में एक आवेदन फाइल किया था किंतु इस साक्षी की संपुष्टि नहीं हुई है क्योंकि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं किया गया है और न ही मामले के अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रदर्शित किया गया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अपीलार्थी को तारीख 19 अप्रैल, 2013 को देर रात में गिरफ्तार किया गया था, अत: उस समय अभिग्रहण की कार्यवाही करने वाले अधिकारी के लिए यह संभव नहीं था कि वह यह देख पाता कि अभियुक्त-अपीलार्थी के कपड़े

रक्तरंजित हैं । श्री विश्नोई के अनुसार यह स्वाभाविक नहीं है कि अभियुक्त घटना के पश्चात् तीन घंटों से अधिक समय तक रक्तरंजित कपड़े पहने रहता । इस प्रकार विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त के दोष की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है और वह दोषमुक्त किया जाना चाहिए । इस आधार पर विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय से अपील स्वीकार करने और आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया है ।

5. इसके प्रतिकूल विद्वान् लोक अभियोजक ने अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का दृढ़तापूर्वक खंडन किया है । उन्होंने यह प्रतिवाद किया है कि पुलिस उप निरीक्षक रामचन्द्र पूर्णतया स्वतंत्र व्यक्ति है जो घटनास्थल पर यह सूचना प्राप्त होने पर गया था कि अशोक नगर की गली नं. 5 में हनुमान मंदिर के निकट झगड़ा हो गया है । इस साक्षी को दोनों मृतकों और उन पर किए गए हमले से संबंधित व्यक्तियों की पहचान को लेकर कोई जानकारी नहीं थी । पड़ोसियों ने इस साक्षी को यह बताया कि मृतका का नाम राजबाला है और उसका पौत्र अशोक कुमार उसके घर आया था और झगड़ा करने के पश्चात् यह कहते हुए फरार हो गया कि उसने घर के दो व्यक्तियों की हत्या कर दी है और सदैव के लिए झगड़े का अंत कर दिया है । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि रामचन्द्र को पड़ोसियों द्वारा दी गई सूचना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(8) के अधीन साक्ष्य की दृष्टि से ग्राह्य है । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि अभियुक्त को रक्तरंजित कपड़ों में पाया गया था जिन पर ग्रुप-ए वाला रक्त लगा हुआ था जो श्रीमती राजबाला के रक्त ग्रुप से मेल खाता है और अभियुक्त-अपीलार्थी का इस संबंध में स्पष्टीकरण न दिए जाने से उसके इस अपराध में दोषी होने का पता चलता है । इस आधार पर विद्वान् लोक अभियोजक ने अपील खारिज करने और आक्षेपित निर्णय की पुष्टि करने का निवेदन किया है ।

6. हमने न्यायालय में दी गई दलीलों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन और मूल्यांकन किया है ।

7. यह तथ्य कि श्रीमती राजबाला और श्री राजकुमार की मृत्यु मानव वध है, पूर्णतया सिद्ध हो गया है और इसे अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा चुनौती भी नहीं दी गई है । फिर भी हमने चिकित्सा-ज्यूरिस्ट डा. एस. एन. बत्रा (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है जिन्होंने दोनों शवों की शव-परीक्षा की है और मृतक राजकुमार तथा मृतका राजबाला की शवपरीक्षण रिपोर्टें क्रमश: प्रदर्श पी-18 और प्रदर्श पी-19 जारी की हैं । दोनों शवों के नाजुक अंगों पर छिन्न घाव पाए गए हैं जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं । निकट स्थित पड़ोसी अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं और इस प्रकार अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । बिश्ना देवी **उर्फ** आशा (अभि. सा. 2) श्रीमती राजबाला की पुत्री, राजकुमार की बहिन और अभियुक्त-अपीलार्थी की मौसी है जिसने यह कथन किया है कि अशोक कुमार श्रीमती राजबाला के साथ इस बात को लेकर झगड़ा किया करता था कि वह अपना मकान बेचकर उसमें से अभियुक्त-अपीलार्थी का हिस्सा उसे दे दे । इस साक्षी ने यह अभिकथन किया है कि राजबाला ने वर्ष 2013 में अशोक कुमार के विरुद्ध एक आवेदन फाइल किया था जिसके परिणामस्वरूप अशोक कुमार को नोटिस जारी किया । बिश्ना देवी की प्रतिपरीक्षा विशेषकर इस अभिकथन को लेकर नहीं कराई गई है कि अशोक कुमार श्रीमती राजबाला से झगड़ा किया करता था और मकान में अपना हिस्सा मांगा करता था ताकि प्रतिपरीक्षा के आधार पर इस साक्षी द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा के दौरान दिया गया साक्ष्य निर्बल हो जाता । इस प्रकार, हेतु से संबंधित ठोस साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अपराधजन्य परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण हो जाती है । पुलिस उप निरीक्षक रामचन्द्र (अभि. सा. 3) अर्थात् प्रथम इत्तिलाकर्ता ने अपने साक्ष्य में यह अभिकथन किया है कि वह घटनास्थल पर नगर नियंत्रण कक्ष से निर्देश प्राप्त करने पर पहुंचा था । उसने घर में दो शव देखे थे । उसने पड़ोसियों से मालूम किया जिन्होंने उसे मृतकों के नाम बताए ।

उसे पड़ोसियों ने यह भी बताया कि आधा घंटा पहले अशोक कुमार पुत्र हनुमान मेघवाल अर्थात् राजबाला का पौत्र वहां आया था ; उसने उनके साथ झगड़ा किया था और यह कहते हुए वहां से फरार हो गया और कि उसने मृतकों की हत्या कर दी है और झगड़े का अंत कर दिया है । पड़ोसियों द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दिए गए बयानों से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(8) के अधीन सुसंगत तथ्य गठित होता है । पड़ोसियों की परीक्षा अन्वेषण के दौरान या विचारण के प्रक्रम पर न कराए जाने से कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि कई साक्षियों के साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने पड़ोसियों को साक्ष्य देने के लिए बुलाने का प्रयास किया था किंतु ऐसा करने कोई भी नहीं आया । साक्ष्य देने से पड़ोसियों का बचना बड़ी आसानी-से समझा जा सकता है क्योंकि आम आदमी न्यायालय में गवाही देने से डरते ही हैं । अभियुक्त-अपीलार्थी को अन्वेषण अधिकारी अरविंद कुमार (अभि. सा. 13) द्वारा घटना के ही दिन गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-11) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसी गिरफ्तारी के समय उसने रक्तरंजित जीन्स और कमीज पहनी हुई थी जिन्हें अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-12) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । अभियुक्त के इन रक्तरंजित कपड़ों को घटनास्थल पर ही मुहरबंद किया गया । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अभिगृहीत की गई वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ न किए जाने के तथ्य को साबित करने के लिए कोई भी दलील नहीं दी है किंतु हमने इस तथ्य का परिशीलन सूक्ष्मता के साथ किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समाधान के लिए यह ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अन्वेषण के दौरान शवों पर से उतारे गए वस्त्रों, अभियुक्त के वस्त्रों और अन्य रक्तरंजित वस्तुओं सहित अभिगृहीत की गई सभी सामग्री को घटनास्थल पर ही मुहरबंद किया गया और मुहर को अभिगृहीत किए जाने के समय से लेकर तारीख 17 मई, 2013 तक अर्थात् न्यायालयिक प्रयोगशाला में जमा कराने के समय तक अक्षत रखा गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती राजबाला और

अभियुक्त-अपीलार्थी के वस्त्रों पर पाए गए रक्त के धब्बों में ग्रुप-ए वाला मानव रक्त पाया गया । अभियुक्त के वस्त्रों पर मृतकों का रक्त कैसे पाया गया, यह स्पष्ट करने का कर्तव्य अभियुक्त का है किंतु वह ऐसा नहीं कर सका । अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करते हुए हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने सम्यक् रूप से साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण साबित की है जिससे अभियुक्त के दोषी होने का ही पता चलता है और साक्ष्य की यह श्रृंखला उसकी निर्दोषिता तथा अन्य किसी व्यक्ति के दोषी होने के साथ असंगत है । इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि पुलिस कार्मिकों ने अभियुक्त-अपीलार्थी को इस मामले में मिथ्या फंसाया है ।

8. ऊपर की गई चर्चा के आलोक में हमारी यह दृढ़ राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के अनुसार अभिलिखित अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किए जाने पर ही आधारित है । सेशन विचारण मामला सं. 70/2013 (275/2014) में विद्वान् विशेष न्यायाधीश (महिला अत्याचार अधिनियम मामले), श्रीगंगानगर द्वारा तारीख 14 दिसंबर, 2016 को पारित आक्षेपित निर्णय में ऐसी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके ।

9. इस प्रकार अपील असफल होती है और इसमें गुणता न होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है ।

10. विचारण न्यायालय का अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

संसद् के अधिनियम

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 2)

[29 दिसंबर, 2006]

वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए अधिनियम

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, मान्यताप्राप्त अधिकारों में, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना और वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सम्मिलित है ;

और औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके

निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है ;

और यह आवश्यक हो गया है कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की, जिसके अंतर्गत वे जनजातियां भी हैं, जिन्हें राज्य के विकास से उत्पन्न हस्तक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जगह बनाने के लिए मजबूर किया गया था, लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वनों में पहुंच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए ;

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सामुदायिक वन संसाधन" से ग्राम की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के भीतर रूढ़िगत सामान्य वन भूमि या चरागाही समुदायों की दशा में भू-परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है,

जिसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्रों की भूमि है जैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जिन पर समुदायों की परंपरागत पहुंच थी ;

(ख) "संकटपूर्ण वन्य जीव आवास" से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर, मामलेवार, विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनतिक्रांत रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं जैसाकि केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ऐसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श की खुली प्रक्रिया के पश्चात् अवधारित और अधिसूचित किया जाए, जिसमें उस सरकार द्वारा नियुक्त उस परिक्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) से उद्भूत प्रकियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्षेत्रों का अवधारण करने में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा ;

(ग) "वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति" से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी हैं ;

(घ) "वन भूमि" से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं ;

(ङ) "वन अधिकारों" से धारा 3 में निर्दिष्ट वन अधिकार अभिप्रेत हैं ;

(च) "वन ग्राम" से ऐसी बस्तियां अभिप्रेत हैं, जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वन संबंधी संक्रियाओं के लिए वनों के

भीतर स्थापित की गई हैं या जो वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में संपरिवर्तित की गई हैं और जिनके अंतर्गत वन बस्ती ग्राम, नियत मांग धृति, ऐसे ग्रामों के लिए सभी प्रकार की वन कृषि बस्तियां भी हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुज्ञात कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि भी है ;

(छ) "ग्राम सभा" से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है, जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में, जिनमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है, पाड़ा, टोला और ऐसी अन्य परंपरागत ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समितियां भी हैं जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिर्बंधित भागीदारी है ;

(ज) "आवास" के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है, जिसमें आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में परंपरागत आवास और ऐसे अन्य आवास सम्मिलित हैं ;

(झ) "गौण वन उत्पाद" के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें, बांस, झाड़ झंखाड़, ठूंठ, बैंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मूल, कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं ;

(ञ) "नोडल अभिकरण" से धारा 11 में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "अनुसूचित क्षेत्र" से संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ढ) "सतत उपयोग" का वही अर्थ होगा जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 2 के खंड (ण) में है ;

(ण) "अन्य परंपरागत वन निवासी" से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 31 दिसंबर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए "पीढ़ी" से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है ;

(त) "ग्राम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) की धारा 4 के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई ग्राम ; या

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र ; या

(iii) वन ग्राम, पुरातन निवास या बस्तियां और असर्वेक्षित ग्राम, चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं ; या

(iv) उन राज्यों की दशा में, जहां पंचायतें नहीं हैं, पारम्परिक ग्राम, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों ;

(थ) "वन्य पशु" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु की ऐसी प्रजातियां अभिप्रेत हैं, जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती हैं ।

अध्याय 2

वन अधिकार

3. वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार – (1) इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वन भूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भू-धृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं, अर्थात् :–

(क) वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार ;

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं ;

(ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है ;

(घ) यायावरी या चरागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार ;

(ङ) वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भू-धृतियां भी हैं ;

(च) किसी ऐसे राज्य में, जहां दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार ;

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार ;

(ज) वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं ;

(झ) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं ;

(ञ) ऐसे अधिकार, जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद् या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद् की विधियों के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजाति की किसी पारंपरिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है ;

(ट) जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार ;

(ठ) कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका, यथास्थिति, वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है, जो खंड (क) से खंड (ट) में वर्णित हैं, किंतु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है ;

(ड) यथावत् पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी है जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 के पूर्व किसी भी प्रकार की वन भूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो ।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सरकार द्वारा व्यवस्थित

निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात् :–

(क) विद्यालय ;

(ख) औषधालय या अस्पताल ;

(ग) आंगनबाड़ी ;

(घ) उचित कीमत की दुकानें ;

(ङ) विद्युत और दूरसंचार लाइनें ;

(च) टंकियां और अन्य लघु जलाशय ;

(छ) पेय जल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें ;

(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं ;

(झ) लघु सिंचाई नहरें ;

(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत ;

(ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ;

(ठ) सड़कें ; और

(ड) सामुदायिक केन्द्र :

परंतु वन भूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब –

(i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वन भूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम है ; और

(ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो ।

अध्याय 3

वन अधिकारों की मान्यता, उनका पुनःस्थापन और निहित होना तथा संबंधित विषय

4. वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य

परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना – (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, –

(क) ऐसे राज्यों या राज्यों के उन क्षेत्रों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के, जहां उन्हें धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है ;

(ख) धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत अन्य परंपरागत वन निवासियों के वनाधिकारों को,

मान्यता प्रदान करती है और उनमें निहित करती है ।

(2) राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों में इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त वन अधिकारों को, पश्चात्वर्ती रूप में उपान्तरित या पुनःस्थापित किया जा सकेगा, परंतु किसी भी वन अधिकार धारक को पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा या किसी भी रीति में उनके अधिकारों पर वन्य जीव संरक्षण के लिए अनतिक्रांत क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सभी शर्तों के पूरा करने की दशा में के सिवाय प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात्, –

(क) विचाराधीन सभी क्षेत्रों में धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया पूरी हो ;

(ख) राज्य सरकार के संबद्ध अभिकरणों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्थापित किया गया है कि अधिकारों के धारकों की उपस्थिति के वन्य पशुओं पर क्रियाकलाप या प्रभाव अपरिवर्तनीय नुकसान करने के लिए पर्याप्त हैं और उक्त प्रजाति के अस्तित्व और उनके निवास के लिए खतरा है ;

(ग) राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि सहअस्तित्व जैसे अन्य युक्तियुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं हैं ;

(घ) एक पुनर्व्यवस्थापन या अनुकल्पी पैकेज तैयार और संसूचित किया गया है जो प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों के लिए सुनिश्चित जीविका का उपबंध करता है और ऐसे प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों की केन्द्रीय सरकार की सुसंगत विधियों और नीति में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था करता है ;

(ङ) प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन और पैकेज के लिए संबद्ध क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की स्वतंत्र सूचित सहमति लिखित में प्राप्त कर ली गई है ;

(च) कोई पुनर्व्यवस्थापन तभी होगा जब पुनर्वास अवस्थान पर सुविधाएं और भूमि आबंटन वायदा किए गए पैकेज के अनुसार पूरी की गई हों :

परंतु संकटग्रस्त वन्य जीव आवास, जिससे अधिकार धारकों को इस प्रकार वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए पुनःस्थापित किया जाता है, पश्चात्वर्ती रूप से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी एकक द्वारा किसी अन्य उपयोगों के लिए अपरिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

(3) वन भूमि और उसके निवासियों की बाबत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को, इस अधिनियम के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या अन्य परंपरागत वन निवासियों ने 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि अधिभोग में ले ली थी ।

(4) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार वंशागत होगा किंतु संक्रमणीय या अन्तरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में रजिस्ट्रीकृत होगा तथा सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशागत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जाएगा ।

(5) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है ।

(6) जहां उपधारा (1) द्वारा मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकार धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में वर्णित भूमि के संबंध में हैं, वहां ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी व्यष्टि या कुटुम्ब या समुदाय के अधिभोगाधीन होगी और ऐसी भूमि वास्तविक अधिभोग के अधीन क्षेत्र तक निर्बंधित होगी और किसी भी दशा में इसका क्षेत्र चार हेक्टेयर से अधिक का नहीं होगा ।

(7) वन अधिकार, सभी विल्लंगमों और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त रूप में प्रदत्त किया जाएगा, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन अनापत्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि में अपयोजन के लिए "शुद्ध वर्तमान मूल्य" और प्रतिकरात्मक वन रोपण का संदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित है ।

(8) इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकारों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि अधिकार सम्मिलित होंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि वे राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण भूमि प्रतिकर के बिना उनके निवास और खेती से विस्थापित किए गए थे और जहां भूमि का उपयोग उक्त अर्जन से पांच वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, जिसके लिए वह अर्जित की गई थी ।

5. वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य – किसी वन्य अधिकार के धारक, उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाएं निम्नलिखित के लिए सशक्त हैं, –

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि लगा हुआ जलागम क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित हैं जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती हैं ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गए विनिश्चयों का पालन किया जाता है ।

अध्याय 4

वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया

6. वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों में वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया – (1) ग्राम सभा को, ऐसे किसी व्यष्टिक या सामुदायिक वन्य अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकार होगा जो इस अधिनियम के अधीन इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को, दावे स्वीकार करते हुए, उनके समेकन और सत्यापन तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करते हुए, मानचित्र तैयार करके दिए जा सकेंगे और तब ग्राम सभा उस आशय का संकल्प पारित करेगी तथा उसके पश्चात् उसकी एक प्रति उपखंड स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी ।

(2) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन गठित उपखंड स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और

उपखंड स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी :

परंतु प्रत्येक ऐसी याचिका ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर दी जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसी याचिका का, व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(3) राज्य सरकार, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की परीक्षा करने के लिए एक उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी और वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगी तथा इसे उपखंड अधिकारी के माध्यम से अंतिम विनिश्चय के लिए जिला स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी ।

(4) उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और जिला स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी :

परंतु ग्राम सभा के संकल्प के विरुद्ध कोई याचिका जिला स्तर की समिति के समक्ष सीधे तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह पहले उपखंड स्तर की समिति के समक्ष न दी गई हो और उसके द्वारा उस पर विचार न कर लिया गया हो :

परंतु यह और कि याचिका का, व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(5) राज्य सरकार, उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और उनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए एक जिला स्तर की समिति का गठन करेगी ।

(6) वन अधिकारों के अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का

विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा ।

(7) राज्य सरकार, वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया को मानीटर करने और ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को, जो उस अभिकरण द्वारा मांगी जाएं, नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मानीटरी समिति का गठन करेगी ।

(8) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजातीय मामले विभाग के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के तीन सदस्य होंगे, जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे और कम से कम एक महिला होगी, जैसा विहित किया जाए ।

(9) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

7. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों और समितियों के सदस्यों या अधिकारियों द्वारा अपराध – जहां कोई प्राधिकरण या समिति या ऐसे प्राधिकरण या समिति का कोई अधिकारी या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित बनाए गए किसी नियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह या वे इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई भी बात इस धारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण या समिति के किसी सदस्य या विभागाध्यक्ष या किसी व्यक्ति को दंड

का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

8. अपराधों का संज्ञान – कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि कोई वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति, किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या किसी उच्च प्राधिकारी के विरुद्ध किसी संकल्प के माध्यम से ग्राम सभा, राज्य स्तर की मानीटरी समिति को साठ दिन से अन्यून की सूचना नहीं दे देती है और राज्य स्तर की मानीटरी समिति ने ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न कर ली हो ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

9. प्राधिकरण, आदि के सदस्यों का लोक सेवक होना – अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

10. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4 में यथानिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी हैं, के विरुद्ध नहीं होगी ।

11. नोडल अभिकरण – जनजाति मामलों से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा ।

12. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति – अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, लिखित में दे ।

13. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना – इस अधिनियम और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

14. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दावों को प्राप्त करने,

उन्हें समेकित करने और उनका सत्यापन करने तथा वन अधिकारों के प्रयोग के लिए सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे का क्षेत्र अंकित करते हुए मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया और उस धारा की उपधारा (2) के अधीन उपखंड समिति को याचिका देने की रीति ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजाति मामले विभाग के अधिकारियों का स्तर ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और उसके कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा; तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Cover III

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in